ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 47 अंक 3 जुलाई 2023

पत्रिका के बारे में

प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2024. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। परिषद की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. : दिनेश प्रसाद सकलानी
अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग : सुनीति सनवाल
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : पद्मा यादव एवं उषा शर्मा
मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार
सहायक उत्पादन अधिकारी : दीपक कुमार

आवरण

अमित श्रीवास्तव

चित्र

आवरण I – घनानंद कुमार झा, कक्षा- पाँचवीं 'एफ', केंद्रीय विद्यालय, एन.सी.ई.आर.टी. शाखा, नई दिल्ली

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

मूल्य एक प्रति ₹ 65.00 **वार्षिक ₹ 260.00**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के लिए प्रकाशित तथा चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क्स (प्रा.) लि., सी-40, सैक्टर-8, नोएडा–201 301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

जुलाई, 2024 में मुद्रित

ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 47 | अंक 3 | जुलाई 2023

इस अंक में

संवाद			3
लेख			
1.	खेल की शिक्षा और कक्षा में खेलना	अनिल कुमार तेवतिया	5
2.	खेल गतिविधियों का विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव	शिव नंदन सिंह नीतू पटेल गौरव राव	14
3.	प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों तथा शोधार्थियों के लिए पैमाना निर्माण तथा मानकीकरण की प्रक्रिया एक उदाहरण	पुष्पेन्द्र यादव	22
4.	प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा की समझ एक विश्लेषण	सुधांशु कुमार सिंह	34
5.	दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में लागू हैप्पीनेस पाठ्यक्रम परियोजना और उसके शैक्षिक निहितार्थ	संदीप कुमार तोमर	43
6.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन	ललित मोहन जोशी	51
7.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'परख'— एक प्रयास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव	कृष्ण चंद्र चौधरी अरविंद कुमार	60
8.	पर्यावरण संरक्षण में विधायिका की भूमिका	पुष्प लता वर्मा	70

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं–
(i) अनुसंधान और विकास,
(ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार।
यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है।
उपर्युक्त आदर्श वाक्य ईशावास्य उपनिषद् से लिया गया है जिसका अर्थ है–
विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

विशेष

9. सारंगी — 80
हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक (कक्षा 1)

बालमन कुछ कहता है

10. मेरा प्यारा विद्यालय — शुभम मोहिल — 87

कविता

11. स्कूल चले हम — कमलेन्द्र कुमार — 88

संवाद

जैसे ही बच्चे गर्मियों की छुट्टियों से स्कूल वापस आते हैं, वे ऊर्जा से भरे होते हैं। अलग-अलग किस्से कहानियों के साथ यह बताने के लिए कि उनकी छुट्टियाँ कैसी बीतीं। बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर और स्कूल वापस आकर प्रसन्न होते हैं। बच्चे उमंग के साथ अपने शिक्षकों और दोस्तों से प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। हर दिन वो नए अवलोकन, घटनाओं का सामना करते हैं जो उनकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे पर्यावरण और समाजीकरण के साथ सबसे अच्छा सीखते हैं। स्कूल में ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए जिससे बच्चे सीखने की प्रक्रिया और ज्ञान अर्जित करने में आनंद का अनुभव कर सकें जिससे उन्हें शिक्षा एक बाधा या कठिन कार्य न लगे।

शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना, लिखना और ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीना सिखाती है। सच्ची शिक्षा, नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के साथ शारीरिक गतिविधियों के प्रभावी उपयोग से प्राप्त होती है। नेक विचार, व्यवहार और ऊर्जा से बच्चे वह हासिल कर सकते हैं जिसकी वे आकांक्षा रखते हैं। बच्चों के व्यवहार को बेहतर चरित्र और मूल्यों के साथ विकसित किया जाना चाहिए। मूल्य ऐसे होने चाहिए जो बच्चों में मानवता की भावना पैदा करें। सार्थक शिक्षा उपयोगी, रोचक, रचनात्मक और कौशल आधारित होनी चाहिए जिसे बच्चे अत्यधिक रुचि के साथ सीख सकें। खेल-खेल में सीखने से शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में मदद मिलती है जिससे जिज्ञासा और कल्पनाशीलता का विकास होता है। मातृभाषा में सीखना बेहतर समझ के लिए एक प्रभावी तरीका है, बच्चों को शिक्षा का आनंद लेना चाहिए जो मातृभाषा में ज्ञान को आत्मसात करने से संभव होगा। जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान भाषा पर निर्भर होता है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को निखारने पर समान ज़ोर देने की ज़रूरत है। सही माहौल, संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षकों की क्षमता से पढ़ाई बेहतर होती है। बच्चे शिक्षकों के माध्यम से ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को अर्जित करते हैं। बच्चों में शिक्षकों को बेहतर सहनशीलता, ईमानदारी, सहानुभूति के साथ

समानता जैसी सकारात्मक सीखने की आदतें विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षक को शिक्षा ढाँचे के आधार पर बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने की ज़रूरत है।

सभी बच्चे स्कूल जाएँ और वहाँ उन्हें उचित शिक्षा मिले इस उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की है। खेल-खेल में बच्चों को भाषा, गणित और पर्यावरण की जानकारी मिले साथ ही वे सीख रहे हैं या नहीं इसकी जाँच भी की जाए, ताकि बच्चों के सीखने से संबंधित कमियों को समय पर दूर किया जा सके। विद्यार्थियों के समग्र विकास के आंकलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'परख' की स्थापना की गई है। दिल्ली सरकार ने भी अपने स्कूलों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम आयोजित किया है, ताकि बच्चे खुशी के साथ पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और देश के सुदृढ़ नागरिक बनें।

प्रस्तुत अंक में लेख इन्हीं मुद्दों पर शामिल किए गए है। 'विशेष' के अंतर्गत कक्षा 1 के लिए जो नई पुस्तक आई है *सारंगी* उसके बारे में दिया गया है। आशा है कि यह अंक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पत्रिका के संबंध में आपके विचार व सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

अकादमिक संपादक

लेख 1

खेल की शिक्षा और कक्षा में खेलना

अनिल कुमार तेवतिया *

यह बेहद ज़रूरी है कि स्कूलों में गणित को एक उदासीन और गंभीर विषय के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहिए। बाल मनोविज्ञान में अनुसंधानों के माध्यम से प्ले-वे पद्धति को शिक्षाशास्त्र के एक मज़बूत माध्यम के रूप में मान्यता मिली है। इस शोध लेख में, शोधकर्ता ने कक्षा में खेल-विधि से संबंधित विभिन्न प्रयासों और चिंताओं को समायोजित करने का प्रयास किया है और उपयुक्त उदाहरणों के साथ यह प्रदर्शित किया है कि कक्षा में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। खेलना मनुष्य के मूल में है, खेल अपरिवर्तनीय रूप से मानव जीवन से जुड़ा है, और हम सीखने के लिए भी खेल सकते हैं। खेलना और सोचना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। शिक्षकों का मत है कि खेल एक ऐसी चीज़ है जो गणित के प्रति बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक हो सकती है और अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। इसके अलावा, खेल रचनात्मकता, कल्पनाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों, सौंदर्यशास्त्र और अन्य क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। और यह बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को बढ़ाता है। इसलिए याद रखें की स्कूलों में बच्चों को खेलने और खुश रहने देना आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे के समग्र विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे लोग स्कूली शिक्षा में इस महत्वपूर्ण चरण की उपेक्षा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर उचित ध्यान न देने की वजह से स्कूलों में बच्चों की रुचि कम हो गई है और छोटे बच्चों के कंधों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। (गुप्ता और शर्मा, 2020, पृष्ठ 20)

गणित हमारे परिवेश में हर जगह है— छोटे से बड़ी चीज़ों में, पूर्व से पश्चिम, क्षितिज से आकाश और समुद्र से ज़मीन तक। यह ज्ञात है कि प्रारंभिक वर्षों में गणित के प्रति बना रवैया बच्चे की निकट भविष्य में गणित सीखने की क्षमता/गणित में रुचि आदि को निर्धारित करता है। गणित सीखने में सुधार करना शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल में

*प्रधानाचार्य, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110 095

हित रखने वाले हितधारकों का प्राथमिक उद्देश्य है। गणित सीखना न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर निर्भर करता है, बल्कि भावनात्मक कारक भी गणित सीखने में मददगार हैं। भावनात्मक कारक कक्षा में बच्चों के गणितीय प्रदर्शन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं (मोहन और झा, 2018, पृष्ठ 10)। वर्तमान काल के शोध अध्ययन कक्षाओं में कई प्रकार की खेल आधारित गतिविधियों का सुझाव देते हैं, क्योंकि खेल बच्चों के सीखने के स्तर को अहम रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार गणित सीखने में खेल का उपयोग करना काफ़ी रोमांचक हो सकता है।

प्ले क्या है?

बचपन में बच्चे कई गतिविधियाँ परिणाम के बारे में सोचे बिना करने में आनंद लेते हैं। बच्चे ऐसी कई गतिविधियाँ सिर्फ़ मनोरंजन और आराम के लिए करते हैं, इन गतिविधियों को ही खेल की संज्ञा दी जाती है। यह बच्चों के सामान्य विकास का हिस्सा है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल एक स्व-चयनित और स्व-निर्देशित गतिविधि है जोकि प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि इसके उत्पाद पर। खेल व्यक्तिगत रूप से बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। यह संज्ञानात्मक कौशलों के विकास और नई जानकारियों को सीखने में मदद करते हैं। खेल में बच्चे अपने सामाजिक कौशलों, जैसे— प्रभावी संचार, स्व-नियमन, संघर्ष समाधान, सहयोग और समस्या-समाधान आदि का अभ्यास और परिशोधन करते हैं। इसके अलावा, वे अपनी भूमिकाओं, रुचियों, कौशलों और संबंधों की खोज करके अपने बारे में भी सीखते हैं। बच्चे खेल कि मदद से अपनी दुनिया का पता लगाते हैं। आमतौर पर खेल की अवधारणा छोटे बच्चों और कम शैक्षणिक प्रयासों तक सीमित मान ली जाती है, लेकिन गणित शिक्षण के संदर्भ में खेल एक असंभावित अनुशासन का विकास करने कि एक उपयोगी रणनीति हो सकता है (कपूर और अरोड़ा, 2019, पृष्ठ 20)।

"ई.सी.सी.ई. में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे— अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य गतिविधियों को शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है" (एन.ई.पी. 2020)।

कक्षाओं में खेलना

रॉस के अनुसार, "खेल बच्चों की शिक्षा का अपना प्राकृतिक तरीका है"। हम स्कूल के कार्यों को खेल का आकार देने के लिए उनमें संशोधन कर सकते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, और स्कूल के अनुशासन को रोचक बनाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों को स्कूल आना आनंदमयी लगे और वे स्कूल के काम को सहज रूप से कर सकें। खेल के माध्यम से ज्ञान को रोचक ढंग से संप्रेषित किया जा सकता है पर ध्यान रहे खेल भी बच्चों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब यह खेल की श्रेणी से निकलकर काम की श्रेणी मे आ जाता है तो बोरियत या बोझ लगने लगता है।

खेल कक्षा में बहुत सहायक होते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, यह बच्चों के शरीर के विभिन्न अंगों की गति और संचालन के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं और बच्चे की माँसपेशियों के विकास में भी मदद करते हैं। खेल बच्चे को शारीरिक रूप से चुस्त रखने और बीमारियों से लड़ने में सक्षमता बढ़ाते हैं। यह बच्चों को सीखने के लिए उत्सुक बनाते हैं और उनके बौद्धिक मूल्यों में भी सुधार करते हैं। (खन्ना और गुप्ता, 2019, पृष्ठ 10)।

खेल के दौरान बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ काम करना होता है, आवश्यकता के अनुसार उन्हें सहकारी, संगठित, नेता, अनुयायी आदि होना पड़ता है। ये सभी चीज़ें बच्चों में सामाजिक मूल्यों के विकास में मदद करती हैं। इसके अलावा, खेल भावनाओं के नियमन में मदद करते हैं; बच्चों को कक्षाओं की ओर प्रेरित करते है; ऊबता को मारते हैं; रचनात्मकता विकसित करते है; स्वतंत्रता प्रदान करते हैं; लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करते हैं और बच्चों में उदारता को बढ़ावा देते हैं (शर्मा और वर्मा, 2020, पृष्ठ 20)।

खेल के माध्यम से गणित सीखने से ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है?

प्ले-वे शब्द का प्रयोग कक्षा-कक्ष में पढ़ने-पढ़ाने के लिए खेल गतिविधियों के उपयोग से है। प्ले-वे का ज़ोर अकादमिक क्षेत्र में आनंद, स्वतंत्रता की भावना और सहजता पर रहता है। फ्रोबेल ने सबसे पहले खेल को शिक्षाशास्त्र के माध्यम के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचा और शैक्षिक खेलों को अपने तरीके से तैयार किया। नर्सरी स्कूलों में उनका तरीका सबसे लोकप्रिय है। यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें बच्चे अपनी इच्छा और भावना के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।

बच्चे गणित को उदासीन, अरुचिकर, कठिन मानते हैं। "ऐसा लगता है, गणित जैसे गंभीर शैक्षणिक विषयों में खेलने का स्तर विद्यार्थियों की उम्र के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। गणित के एक चंचल अध्यापन को संहिताबद्ध किया जा सकता है और वास्तविक व प्रामाणिक बनाया जा सकता है" (अग्रवाल और जोशी, 2018, पृष्ठ 10)। गणित को विभिन्न कारणों की बदौलत एक आनंददायक विषय का खिताब नहीं दिया जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग प्रचलन में अधिक नहीं है। हम जानते हैं कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक गणित पाठ्यक्रम में भी खेलों को एकांकित किया जा सकता है। गणित शिक्षण में खेल पद्धति का प्रयोग करना उत्साह का एक अलग स्तर है। यह विधि बच्चों को अपने तरीके से ज्ञान का पता लगाने, समझने और अवशोषित करने की स्वतंत्रता देती है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण में आनंदपूर्ण तरीकों से सिखाने के लिए खेल विधि और सरल सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। आइए, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कुछ ठोस उदाहरण देखें जिनमें शिक्षक अपनी कक्षाओं में खेल को शिक्षाशास्त्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

एक शिक्षक ने कहा कि, "बुनियादी चार गणितीय संक्रियाओं, यानी— जोड़, घटाव, गुणा और भाग, को एक साथ करने की जटिल प्रक्रिया बच्चों को परेशान करती है, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मानसिक व्यायाम शामिल होता है और बच्चों में बोरियत पैदा होती है। इसलिए एक शिक्षक ने गणित को आसान और मज़ेदार बनाने के लिए कक्षा मे खेल कराने का निश्चय किया। शिक्षक पाँचवीं कक्षा में यह प्रयास कर रहा था।"

चित्र 1— बच्चे समूह में अपनी-अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ लेने के लिए हिसाब लगाते हुए।

कक्षा में उसने रेस्टोरेंट का माहौल बना दिया था। कुछ बच्चे ग्राहकों की भूमिका निभा रहे थे, कुछ वेटर और रेस्तरां मालिकों की भूमिका निभा रहे थे। प्लेइंग मनी (बच्चों के खेल वाले पैसे) का इस्तेमाल लेन-देन के उद्देश्य से किया जा रहा था और हर समूह को एक मेनू-कार्ड दिया गया था जिस पर अलग-अलग प्रकार के व्यंजन और उनकी कीमत अंकित करें। बच्चों को अपनी और समूह की पसंद की सूची के अनुसार विभिन्न चीज़ों से युक्त अपने लिए खाना ले के उसका हिसाब करना था।

शिक्षक से बात करने पर वह कहता है कि, "मैं उन्हें एक सीमित प्ले-मनी देता हूँ और उन्हें अपने समूह में खरीदारी करने के लिए कहता हूँ, चीज़े लेने के लिए बार-बार ये हिसाब लगाना होता है कि अब कितने पैसे बचे। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बच्चों को समूह में (अक्सर 5 या 6 के समूह) 200 रुपए दिये और उन्हें अपने समूह के लिए वस्तुएँ लेने को कहा, अब उन्हें हिसाब लगाना होता है कि अगर वे समोसा लेंगे तो $12 \times 5 = 60$ रुपए (समोसा 12 रुपए का अंकित है) का होगा या कुछ बच्चे समोसा ना लेकर ब्रैड लेंगे तो $12 \times 4 = 48$ और $15 \times 1 = 15$ (ब्रैड 15 रुपए का अंकित है), अब उन्हें 48+15 को 200 में से घटाना होता है।...जोड़ना होता है...गुणा करना होता है... इस दौरान मैं (शिक्षक) यह अवलोकन कर लेता है कि कितने बच्चे संक्रियाओं को करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, समूह की मदद से बच्चे हिसाब को सही करना सीख जाते हैं और वे इस दौरान खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें यह काम नहीं लगता बल्कि खेल लगता है।"

हमने देखा की कैसे बच्चे प्ले-वे पद्धति से गणित सीख रहे थे, वे विभिन्न चीज़ों को समूह में लेने के लिए हिसाब लगा रहे थे; अपने पैसों को बार-बार जोड़ व घटा रहे थे; गणित कर रहे थे; मज़ा कर रहे थे; और रेस्तरां मालिकों को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना के लिए गणितीय संक्रियाएँ कर रहे थे। विद्यार्थी कक्षा का आनंद ले रहे थे और यह पारंपरिक गणित की कक्षा की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। यहाँ बच्चे अभ्यास स्वत: ही मज़े लेकर कर रहे थे।

ऐसा माना जाता है की चार बुनियादी गणितीय संक्रियाओं (जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग) के अनुप्रयोग को पढ़ाना सबसे कठिन काम है जिसे पढ़ने के लिए शिक्षक को लोहे से चने चबाने पड़ते हैं। इस कक्षा में बच्चे कैलकुलेटर या कलम और कागज़ का उपयोग किए बिना ही राशि की गणना करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे थे कि वे गणित कर रहे हैं, बल्कि सोच रहे थे की वे खेल रहे हैं (लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से गणित करने में संलग्न थे)। ऐसा लग रहा था कि एक साधारण खेल की मदद से शिक्षक ने गणित को एक प्रेमपूर्ण विषय में बदलने की कोशिश की है और वास्तव में खेल का उपयोग करके गणित को रोचक बनाया जा सकता है।

कक्षा में बच्चे प्ले-मनी और मेन्यू चार्ट के साथ खेल रहे थे। वे सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाओं को इस प्रकार कर रहे थे जो उन्हें थका नहीं रही थीं, ऐसी प्रक्रिया उन्हें उत्साहित कर रही थीं और उन्हें स्वतंत्र महसूस करा रही थीं। शिक्षक ने हमें बताया कि अक्सर वह मैथ्स ऑपरेशंस सीखने के लिए इसी गतिविधि का प्रयोग करते हैं। ये गतिविधि बच्चों को रोमांच से भर देती है और उन्हे स्वयं करके सीखने के अवसर देती है।

एक अन्य कक्षा में शिक्षक भार-तोलन का उपयोग कर रहे थे। यह भार-तोलन बच्चों के द्वारा एक हैंगर और ऊनी धागे से बंधे दो गोलाकार कार्डबोर्ड का उपयोग करके बनाया गया था। इसका उपयोग कक्षा में बच्चे विभिन्न मात्राओं के वज़न को मापने और तौलने के लिए कर रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन तौल मशीनों (बैलेंस) को विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न खेल खेलने के लिए ही बनाया गया था (ना की ये कहकर कि ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही है)। बच्चे इस बैलेंस से साथ बहुत से खेल खेल रहे थे, जैसे कि दुकान-दुकान और अन्य खेलों में वस्तुओं को तौलना, कीमतों और वस्तुओं की मात्राओं के बीच संबंध बनाना आदि। विद्यार्थी खेल गतिविधियों के माध्यम से वज़न और माप की भावना विकसित कर रहे थे।

चित्र 2— बच्चों के द्वारा बनाए गए भार-तोलन की तस्वीर

शिक्षक कहतें हैं कि, मैंने बच्चों को अपने आस-पास की चीज़ों के साथ भार-तोलन बनाने के लिए कहा, कई बच्चे कई अलग-अलग विचारों के साथ आए और इसे लकड़ी, प्लास्टिक के धागे, कपड़े, प्लास्टिक के गिलास और कई अन्य चीज़ों से बनाने की कोशिश करने में लग गए। अंत में उन्होंने पाया की हैंगर, कार्डबोर्ड और ऊनी धागे से सबसे बेहतर भार-तोलन बनाया जा सकता है। शिक्षक ने हमें बताया कि बच्चे विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे थे और अपनी सोचने और करने की शैली में बहुत लचीले थे। यह रचनात्मकता का स्पष्ट संकेत है। इस अर्थ में खेल स्कूली बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षक ने हमें बताया कि इस भार-तोलन का प्रयोग करके वह बच्चों को ग्राम व किलोग्राम के

बीच का संबंध सीखा चुका है। इस तोलन का प्रयोग वह कई हफ्तों से कर रहा है। इसके प्रयोग से बच्चों को किलोग्राम और ग्राम का संबंध आसानी से समझ आता है और दोनों के संबंध को बच्चे खेल-खेल में आत्मसात कर पाते हैं (कितना आसान बना दिया गया है न ये समझाना, वरना इस संबंध को सीखना एक टेढ़ी-खीर माना जाता है)।

बच्चे बिना किसी बाहरी सहायता के आधा-किलो और चौथाई-किलोग्राम के बारे में बातचीत कर रहे थे। शिक्षक ने हमें बताया कि वह अक्सर बच्चों को तौलने से पहले अंदाज़ा लगाने को कहता है फिर उन्हें उनके बनाए भार-तोलन से भार तौलने को कहता है। ऐसा 5–6 बार करने से बच्चे खुद ही बोलने लगे कि ये किलो से ज़्यादा/कम होगा और अपने उत्तर को जाँच कर खुश होने लगे। इस पद्धति से सीखना-सिखाना आसान लगता है।

एक अन्य कक्षा की शिक्षिका विद्यार्थियों को आटा गूँथने के लिए आटा दे रही थी। वह कहती हैं, "मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी आटे में पानी सही अनुपात में डालना सीखें। आटा गूँथते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास एक निश्चित मात्रा में आटे के लिए सही मात्रा में पानी हो।"

वह अपने विद्यार्थियों को आवश्यक पानी की मात्रा को मापने के लिए कुछ बर्तन भी दे रही थीं। फिर, गुथे आटे को अलग-अलग आकृतियाँ (2डी और 3डी) बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। विद्यार्थियों को आटे से आकृतियाँ बनाना दिलचस्प लग रहा था। बच्चे आकृतियों के भीतर और विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध भी बना रहे थे। यह लागत प्रभावी और बहुत आनंददायक प्रणाली थी। टीचर ने बताया कि वह हर साल अपने बच्चों को इसी प्रकार से ही 2डी और 3डी आकृतियाँ सीखाते हैं। बच्चों को गूँथा आटा दिया जाता है और उन्हें दी गई आकृति बनानी होती है, जैसे— एक गोला या एक डिब्बा।

शिक्षिका ने बताया कि वह अक्सर इसका प्रयोग एक आकृति से दूसरी आकृति तक पहुँचने के लिए करती हैं। बच्चे स्वयं ही सवाल और जवाब करते हैं कि कैसे दो त्रिभुजों को साथ रखकर, कैसी आकृति बन रही है। अनुच्छेद 1.6 "यह परिकल्पना की गई है की 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बालवाटिका (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जाएगा जिसमें एक ई.सी. सी.ई. योग्य शिक्षक हैं, कक्षा में सीखना मुख्य रूप

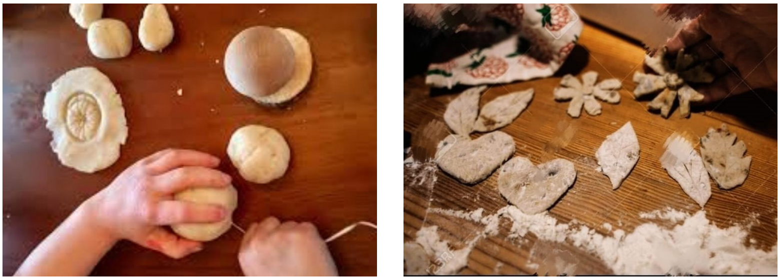

चित्र 3— *आटे से आकृति बनाना*

से खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं, प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।" (एन.ई.पी. 2020)

सीखने में खेलने की आलोचना

प्ले-वे पद्धति की आलोचना असामान्य नही है। स्कूल में शिक्षक विभिन्न आधारों पर खेल पद्धति की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं की "प्ले-वे एक नरम मनोविज्ञान की ओर ले जाता है। यह बच्चों के बीच गैर-समझदार रवैये को प्रोत्साहित करता है और निष्क्रियता और असहजता के लिए लगाव विकसित करता है। जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है", शिक्षकों ने आगे कहा, "गंभीर व्यावसायिक निर्णयों से भरे जीवन के लिए उन्हें तैयार करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, उन्हें हर कदम पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षण की गंभीर गतिविधियों को केवल गंभीर तरीकों से ही किया जा सकता है।" हालाँकि, हमारे अनुसार, आलोचकों की ओर से इस तरह का भय निराधार है। खेल का शिक्षाशास्त्र, शिक्षा के उद्देश्य को नहीं बदलता है, बल्कि इन उद्देश्यों को पाने के तरीकों में बदलाव करता है। खेलना बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इससे सीखने की गतिविधियों को अधिक मनोरंजक और लाभदायक बनाकर उन्हें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सभी प्ले-वे विधियों को डिजाइन किया जाता है। इसलिए, प्ले-वे नरम मनोविज्ञान की ओर नहीं ले जाता है।

खेलने के तरीके को एक लचीली विधि माना जा सकता है जो बच्चे की योग्यता और रुचि पर आधारित है। यह अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। यह विधि होम असाइनमेंट यानी गृहकार्य जैसे मापदंडों के आधार पर बच्चों को ग्रेडिंग या मार्किंग से बचाती है। शिक्षक यहाँ बच्चे के कौशल और योग्यता का आकलन करते हैं और वे समय-समय पर माता-पिता को इन आकलनों के बारे में बताते हैं। भारत-भर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण की प्ले-वे पद्धति शुरू हुई है।

इस प्रकार, प्राथमिक विद्यालय में गणित सीखने में खेल का उपयोग करना काफ़ी उपयोगी हो सकता है। खेल चीज़ों को व्यावहारिक रूप से करने में मदद करते हैं जो आगे आसान तरीके से सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह खुलेपन और स्वतंत्रता का वातावरण बनाते हैं जो सीखने के लिए अनुकूल हैं। खेल यह सुनिश्चित करते हैं कि सीखना जीवन के साथ एकीकृत है (न कि केवल किताबों के साथ) और सभी उम्र के बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों के अनुरूप है। खेल में भाषा, तर्क और सामाजिक संचार शामिल है जो बच्चों के बीच अभिव्यंजक कौशलों के विकास में भी मदद करते हैं। शिक्षक आनंदमय वातावरण में खेल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से सीखने और बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए अनुकूलित शिक्षण गतिविधियों का विकास कर सकते हैं।

याद रखें, बच्चों को अपने प्राथमिक विद्यालयों में खेलने की ज़रूरत है। उनका मिट्टी, रेत, वस्तुओं आदि के साथ खेलना ज़रूरी है। ग्रोस और फ़ाइन मोटर स्किल्स यानी संपूर्ण गामक कौशल और सूक्ष्म

गामक कौशल विकसित करने के लिए उन्हें वस्तुओं (सुरक्षा के साथ) में हेर-फेर करने देना चाहिए। उन्हें अपनी शारीरिक ताकत (फिजिकल स्ट्रेंथ) का पता लगाना चाहिए; उन्हे आस-पास के अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें खेल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सबसे बढ़कर, बच्चों को खुश रहने देना चाहिए।

निष्कर्ष

हाल के शोध अध्ययन, खेल गतिविधियों द्वारा सीखने-सिखाने एवं बच्चों की गणितीय उपलब्धि स्तर के बीच सकारात्मक संबंध इंगित कर रहे हैं। खेल, विद्यार्थियों के सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जो स्व-निर्देशित, स्व-चयनित और प्रक्रिया उन्मुख हैं। खेल के माध्यम से बच्चे अपने आस-पास की दुनिया का पता लगाते हैं।

कक्षा में खेलना समय की माँग है। खेल बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को सुगम बनाते हैं। खेल बच्चों में रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं। खेल सीखने की गतिविधियों का एक आदर्श माध्यम हैं। शिक्षाविदों ने खेल द्वारा शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में खेल के उपयोग की सिफ़ारिश की है। खेल पद्धति बच्चों को अपने तरीके से ज्ञान अर्जित करने की, समझने की और उसे अवशोषित करने की स्वतंत्रता देती है।

लेख में प्रयोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि गणित जैसे जटिल विषयों को कक्षाओं में खेल-आधारित गतिविधियों की मदद से काफ़ी आसानी से सिखाया जा सकता है। शिक्षकों ने भी खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र का समर्थन किया है। खेल में उदासीन विषय को रोचक विषय में बदलने की शक्ति है। हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जितना हो सके कक्षा में खेल द्वारा बच्चों को सीखने के अवसर देकर खुश रहने दिया जाना चाहिए।

संदर्भ

अग्रवाल, एम. और ए. जोशी. 2018. समस्या समाधान के माध्यम से गणित पढ़ाने के प्रभाव : एक अध्ययन. *अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. 10(1), पृ.सं. 10–15. एल्सेवियर, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स.

कपूर, आर. और आर. अरोड़ा. 2019. प्ले-आधारित शिक्षण : बच्चों की रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका. *भारतीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी*. 40(2), पृ.सं. 15–20. गोविन पब्लिशर, गगनजोठी नगर, चिदंबरम, इंडिया.

खन्ना, आर. और ए. गुप्ता. 2019. खेल आधारित शिक्षण : बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास पर प्रभाव. *भारतीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी*. 40(1), पृ.सं. 10–15. गोविन पब्लिशर, गगनजोठी नगर, चिदंबरम, इंडिया.

गुप्ता, ए. और आर. शर्मा. 2020. गणित के कठिन पाठ्यक्रम और अस्पष्ट पाठ्यक्रम सामग्री का बच्चों की गणित में रुचि पर प्रभाव. *भारतीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी*. 41(2), पृ.सं. 15–20. गोविन पब्लिशर, गगनजोठी नगर, चिदंबरम, इंडिया.

जैन, बी. और एम. मेहता. 2019. बच्चों में गणित के प्रति रुचि का अध्ययन. *अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. 9(1), पृ.सं. 10–15. एल्सेवियर, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स.

माथेरान, एस. और आर. अग्रवाल. 2018. प्ले-आधारित शिक्षण : बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका. *अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. 10(1), पृ.सं. 10–15. एल्सेवियर, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स.

मोहन, ए. और ए. झा. 2018. गणित सीखने में भावनात्मक पहलू : एक अध्ययन. *अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी*. 10(1), पृ.सं. 10–15. हिपाटिया प्रेस, स्पेन.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

शर्मा, आर. और एम. वर्मा. 2020. खेल-आधारित शिक्षण और बच्चों की समस्या को सुलझाने और रचनात्मक सोच कौशल. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. 10(2), पृ.सं. 15–20. एल्सेवियर, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स.

2

खेल गतिविधियों का विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव

शिव नंदन सिंह*
नीतू पटेल**
गौरव राव***

खेल, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास अर्थात सामाजिक संवेगात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक पक्षों का विकास करने में सहायक होते हैं। ये विद्यार्थियों को खेल के मैदान में अपने सहपाठियों के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों जिनकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है; से भी बातचीत करने का अवसर देते हैं। जिसके फलस्वरूप वे एक-दूसरे की भाषा, रहन-सहन व संस्कृति आदि के बारे में जानते हैं। वे एक-दूसरे की भावनाओं, संवेगों आदि की इज़्ज़त करना सीखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विषम परिस्थितियों में एक-दूसरे की सहायता भी करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अधिगम को खेल के साथ एकीकृत करके सिखाने पर ज़ोर दिया गया है जिससे कि विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावी व रुचिकर बनाने के साथ साथ स्व-अनुशासन, स्व-निर्देशन, कुशल नागरिकता तथा टीम भावना जैसे कौशलों का विकास हो सके। प्रस्तुत आलेख में यह समझने की कोशिश की गई है कि खेल व खेल समावेशित शिक्षण तथा अधिगम विधियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

प्राचीन काल से ही खेलों का विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विद्यार्थी जब खेल खेलते हैं तो इनके विभिन्न पहलुओं, जैसे— बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा भाषा आदि पर सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। खेल खेलने से उनके शरीर के सभी अंग सक्रिय रूप से क्रियाशील होते हैं। फलतः पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है जिससे उनके शरीर की उपापचयी क्रियाएँ भी सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विद्यार्थी यदि तनाव में रहेंगे तो हम उनको अच्छे से सिखा नहीं सकते हैं। शारीरिक गतिविधि एवं खेल-आधारित

*शोधार्थी एम.एड, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
**शोधार्थी एम.एड, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
***सह-आचार्य, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

शिक्षण विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर प्रभाव डालने की क्षमता भी रखता है और इसका सीधा संबंध उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव से है (स्टेड तथा नेविल, 2010)।

विद्यार्थी जब खेल गतिविधियों में सम्मिलित होंगे तो उनका शरीर ठीक प्रकार से विकसित होगा और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तब तक हम विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से पढ़ा नहीं सकते हैं। जब विद्यार्थी खेल जैसी शारीरिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे तो उनकी माँसपेशियों का विकास होगा (अल्वेस और अल्वेस, 2018) जिसके फलस्वरूप उनकी क्रियात्मक कौशलों का उत्तम विकास हो सकेगा।

विद्यार्थी जब खेल खेलने के लिए क्रीड़ास्थल में जाते हैं तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिगम को प्रभावपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं। खेल के मैदान में विद्यार्थी एक साथ रहकर खेलते हैं, एक-दूसरे से जो अलग-अलग स्थानों से आए हुए हैं, उनसे मिलने का अवसर मिलता है। उनकी भाषा, संस्कृति, रहन-सहन आदि के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। जब विद्यार्थी कोई खेल खेलते हैं तो खेल में होने वाली स्कोरिंग से गणित सीखते हैं। खेल एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है। ऐसे में ये विद्यार्थी यह सीखते हैं कि कैसे अपने भावनात्मक और संवेगात्मक पक्षों पर नियंत्रण करना है। यह विद्यार्थियों में एक स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है। इसके द्वारा यह एक-दूसरे से आगे बढ़ने हेतु तथा सीखने हेतु अभिप्रेरित करता है। उपरोक्त पहलुओं के साथ जब विद्यार्थी कोई खेल में प्रतिभाग करता है तो यह कई पक्षों को प्रभावित करता है। उदहारण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलते हैं तो हाथ या पैर से इनको मारते समय पूरे शरीर का समन्वयन होता है जिसके फलस्वरूप इनके पूरे शरीर का विकास होता है। शारीरिक पक्ष के विकास के साथ-साथ इनके मानसिक पक्ष आदि का भी विकास होता है जिसमें वह गणित के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं कि गेंद किस कोण व किस दिशा में मारें कि बॉल सीधे गोल में जाकर गिरे।

बच्चे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वह अपने आस-पास की वस्तुओं को छूकर, देखकर, पकड़कर जानना चाहते हैं और जब वह खुद अपनी सभी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अनुभूति करके सीखेंगे तो वह प्रभावपूर्ण तरीके से सीख सकेंगे (मोंटेसरी, 2008)। हम विद्यार्थियों को सिर्फ़ व्याख्यान के द्वारा ही कक्षा-कक्ष के परिवेश में अच्छी तरह से नहीं सिखा सकते हैं। यदि हम विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार खेल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहें तो वह सीखने के लिए और अधिक तत्पर होंगे।

मनोशास्त्रियों ने खेल को शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा में खेल की आवश्यकता को यह कहकर स्वीकार किया है कि खेलने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास इसके विभिन्न पहलुओं में अधिकतम स्तर तक होता है। पियाजे ने भी कहा है कि खेल सीखने का एक साधन है और आस-पास

का वातावरण विद्यार्थियों के लिए सीखने का स्रोत है (डफाल्ला, 2016)। फ्रोबेल, मरिया मांटेसरी और हेनरी काल्डवेल कुक आदि ने बच्चों में अधिगम व शिक्षण हेतु खेल-आधारित पद्धतियों की सिफ़ारिश की है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि खेल के बिना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, खेल को शिक्षण पद्धति से अलग नहीं किया जा सकता है। खेल एक शिक्षण व अधिगम की एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को रोमांचकारी तरीके से सिखाया जाता है। खेल और खेल गतिविधियाँ स्कूल में बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, क्योंकि यह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं, साथ ही बुरे व्यवहारों में उनकी भागीदारी को कम करती हैं, क्योंकि यदि वे सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी अन्य गतिविधियों में सकारात्मक रूप से एकीकृत होंगे तो वह अनुशासित होंगे और उन्हें अपनी प्रतिभा का संवर्धन करने में भी मदद मिलेगी (मिलाम्बो तथा पेचो, 2021)।

पिछले कुछ दशकों में जब मोबाइल व कंप्यूटर जैसी आधुनिक डिजिटल युक्तियाँ सभी को आसानी से उपलब्ध होने लगी हैं तब से आउटडोर खेलों की जगह ऑनलाइन इंडोर खेलों ने ले ली है। विद्यार्थी काल्पनिक दुनिया में जी रहें हैं जिसमें सभी प्रकार के खेलों को ऑनलाइन खेल रहें हैं। इस प्रकार के खेलों से बच्चों का तकनीकी विकास तो हो जाता है, लेकिन उनका शारीरिक व सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें अन्य बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से खेलने का मौका नहीं मिल पाता जिससे वह उनकी भाषा, संस्कृति, संवेग आदि को नहीं सीख पाते हैं। साथ ही कंप्यूटर तथा मोबाइल आदि पर ऑनलाइन गेम खेलकर अधिक समय बिताने से विद्यार्थियों में इसकी लत लग जाती है, फलतः कई प्रकार की गंभीर समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं (साकेत तथा कृष्णा, 2020)। अतः आज के डिजिटल युग में विद्यार्थियों को मानसिक व अन्य शारीरिक विकारों से बचाने के साथ-साथ इनके सर्वांगीण विकास हेतु विद्यार्थियों को घर व विद्यालय में होने वाली विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में आवश्यक रूप से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यह शारीरिक गतिविधि आधारित क्रियाकलाप बच्चों में अधिगम व शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर बनाकर सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं।

शिक्षा में खेलों की भूमिका को बढ़ावा देने हेतु दस्तावेज़ व नीतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.) में बिंदु 4.8 (पृष्ठ संख्या 18) में खेलों का शिक्षा में महत्व को दर्शाते हुए बताया गया है कि खेलों का विभिन्न विषयों के साथ समन्वयन एक शिक्षाशास्त्री उपागम है। जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानीय खेलों या अन्य शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण व अधिगम में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली गतिविधियों अथवा अन्य खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों का सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक आदि पक्षों के विकास के साथ-साथ उनमें टीम भावना, स्व-अनुशासन, स्व-निर्देशन तथा कुशल नागरिकता आदि के कौशलों का विकास करने

में सहायक होते हैं। इस नीति में यह भी सिफ़ारिश की गई है कि यह खेल समन्वयन आधारित शिक्षण व अधिगम कक्षा के दौरान होगा जिससे वह अपने शारीरिक फिटनेस को एक अनिवार्य दृष्टिकोण के रूप में अपना सकें और 'फिट इंडिया मूवमेंट' कार्यक्रम में अभिलक्षित किए गए उद्देश्यों के अनुसार फिटनेस के स्तर में वृद्धि के साथ संबंधित आवश्यक जीवन कौशलों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

- "सभी चरणों में, प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा।"
- "रचनात्मक और नवीनता; सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना; मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति एवं संवाद; स्वास्थ्य और पोषण; शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल; सहयोग और टीम वर्क; समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन; व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल पर ज़ोर दिया जाए।" (एन.ई.पी. 2020)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में छह से चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास को अधिकतम स्तर तक विकसित करने हेतु प्रयास करने पर ज़ोर दिया गया है। जो खेलों को विभिन्न विषयों के साथ समन्वयित करके किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रशासन को सभी विद्यालयों में खेल के महत्व को स्वीकारते हुए खेल संबंधित सभी उपकरण व इन पर आधारित अध्ययन सामग्री को उपलब्ध करवाने का प्रावधान करता है जिससे कि इनके अभाव की स्थिति में कोई भी विद्यार्थी अपने शारीरिक व मानसिक पक्षों को विकसित करने में अक्षम न रहे और अपने शारीरिक विकास के साथ-साथ अधिगम के उच्चतम स्तर पर पहुँचे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो बच्चों में बिना बोझ के शिक्षा पर ज़ोर देती है जिसमें खेल-आधारित शिक्षण व अधिगम व्यवस्था अपनाने की अनुशंसा की गई है। इस रूपरेखा में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में खेल और योग आदि, जैसे विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है जिससे कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक पक्षों का विकास हो सके और स्वस्थ रह सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने विद्यार्थियों में रटकर सीखने को हटाने, ज्ञान को विद्यालय के बाहर की गतिविधियों से जोड़ने और पाठ्यपुस्तक से परे ज्ञान को देने की सिफ़ारिश की है तथा शिक्षा हेतु ऐसे प्रविधियों व विधियों का उपयोग करने हेतु ज़ोर दिया है जो खेल जैसी गतिविधियों पर भी आधारित हो।

विद्यार्थियों के विकास पर खेलों का महत्व

बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर खेल-आधारित अधिगम क्रियाकलापों को करवाया जाता है। यह गतिविधियाँ विद्यार्थियों के आयु स्तर, सिखाए जाने वाले विषय की प्रकृति आदि को ध्यान में रखकर चुनी जातीं हैं। खेल एकीकृत शिक्षण व अधिगम विधियाँ विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक पक्षों के विकास

में महत्वपूर्ण स्थान रखतीं हैं। खेल समन्वयित शिक्षण क्रियाकलापों के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

विद्यार्थियों के स्वस्थ शारीरिक विकास हेतु

विद्यालयों में बच्चे कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेल खेलते हैं जिसमें ये शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर प्रतिभाग करते हैं। खेल विद्यार्थियों के विभिन्न शारीरिक पक्षों की वृद्धि, जैसे— लंबाई, ऊँचाई, वज़न तथा माँसपेशियों के विकास आदि में सहायक होते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो खेल-आधारित गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करते हैं, उनका शारीरिक विकास इन गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में कम होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में जितना महत्व पोषक पदार्थों का है, उतना ही महत्व खेलों का भी है, क्योंकि यदि हम सिर्फ़ पोषक पदार्थों का सेवन तो करें, लेकिन वर्कआउट न करें तो शरीर का पोषण उत्तम तरीके से नहीं होगा। अतः बच्चों के उत्तम शारीरिक विकास हेतु खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बिना स्वस्थ शारीरिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

विद्यार्थियों में तनाव को कम करने हेतु

विद्यार्थी जब कक्षा-कक्ष से बाहर निकलकर खेल के मैदान में जाते हैं तो स्वतंत्रतापूर्वक, हर्षोल्लास के साथ अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करते हैं, साथ ही अपनी रुचि के अनुसार खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। खेल खेलने के दौरान शारीरिक रूप से प्रतिभाग करने पर उनके शरीर में कुछ हॉर्मोंस के बदलाव होते हैं जिससे उनमें तनाव का स्तर भी कम होता है। फलतः उनका मन पढ़ाई में प्रभावपूर्ण तरीके से लगता है।

अधिगम को रोचक बनाने हेतु

पारंपरिक शिक्षण व अधिगम व्यवस्था, व्याख्यान व रटने की प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में विभिन्न शिक्षा नीतियों जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आदि में विद्यार्थियों को खेल के माध्यम से सिखाने पर ज़ोर दिया गया है। जब विद्यार्थियों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है तो यह तरीका उनमें अधिगम हेतु रुचि उत्पन्न करता है और हम सभी जानते है कि अधिगम तभी प्रभावी हो सकता है जब यह रुचिकर हो।

"खेल-समन्वय एक और क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व-अनुशासन, टीम भावना, ज़िम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा, ताकि विद्यार्थियों को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और 'फिट इंडिया मूवमेंट' में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ-साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है, क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएँ भी बढ़ती हैं।" (एन.ई.पी. 2020)

अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना

विद्यार्थियों में अधिगम तभी प्रभावी होता है जब वे सीखने हेतु अभिप्रेरित हों। थोर्नडाइक ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सुनहरा पथ कहा है, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी सीखने हेतु अभिप्रेरित है तो उसमें अधिगम का स्तर भी उच्च होगा। अतः जब हम विद्यार्थियों को खेल विधि या खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो वह अधिगम हेतु स्वतः उत्प्रेरित होते हैं।

विद्यार्थियों के संवेगात्मक व भावनात्मक विकास हेतु

जब विद्यार्थी खेल के मैदान में एक साथ मिल-जुलकर खेलते हैं तो वह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आए हुए बच्चों के साथ अन्योन्यक्रिया करते हैं। वह एक-दूसरे की भाषा, संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा आदि के बारे में जानते हैं, साथ ही एक-दूसरे की भावनाओं को समझना, उनके सुख-दुःख आदि को समझकर विषम परिस्थितियों में एक-दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। उपरोक्त सभी क्रियाएँ विद्यार्थियों के संवेगात्मक व भावनात्मक पक्ष के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास हेतु

बच्चे जब खेल के मैदान में तरह-तरह के पारंपरिक एवं आधुनिक खेल खेलते हैं तो वह स्कोर करना सीखते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें गणित सिखाने में सहायक होता है। साथ ही जब वह फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट की गेंद को क्रमशः जब हाथ, पैर व बल्ले से मारते हैं तो उससे पहले यह विचार करते हैं कि किस दिशा में और किस कोण से मारा जाए कि सीधे गोल; अर्थात निर्धारित की गई जगह पर जाकर ही गिरे, यह भी अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को गणित सिखाने में सहायक होता है।

विद्यार्थियों में टीम भावना व नेतृत्व का विकास करने हेतु

किसी भी खेल को खेलने से पहले उन्हें टीमों में बाँटा जाता है और हर टीम में एक नेतृत्वकर्ता होता है जो टीम के सभी सदस्यों को निर्देशित करता है। साथ ही सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर खेलते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अपनी टीम को विजयी बनाने का होता है। वह जानते हैं कि यदि वह सब मिल-जुलकर नहीं खेलेंगे तो उनकी टीम का विजयी होना मुश्किल होगा। खेलों में विद्यार्थियों की यही भावनाएँ उनमें टीम भावना तथा कुशल नेतृत्व का विकास करती हैं।

विद्यार्थियों में स्व-अनुशासन, स्व-निर्देशन व नागरिकता के कौशलों का विकास करने हेतु

खेल विद्यार्थियों में स्व-अनुशासन, स्व-निर्देशन व कुशल नागरिकता के कौशलों के गुण विकसित करते हैं, क्योंकि खेल के मैदान में जब विद्यार्थी किसी भी खेल में प्रतिभाग करते हैं तो वहाँ पर सभी अपने को नियंत्रित करते हुए व अपने आप को निर्देशित करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी टीम आगे बढ़ सके। खेल खेलते समय क्रीड़ा स्थल पर शिक्षक का कोई प्रत्यक्ष निर्देशन व अनुशासन नहीं होता है फिर भी जीत की भावना के साथ वह सभी नियंत्रित व अनुशासित होकर कार्य करते हैं। फलतः खेल विद्यार्थियों में उपरोक्त गुणों का विकास करने में भी सहायक होते हैं।

"वर्ष भर में बस्ता-रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्विज़, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व के स्थानों/स्मारकों का दौरा करने, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गाँव/तहसील/ज़िला/राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर दिया जाएगा।" (एन.ई.पी., 2020)

निष्कर्ष

खेलों का मानव जाति से बहुत पुराना संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुराने समय में खेलों आदि का उपयोग मनुष्यों द्वारा समय के उपयोग तथा मनोरंजन आदि के लिए किया जाता था। खेलों से व्यक्तियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ उनके अन्य पक्षों का विकास भी उच्च स्तर तक होता है। वर्तमान समय में शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का मानसिक विकास तो होता है, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता है। यदि विद्यार्थियों को शिक्षा खेल विधि के माध्यम से दी जाए तो यह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। खेलों के द्वारा विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक व शारीरिक विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी खेल को अन्य विषय के साथ समन्वयित करने की सिफ़ारिश की है जिसमें स्थानीय व अन्य खेल आधारित गतिविधियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत किया जाएगा। जब विद्यार्थियों को शिक्षा खेलों के माध्यम से दी जाएगी तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा जिससे वह एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा, रहन-सहन तथा रीति-रिवाज़ आदि के बारे में सीख सकेंगे और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, विकास का स्तर बढ़ सकेगा। इसके साथ ही खेल-आधारित शिक्षण व अधिगम के द्वारा विद्यार्थी सीखने हेतु अभिप्रेरित होंगे और अधिक सक्रिय रूप से अधिगम में प्रतिभाग करेंगे जिससे शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

संदर्भ

अल्वेस, जे.जी.बी. और जी. वी. अल्वेस. 2018. इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन चिल्ड्रेन्स ग्रोथ. *जर्नल डे पेडिएट्रिया*. 95 (1)

डफाल्ला, यस.यच.के. 2016. द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल गेम्स ऑन द अकेडमिक अचीवमेंट ऑफ फिफ्थ ग्रेड़ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च*. 4(12).

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2009. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

मिलाम्बो, एम. और टी.ओ. पेचो. 2021. इंफ्लुएंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑन एन्हान्सिंग स्टूडेंट्स अकेडमिक परफॉर्मेंस इन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स इन न्यामगंद डिस्ट्रिक्ट. *जर्नल ऑफ हुमेनीटीज एंड एजुकेशन डेवलपमेंट*.13(1).

मोंटेसरी, एम. 2008. द *मोंटेसरी मेथड*. वाइल्डर पब्लिकेशंस.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

साकेत, वी.एस. और जी. कृष्णा. 2020. *इम्पैक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऑन स्टूडेंट्स लाइफ*. https://www.researchgate.net/publication/345972689

स्टेड, आर. और एम. नेविल. 2010. द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट ऑन एजुकेशन आउटकम. *अ रिव्यु ऑफ लिट्रेचर*. इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ स्पोर्ट, लौगबॉर्ग यूनिवर्सिटी.

3

प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों तथा शोधार्थियों के लिए पैमाना निर्माण तथा मानकीकरण की प्रक्रिया

एक उदाहरण

पुष्पेन्द्र यादव*

एक शिक्षक का प्रमुख गुण है कि उसमें शोध करने का नज़रिया और शोध द्वारा समस्याओं के हल खोजने की क्षमता हो। एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उसे विद्यालय में शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना चाहिए और शोध के द्वारा ऐसी शिक्षणशास्त्रीय विधियों और प्रविधियों का चयन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों द्वारा सीखने के प्रतिफलों को सरलता से प्राप्त किया जा सके एवं अधिगम सुगम और आनंदायक हो। कई बार शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा में कई तरह के शोध उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे— किसी विषय के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, रुचि और कौशल को जानने के लिए अवलोकन अनुसूची, जाँच सूची और लिकर्ट आधारित पैमाने इत्यादि। इस शोधकार्य में शोधार्थी ने प्रारंभिक स्तर पर गणित विषय में विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम का पता लगाने के लिए अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के निर्माण की प्रक्रिया को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। शोधकर्ता ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित में अर्थपूर्ण अधिगम पैमाना विकसित किया है जिसके लिए आँकड़ों का संकलन अक्तूबर, 2022 के माह में दिल्ली से दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कुल चार सह-शिक्षा (Co-Ed) सर्वोदय विद्यालयों से किया गया है। शोधक द्वारा इस शोधपत्र में अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के निर्माण के समस्त चरण एवं उसके मानकीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से यह शोधकार्य शिक्षकों और शोधार्थियों को उपकरण निर्माण एवं मानकीकरण करने में सहायता प्रदान करेगा।

शोध उपकरण क्या है?

एक शोध उपकरण को एक उपकरण, सॉफ्टवेयर, कार्यप्रणाली, या शोधकर्ताओं द्वारा शोधप्रश्नों का उत्तर देने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, या किसी विशेष विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आँकड़ों को इकट्ठा करने, संसाधित करने, विश्लेषण

*पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग (केंद्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, 33, छात्र मार्ग, दिल्ली 110 071

करने या व्याख्या करने के लिए नियोजित किसी भी संसाधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शोध उपकरण भौतिक और डिजिटल संसाधनों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल कर सकते हैं, जिनमें सर्वेक्षण, प्रयोग, डेटा संग्रह उपकरण, डेटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर, अवलोकन प्रोटोकॉल और बहुत कुछ शामिल हैं।

शोध उपकरण के प्रकार

विद्यालय स्तर पर मुख्य रूप से जिन भौतिक उपकरणों का प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जाता है उनमें विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली, लिकर्ट पैमाना, अवलोकन अनुसूची, जाँच अनुसूची इत्यादि प्रमुख हैं। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को कई प्रकार के उपकरण प्रयोग करने पड़ते हैं। कई बार ये उपकरण मानकीकृत होते हैं जब कि कई बार शिक्षक को समस्या को समझते हुए उससे संबंधित उपकरण स्वयं निर्मित करने होते हैं जो कि एक छोटे शोध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं एवं अमानकीकृत होते हैं। कई बार इन अमानकीकृत उपकरणों की वैधता और विश्वसनीयता प्रश्न के घेरे में होती है। वहीं अगर मापने वाले चर से संबंधित मानकीकृत उपकरण उपलब्ध हों तो ऐसे में शिक्षकों का समय भी बच सकता है और इसे बिना किसी संदेह और परेशानी के शोध में प्रयोग में लाया जा सकता है एवं तीव्रता से परिणाम प्राप्त कर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए, प्राथमिक स्तर पर एक मानकीकृत उपकरण को कैसे निर्मित किया जा सकता है? इस प्रक्रिया को इस आलेख में उदाहरण के रूप में बताया गया है।

मानकीकृत उपकरण और आवश्यकता

एक मानकीकृत उपकरण एक सुसंगत और समान उपकरण या मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है। उसे विभिन्न सेटिंग्स में, अलग-अलग विद्यार्थियों के समूहों में, निश्चित समय अवधि में विश्वसनीय और वैध तरीके से कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, रुचि इत्यादि को मापने के लिए निर्मित किया जाता है। इन उपकरणों को सावधानीपूर्वक विकसित और परिष्कृत किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त परिणाम सुसंगत और तुलनीय हैं। जिससे शोधकर्ताओं को शैक्षिक घटनाओं के बारे में सार्थक निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिलती है। विद्यालय स्तर पर मानकीकृत उपकरण के प्रयोग करने से जो लाभ होते हैं उन्हें नीचे संक्षेप में बताया गया है—

संगति और तुलनीयता— मानकीकृत उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि एकत्र किए गए आँकड़े विभिन्न प्रतिभागियों, सेटिंग्स और समय अवधि में एक समान है। यह स्थिरता के साथ शिक्षकों और शोधकर्ताओं को विभिन्न अध्ययनों या समूहों के परिणामों की तुलना करने की अनुमति देते हैं, जिससे रुझानों, पैटर्न और अंतरों की सटीक पहचान करना संभव हो जाता है।

विश्वसनीयता—मानकीकृत उपकरण विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लगातार वही मापते हैं जो वे मापना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्त परिणाम भरोसेमंद हैं और यादृच्छिक उतार-चढ़ाव से प्रभावित नही हैं।

वैधता— मानकीकृत उपकरण विशिष्ट संरचनाओं या चर को मापने के लिए विकसित किए जाते हैं जिनका वे मूल्यांकन करना चाहते हैं। वैधता से तात्पर्य

यह है कि उपकरण जो मापने का दावा करता है, उसे सटीकता से मापता है या नहीं। उचित रूप से विकसित मानकीकृत उपकरण अपनी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कठोर सत्यापन प्रक्रियाओं से गुज़रते हैं।

सामान्यीकरण— जब शोध के निष्कर्ष मानकीकृत उपकरणों पर आधारित होते हैं, तो उन्हें व्यापक आबादी या सेटिंग्स के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मानकीकृत उपकरण विभिन्न संदर्भों में लागू होने के लिए विकसित किए जाते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को ऐसे निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिलती है जो विशिष्ट अध्ययन नमूने से परे प्रासंगिक हैं।

दक्षता— मानकीकृत उपकरणों में अक्सर स्थापित प्रशासन प्रक्रियाएँ और स्कोरिंग विधियाँ होती हैं। ये आँकड़ों के संग्रह और विश्लेषण को अधिक कुशल बनाती हैं, जिससे शोधकर्ताओं के समय और संसाधनों की बचत होती है।

पूर्वाग्रह को न्यूनतम करना— एक मानकीकृत उपकरण का उपयोग करके, शोधकर्ता आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण में पूर्वाग्रह की संभावना को कम कर सकते हैं। सभी को एक ही तरह से मापा जाता है, जिससे परिणामों को प्रभावित करने वाले अनजाने पूर्वाग्रहों की संभावना कम हो जाती है।

अनुदैर्ध्य अध्ययन— विस्तारित अवधि में अनुसंधान करते समय, मानकीकृत उपकरण विभिन्न समय बिंदुओं पर चर के लगातार माप की अनुमति देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि परिवर्तन या विकास सटीक रूप से कैप्चर किए गए हैं।

नैतिक विचार— मानकीकृत उपकरणों का उपयोग अनुसंधान की नैतिक कठोरता में योगदान कर सकता है। मान्य उपकरणों का उपयोग करके, शोधकर्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे संवेदनशील विषयों या निर्माणों को संवेदनशीलता और सटीकता के साथ माप रहे हैं।

उपकरण निर्माण की प्रक्रिया

यह शोधपत्र प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के गणित विषय में अर्थपूर्ण अधिगम को समझने के लिए शोधकर्ता द्वारा निर्मित अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने (Meaningful Learning Scale) पर आधारित है। अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के निर्माण के लिए शोधक ने प्रारंभिक स्तर पर अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित साहित्य की समीक्षा करने के पश्चात एवं अर्थपूर्ण अधिगम पर भारत के बाहर बनाए गए पैमानों का गंभीरता से विश्लेषण करने के बाद कुछ प्रमुख आयामों को चिह्नित किया है। इससे पहले कि हम अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के निर्माण और मानकीकरण के चरणों को समझें बहुत संक्षेप में हम ये जान लेते हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम क्या है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेविड असुबेल के अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम मॉडल 1960 के अनुसार, अर्थपूर्ण अधिगम तभी होता है जब शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी नई अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं एवं वे नई जानकारी और पुरानी जानकारी के बीच एक मज़बूत संबंध बनाने में सफल हो पाते हैं। विद्यार्थी इस संबंध को अपनी क्षमता एवं सुविधा के अनुसार समझ पाते हैं या बनता देख पाते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम

को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आलेख में दर्शाया गया है—

आलेख 1— अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आवश्यक गतिविधियाँ

अधिगम पूछताछ आधारित हो एवं पुरस्कार की भावना शामिल हो
अधिगम संबंधपरक हो (सामाजिक और भावनात्मक परिप्रेक्ष्य में)
अधिगम की प्रक्रिया बहुविधि आधारित हो और सामूहिक रूप से हो
अधिगम अनुभवात्मक और सहयोगात्मक हो

उपकरण निर्माण के उद्देश्य

- प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने को विकसित करना।
- अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने की वैधता और विश्वनीयता का पता लगाना।

क्रियाविधि

इस शोध के लिए शोधक ने आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

प्रतिभागी

इस शोध के लिए शोधक ने उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत चार सह-शिक्षा सर्वोदय विद्यालयों से आँकड़े एकत्रित किए हैं। सभी विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी.एस.ई.) द्वारा संचालित थे एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। उपकरण निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को आगे बताया गया है।

उपकरण निर्माण प्रक्रिया

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के विकास के लिए निम्नलिखित चरणों को प्रयोग में लिया गया है, उन्हें तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— उपकरण निर्माण में शामिल किए गए चरण

1. अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के लिए आयामों का निर्धारण	6. एकांश विश्लेषण
2. एकांशों का विकास	7. एकांशों को अंतिम रूप देना
3. एकांशों की वैधता	8. एकांशों की फलांकन विधि क. विश्वसनीयता ख. वैधता
4. प्रथम परीक्षण चरण	
5. द्वितीय परीक्षण चरण	

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के लिए आयामों का निर्धारण

शोधक ने अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित साहित्य का गंभीरता से विश्लेषण किया एवं उन आयामों को चिह्नित किया जिनके आधार पर विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखने के दौरान अर्थपूर्ण अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में प्रारंभिक स्तर पर गणित विषय में विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को समझने के लिए अभी तक कोई भी मानकीकृत पैमाना उपलब्ध नहीं है। किंतु शोधकर्ता ने पश्चिमी देशों में अर्थपूर्ण अधिगम पर उपलब्ध शोधों की समीक्षा की और भारतीय संदर्भ में विद्यार्थियों की गणित के प्रति समझ और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आयामों का निर्धारण किया, जिन्हें तालिका 2 में बताया गया है।

तालिका 2— अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के लिए निर्धारित आयाम

क्र.सं.	आयाम
1.	सहयोगात्मक अधिगम
2.	सक्रिय अधिगम
3.	रचनात्मक अधिगम
4.	प्रमाणिक अधिगम

सहयोगात्मक अधिगम— सहयोगात्मक अधिगम बच्चों से बच्चों में या बड़े समूहों में हो सकता है। समूह अधिगम, या समूह अनुदेशन, एक प्रकार का सहयोगी शिक्षण है जिसमें विद्यार्थियों को जोड़े या छोटे समूहों में काम करना होता है।

सक्रिय अधिगम— सक्रिय अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी नई अवधारणाओं को सीखने के दौरान उन पर सोचने, उन पर चर्चा करने, उनकी जाँच करने और उनके संभावित हल खोजने में संलग्न होते हैं।

रचनात्मक अधिगम— विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, यह समझने के लिए रचनावादी अधिगम का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह विचार कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, रचनावाद का केंद्र है।

प्रमाणिक अधिगम— प्रमाणिक अधिगम शिक्षा एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को उन संदर्भों में अवधारणाओं और संबंधों का पता लगाने, चर्चा करने और अर्थपूर्ण रूप से ज्ञान के निर्माण करने की अनुमति देता है जिनमें वास्तविक दुनिया की समस्याएँ और परियोजनाएँ शामिल हैं।

उपकरण के लिए एकांशों का विकास

तालिका 3 में बताए गए आयामों के आधार पर शोधक ने प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को समझने के लिए एकांशों का लेखन प्रारंभ किया। चूँकि, यह अर्थपूर्ण अधिगम पैमाना कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है जिनका आयु वर्ग सामान्यतः 11 वर्ष से 14 वर्ष के आस-पास होता है, इसलिए शोधक ने विद्यार्थियों का आयुवर्ग, उपलब्ध मनोवैज्ञानिक साक्ष्य एवं पहले हो चुके शोधों से प्राप्त सूझ के आधार पर इस शोधकार्य में प्रत्येक एकांश के लिए 5-पॉइंट लिकर्ट रेटिंग पैमाने का चयन किया है। प्रारंभ में उपर्युक्त आयामों के आधार पर 37 एकांशों का समूह तैयार किया गया। प्रत्येक एकांश पर प्रतिक्रिया देने के लिए लिकर्ट 5-पॉइंट रेटिंग पैमाने पर आधारित पाँच विकल्प प्रदान किए गए जिनमें से विद्यार्थी को अपनी समझ के अनुसार किसी एक विकल्प को चिह्नित करना था।

एकांशों की वैधता

शोधक द्वारा तैयार किए गए अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने का प्रथम प्रारूप अपने शोध पर्यवेक्षक, शिक्षा जगत के विषय-विशेषज्ञों एवं गणित विषय से जुड़े विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहायक आचार्य एवं प्रारंभिक स्तर पर अध्यापन कर रहे गणित विषय के शिक्षकों को आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए दिया गया। जिससे यह पता लगाया जा सके कि अर्थपूर्ण अधिगम

तालिका 3— अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के लिए निर्धारित 5-पॉइंट लिकर्ट पैमाना

क्र.सं.	एकांश	पूर्णतया असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूर्णतया सहमत
1.						

पैमाने में सम्मिलित किए गए। सभी एकांश सही प्रकार से संबंधित विषय के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। विषय-विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने में अस्पष्ट प्रश्नों की भाषा में आवश्यक सुधार किया गया। पैमाने में कुछ प्रश्नों को हटाया भी गया। इस प्रकार अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने में कुल 37 एकांशों को यादृच्छिक प्रकार से व्यवस्थित करके इसका द्वितीय प्रारूप तैयार किया गया। आयामों के अनुसार एकांशों का विवरण तालिका 4 में दिया गया है।

प्रथम परीक्षण चरण

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के लिए 37 एकांशों का प्रथम प्रारूप तैयार कर लेने के उपरांत शोधक ने विद्यार्थियों की उपकरण के प्रति पहली प्रतिक्रिया को समझने के लिए सी.बी.एस.सी. से संबद्ध जीसस मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बुराड़ी, दिल्ली से कक्षा 8 के कुल 40 सह-शिक्षा विद्यार्थियों को उपकरण वितरित किया और उनसे उनकी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। वितरण के पश्चात शोधक ने एकांशों के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहारों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्यार्थियों से प्राप्त अनुक्रिया के आधार पर शोधकर्ता ने ऐसे एकांशों को चिह्नित किया जिनको समझने में विद्यार्थियों को समस्या आ रही थी। सभी चिह्नित एकांशों को पुनः विषय विशेषज्ञों और भाषा विशेषज्ञों की सहायता से और सरल बनाया गया।

द्वितीय परीक्षण चरण— परिक्षण के एकांशों का मात्रात्मक मूल्यांकन

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के द्वितीय प्रारूप के मात्रात्मक मूल्यांकन हेतु कक्षा 8 के गणित विषय के 370 विद्यार्थियों का चयन प्रतिनिधिक न्यादर्श पर किया गया। अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के द्वितीय प्रारूप में कुल 37 एकांश थे। प्रत्येक एकांश के कुल पाँच विकल्प (1, 2, 3, 4, 5) दिए गए थे। प्रयोज्य को प्रत्येक एकांश ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी सोच और समझ के अनुसार सामने दिए गए पाँच विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर उस पर चिह्न लगाना था। अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के इस परीक्षण के लिए विद्यार्थियों को कुल 1 घंटा समय दिया गया। परीक्षा की समय-सीमा पूरी होने के पश्चात विद्यार्थियों से अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने प्रपत्र वापस लेकर उनका फलांकन, उत्तर कुंजी की सहायता से किया गया। विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार किसी एकांश पर न्यूनतम एक अंक और अधिकतम पाँच अंक प्रदान किए गए।

तालिका 4— अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के प्रथम प्रारूप में एकांशों का विवरण

एकांशों के आयाम	एकांशों की संख्या	सकारात्मक एकांश	नकारात्मक एकांश
सहयोगात्मक अधिगम	9	6	3
सक्रिय अधिगम	10	7	3
रचनात्मक अधिगम	9	6	3
प्रमाणिक अधिगम	9	6	3
कुल एकांश	**37**	**25**	**12**

एकांश विश्लेषण

पाँच बिंदु लिकर्ट पैमाने से प्राप्त आँकड़े अलग (Discrete), क्रमिक (Ordinal) और लिमिटेड परास (Limited Range) में हो सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के पैमाने का किस विधि द्वारा विश्लेषण किया जाए इसको लेकर सांख्यिकीय विशेषज्ञों में एक मत नही हैं। कई प्रकार के शोधों का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षणों (Parametric and Non-Parametric Tests) द्वारा इस प्रकार के पैमाने के एकांशों का विश्लेषण किया जा सकता है। प्राचलिक परीक्षणों में 2-प्रतिदर्श टी-परीक्षण (2-sample t-test) और अप्राचलिक परीक्षणों में मान-व्हिटनी टेस्ट (Mann-Whitney Test) को उपयुक्त माना गया है। प्रस्तुत शोध में एकत्रित आँकड़े सामान्य संभावना वक्र (Normal Probability Curve) की परिपाटी को पूरा करते हैं, इसलिए शोधक द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के एकांशों के विश्लेषण के लिए द्वि-प्रतिदर्श टी-परीक्षण सांख्यिकीय का प्रयोग किया गया है एवं एकांशों की सार्थकता का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया है—

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{N_1} + \frac{s_2^2}{N_2}}}$$

यहाँ

X_1 = उच्च समूह का माध्य

X_2 = निम्न समूह का माध्य

N_1 = उच्च समूह में प्रयोज्यों की संख्या

N_2 = निम्न समूह में प्रयोज्यों की संख्या

S_1^2 = उच्च समूह का प्रतिदर्श प्रसरण

S_2^2 = निम्न समूह का प्रतिदर्श प्रसरण

इस शोध कार्य में अर्थपूर्ण अधिगम पैमाना के एकांशों का विश्लेषण करने के लिए शोधक द्वारा सभी 370 उत्तरदाताओं के उत्तर पत्रकों को प्राप्तांकों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर पत्रकों के व्यवस्थित क्रम के ऊपरी 27 प्रतिशत (100) उत्तर पत्रकों तथा निचले 27 प्रतिशत (100) उत्तर पत्रकों को एकांशों के विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया। प्रत्येक एकांश पर उच्च समूह के प्राप्तांको में से निचले समूह प्राप्तांकों का अंतर ज्ञात कर क्रांतिक अनुपात (t-ratio) के आधार पर इन दोनों समूह के अंतरों की सार्थकता की जाँच की गई। प्रत्येक एकांश के प्राप्तांकों में जितना अधिक अंतर होता है, वह उतना ही अधिक बेहतर एकांश माना जाता है, क्योंकि यह निम्न समूह तथा उच्च समूह को प्रभावी तरीके से विभेदीकृत कर देता है। ऐसे एकांश जिनकी पी-वैल्यू 0.05 से अधिक प्राप्त हुई एवं साथ ही जिनके टी-परिक्षण का मान अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुआ जैसे कि एकांश संख्या 3, 4, 5, 9, 21 और 34, इन्हें अस्वीकार कर अर्थपूर्ण अधिगम पैमाना से बाहर कर दिया गया। अब एकांश विश्लेषण के उपरांत अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने में कुल 31 एकांश ऐसे थे जिनकी पी-वैल्यू 0.05 से कम थी और टी-परीक्षण का मान भी संतोषजनक था जिसका विवरण तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5— अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के एकांशों का विश्लेषण

समूह सांख्यिकी							
क्र.सं.	समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी-वैल्यू	पी-वैल्यू	टिप्पणी
1.	उच्च समूह	100	4.56	.935	7.541	.00	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.31	1.368			
2.	उच्च समूह	100	3.30	1.159	3.704	.00	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.74	.970			
3.	उच्च समूह	100	3.43	1.174	2.407	.017	अस्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.03	1.176			
4.	उच्च समूह	100	3.55	1.507	2.293	.004	अस्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.97	1.291			
5.	उच्च समूह	100	2.90	1.176	.804	.422	अस्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.77	1.109			
6.	उच्च समूह	100	4.10	1.219	4.844	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	99	3.24	1.278			
7.	उच्च समूह	100	4.50	.882	8.665	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.18	1.242			
8.	उच्च समूह	100	4.19	1.070	4.924	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.35	1.329			
9.	उच्च समूह	100	3.40	1.385	2.010	.046	अस्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.00	1.428			
10.	उच्च समूह	100	4.57	.856	8.535	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.22	1.330			
11.	उच्च समूह	100	4.56	.868	8.690	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.19	1.316			
12.	उच्च समूह	100	4.76	.515	9.785	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.41	1.280			
13.	उच्च समूह	100	4.07	1.112	7.505	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.84	1.204			
14.	उच्च समूह	100	4.40	.974	6.519	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.32	1.340			
15.	उच्च समूह	100	3.23	1.188	2.966	.003	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.71	1.289			
16.	उच्च समूह	100	4.40	.943	9.061	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.01	1.210			

17.	उच्च समूह	100	3.44	1.140	3.929	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.80	1.163			
18.	उच्च समूह	100	4.82	.770	8.090	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.47	1.480			
19.	उच्च समूह	100	4.08	1.089	6.274	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.00	1.333			
20.	उच्च समूह	100	4.07	1.027	5.831	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.11	1.286			
21.	उच्च समूह	100	2.73	1.370	-2.245	.026	अस्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.15	1.274			
22.	उच्च समूह	100	4.05	1.123	9.833	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.52	1.078			
23.	उच्च समूह	100	3.87	1.212	5.148	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.01	1.150			
24.	उच्च समूह	100	4.17	1.092	6.077	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.19	1.187			
25.	उच्च समूह	100	4.08	1.212	6.228	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.04	1.127			
26.	उच्च समूह	100	4.12	.946	8.891	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.77	1.188			
27.	उच्च समूह	100	4.11	.973	9.603	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.68	1.127			
28.	उच्च समूह	100	4.00	1.198	8.426	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.62	1.117			
29.	उच्च समूह	100	4.27	1.014	6.369	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.26	1.220			
30.	उच्च समूह	100	3.81	1.169	4.239	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.09	1.232			
31.	उच्च समूह	100	4.05	1.123	5.627	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.06	1.355			
32.	उच्च समूह	100	4.60	.791	8.264	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.37	1.261			
33.	उच्च समूह	100	4.12	.924	9.208	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.82	1.067			
34.	उच्च समूह	100	2.11	1.543	-1.795	.074	अस्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.48	1.367			

35.	उच्च समूह	100	4.42	.976	9.656	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.86	1.287			
36.	उच्च समूह	100	3.84	1.398	5.372	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	2.86	1.172			
37.	उच्च समूह	100	4.70	.704	7.334	.000	स्वीकृत
	निम्न समूह	100	3.48	1.507			

एकांशों को अंतिम रूप देना

उपकरण के एकांशों का विश्लेषण करने के उपरांत 6 एकांशों को अस्वीकार कर दिया गया एवं शेष बचे एकांशों को यादृच्छिक ढंग से व्यवस्थित किया गया। अब जो उपकरण का स्वरूप शोधक को प्राप्त हुआ उसमें आयामों के अनुसार एकांश और सकारात्मक एवं ऋणात्मक एकांशों के विवरण को तालिका 6 में बताया गया है।

एकांशों की फलांकन विधि

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के लिए शोधक ने कुल एकांशों के लगभग 29.03 प्रतिशत एकांशों को नकारात्मक एकांश के रूप में विकसित किया है। अंतिम रूप से तैयार किए जा चुके एकांशों को यादृच्छिक ढंग से सकारात्मक एवं नकारात्मक एकांशों को एक साथ मिश्रित कर लिया जाता है और इस प्रकार से पैमाने का अंतिम रूप तैयार कर लिया जाता है। सकारात्मक एकांशों में पूर्णतया असहमत के लिए 1 अंक, असहमत के लिए 2 अंक, पता नहीं के लिए 3 अंक, सहमत के लिए 4 अंक और पूर्णतया सहमत के लिए 5 अंक प्रदान किए गए हैं। जबकि नकारात्मक एकांशों में इसके विपरीत पूर्णतया असहमत के लिए 5 अंक, असहमत के लिए 4 अंक, पता नहीं के लिए 3 अंक, सहमत के लिए 2 अंक और पूर्णतया सहमत के लिए 1 अंक प्रदान किए गए हैं।

तालिका 6— एकांश विश्लेषण के बाद उपकरण में एकांशों की स्थिति

एकांशों के आयाम	**एकांशों की संख्या**	**सकारात्मक एकांश**	**नकारात्मक एकांश**
सहयोगात्मक अधिगम	6	4	2
सक्रिय अधिगम	8	5	3
रचनात्मक अधिगम	8	6	2
प्रमाणिक अधिगम	9	7	2
कुल एकांश	**31**	**22**	**09**

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के कुछ एकांशों के फलांकन को तालिका 7 में उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है।

तालिका में दर्शाए गए अंकों के आधार पर प्रत्येक एकांश का फलांकन शोधक द्वारा कर लिया जाता है और अंत में सभी एकांशों पर विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को आपस में जोड़कर किसी विद्यार्थी के कुल अंकों की गणना कर ली जाती है।

मानकीकरण— अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने की विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाना की विश्वसनीयता

विश्वसनीयता किसी भी उपकरण का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य उपकरण के प्राप्तांकों की परिशुद्धता से होता है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, उसे भविष्य में पुनः प्रशासित करके संगत आँकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि अर्थपूर्ण अधिगम पैमाना, 5-पॉइंट लिकर्ट पैमाने पर आधारित है, इसलिए इस उपकरण की विश्वसनीयता सूचकांक की गणना करने के लिए क्रोनबैक अल्फा विश्वसनीयता विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। शोधक द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने की आंतरिक संगति विश्वसनीयता (Internal Consistency Reliability) ज्ञात करने के लिए एस.पी.एस.एस. (SPSS) के वर्जन 20 सॉफ्टवेयर द्वारा क्रोनबैक विश्वसनीयता सूचकांक की गणना की गई जिसका परिणाम तालिका 8 में लिखा गया है।

तालिका 7— एकांशों का फलांकन

क्र. सं.	एकांश का प्रकार	पूर्णतया असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत (अंक)	पूर्णतया सहमत
1.	मुझे समूहों में गणित के सवाल हल करने में आनंद आता है। (सकारात्मक एकांश)	1	2	3	4	5
2.	मुझे गणित सीखने से संबंधित गतिविधियाँ उबाऊ लगती हैं। (नकारात्मक एकांश)	5	4	3	2	1
3.	मुझे अपने आप गणित के सवालों को हल करने में आनंद आता है। (सकारात्मक एकांश)	1	2	3	4	5
4.	मुझे लगता है गणित की गतिविधियों में भाग लेना समय बर्बाद करना है। (नकारात्मक एकांश)	5	4	3	2	1
5.	मैं गणित सीखने में नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ लेता/लेती हूँ। (सकारात्मक एकांश)	1	2	3	4	5
6.	सवाल हल करते समय मुझे हमेशा लगता है कि मेरी गणना गलत है। (नकारात्मक एकांश)	5	4	3	2	1

तालिका 8— विश्वसनीयता सांख्यिकी

क्रोनबैक अल्फा विश्वसनीयता सूचकांक	एकांशों की संख्या
.832	31

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने की वैधता

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के एकांशों के लेखन और उपकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसकी आमुख वैधता और अंतर्विषय वैधता का निर्धारण किया गया। उपकरण की आमुख वैधता और अंतर्विषय वैधता का निर्धारण करने के लिए शोधक द्वारा विकसित अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने को गणित विषय के विशेषज्ञों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा प्रारंभिक स्तर पर अध्यापन करने वाले गणित शिक्षकों को दिया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए उपकरण के एकांशों की भाषा शैली, शब्द-संरचना तथा वाक्य-विन्यास में आवश्यक संशोधन किया गया।

निष्कर्ष

अर्थपूर्ण अधिगम पैमाने के निर्माण और मानकीकरण को जिस प्रकार से शोधक ने इस शोधपत्र में बताया है, निश्चित रूप से यह भविष्य में प्रारंभिक स्तर पर भिन्न-भिन्न विषयों को लेकर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और राय को समझने में शोधार्थियों एवं शिक्षकों के लिए लिकर्ट पैमाना निर्माण करने और उसका मानकीकरण करने में काफी मददगार साबित होगा। यह शोध कार्य प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि को ऊँचा करने के लिए शोधार्थियों और शिक्षकों की एक समझ बनाने में सहायक होगा। यह शोध विद्यार्थियों का रुझान गणित विषय की तरफ़ बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है एवं समस्या-समाधान के दौरान विद्यार्थियों के गणितीय व्यवहार को सकारात्मक रूप परिमार्जित करने में भी सहायक हो सकता है।

संदर्भ

असर 2021. 6 दिसंबर, 2022 को https://img.asercentre.org/docs/aser2021finalreport_16.116.54pm1.pdf से प्राप्त।

निपुण भारत मिशन 2021. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. 15 फरवरी, 2023 को https://diksha.gov.in/fln.html से प्राप्त।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021. 6 दिंसबर, 2022 को https://ncert.nic.in/pdf/NAS/NAS21_NRC.pdf से प्राप्त।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. 6 दिंसबर, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त।

4

प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा की समझ
एक विश्लेषण

सुधांशु कुमार सिंह*

प्राथमिक शिक्षा एक संदर्भ में भाषा शिक्षण है। बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में जुड़ाव विद्यालयी प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चा अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से संजोकर उनको सार्थक बनाता है। यह प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा ही होती है और यह भाषा बच्चे के घर की भाषा/मातृभाषा ही हो सकती है अर्थात सर्जना की पहली कोशिश अपनी भाषा में ही आरंभ होती है, क्योंकि जो भावनात्मक और अंतरंग शब्द होते हैं वे अपनी भाषा से ही उपजते हैं। प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की असीम क्षमता होती है और वह अपनी भाषा व उसका व्याकरण पूर्णतया आत्मसात करने के पश्चात ही स्कूल आता है। विद्यालय पहुँचने से पूर्व बच्चे भाषा के ज़रिए से ही दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। बच्चे भाषा सीखते नहीं वरन अपने मस्तिष्क में रचते हैं। बच्चे समझ बनाने की क्षमता रखते हैं और स्वयं समझ बनाते भी हैं। पाठ्यचर्या और भाषा जब निजी ज़िंदगी से संयोजित होती है तो वह और समृद्ध होती है। प्रस्तुत शोधपत्र बच्चों की भाषाई समझ बनने के पक्षों को गहरे संदर्भों में उजागर करने व शिक्षकों की भूमिका भाषायी समझ को प्रगाढ़ बनाने में किस तरह से हो सकती है, इन्हीं बातों को उद्घाटित करने एवं बच्चों की भाषायी समझ को और मज़बूती देने की दिशा में कुछ उपायों को सुलझाने का संभावित प्रयास है।

विद्यालयी व्यवस्था द्वारा प्रायः ऐसा मान लिया जाता है कि जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें विद्यालयी मानक भाषा अंग्रेजी व हिंदी सीखने में अभी बहुत वक्त लगेगा। शिक्षक की भूमिका में हम उन्हें भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास के पीछे स्कूल की यह अवधारणा रहती है कि बच्चे मातृभाषा से युक्त होकर विद्यालय में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें मानक भाषा के लिहाज़ से भाषा को जानने एवं समझने की स्वीकृति नहीं मिल पाती है। जबकि भाषा सीखना एक सहज प्रक्रिया है, बच्चे सांस्कृतिक विरासत में मिली समृद्ध भाषायी अवबोध के साथ विद्यालय में आते हैं। इसलिए बच्चे के घरेलू भाषा और विद्यालयी भाषा में आवाजाही चलती रहनी चाहिए। जिससे बच्चों को घरेलू भाषा से इतर दूसरी मानक भाषा हिंदी व अंग्रेजी को समझने में मज़बूती मिलेगी साथ ही बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के क्रम में

*शोधार्थी, शैक्षिक अध्ययनशाला, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470 003

बच्चों के मनोभावों को भी सार्थक संदर्भों में जान पाने में सहूलियत होगी।

समझ की बुनियाद के रूप में भाषा

हमें यह मालूम होना चाहिए कि सभी बच्चे तीन साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, जिसमें सामाजिक सह-संबंधों के ज़रूरी हिस्से भी शामिल होते हैं अर्थात (केवल भाषिक ही नहीं, बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं।) एक तीन साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, *आधार पत्र*, रा.शै.अ.प्र.प., 2009 पृष्ठ 1)।

बच्चों के साथ की जाने वाली बातचीत को यदि संकलित कर लिया जाए और उसका गहन विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों में भाषा सीखने की असीम संभावनाएँ होती हैं। वे अपने परिवेश की भाषा को सहज रूप से आत्मसात कर उसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। बच्चे विद्यालय जाने से पूर्व ही अपनी मातृभाषा में स्वयं की बात को कहने-सुनने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। वे भाषा की अनेक कठिन संरचनाओं पर अपना अधिकार रखते हैं और यह उन्हें कोई बतलाता नहीं है, वरन वे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के ज़रिए भाषा का प्रयोग सीख जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब बच्चे विद्यालय-पूर्व ही भाषा का प्रयोग करना जानते हैं तो विद्यालय में भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है?

भाषा सिखाने का उद्देश्य और प्रक्रिया

भाषा सीखने का मकसद बच्चों में वह योग्यता विकसित करना है जिससे वे स्थिति के अनुरूप अपनी बात प्रकट कर सकें और दूसरों की बातों को सुनकर विश्लेषण करते हुए उसकी गहराई को समझ सकें। विभिन्न संदर्भों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए विभिन्न प्रयुक्तियों पर भी अधिकार प्राप्त करना होगा। अतः भाषा की कक्षा में एवं अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों को उपयुक्त अवसर मुहैया कराए जाएँ, जिससे कि वे भाषा का सार्थक प्रयोग कर सकें। अपनी शैली में या अपने तरीके से किसी बात को कहना, लिखना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यह भाषा की सृजनशीलता है और बच्चे तो प्रारंभ से ही भाषा का सृजनशील प्रयोग करते ही हैं, चाहे वह कोई कहानी गढ़ना हो।

भाषा की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अभ्यास विभिन्न भाषा कौशलों का विकास करने के अवसर देते हैं। यह कौशल हैं— बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। बोलना कौशल का अर्थ है विभिन्न संदर्भों में विभिन्न विषयों, मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना भी बोलना कौशल का एक विशेष पक्ष है। जब हम बोलते हैं तो उसमें अनेक मानसिक संक्रियाएँ शामिल होती हैं, यथा— विचारों की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को संजोना, तर्क ढूँढ़ना, शब्दों और वाक्यों का चयन आदि।

शुरुआती कक्षाओं में उच्चारण की शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है— बोलने या अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास। यदि हम बच्चों को उनके अशुद्ध

उच्चारण के लिए रोकते या टोकते रहेंगे तो वे संभवतः बोलना छोड़ देंगे जिससे चुप्पी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सुनने का अर्थ महज़ शब्दों को सुनना नहीं है, वरन सुनी गई बात का विश्लेषण करना और उस पर अपनी सहमति ज़ाहिर करना या प्रतिक्रिया देना है। सुनी गई बातों, कहानियों, कविताओं आदि को अपने निजी जीवन से जोड़ पाना भी आवश्यक है। यह जुड़ाव सुनने के कौशल को मज़बूती देता है। पढ़ने का अर्थ समझने से है लिखी या छपी भाषिक सामग्री को पढ़कर अपने लिए उसका अर्थ सुनिश्चित करना, पढ़ने की अनिवार्य शर्त है। लिखना कौशल के लिए भी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। शुरुआती कक्षाओं में यदि बच्चों के लेखन में हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों की तरफ ही संकेत करते रहे तो संभव है कि बच्चों में लेखन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए। लिखने और बोलने में एक पक्ष समान है और वह है अभिव्यक्ति। लेकिन बोलने में हम अभिव्यक्ति के लिए भाषिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने में उन ध्वनियों के प्रतीक चिह्नों या लिपि का। इस तरह से लेखन में भी वे सभी मानसिक संक्रियाएँ शामिल हैं जो बोलने में शामिल होती हैं। बोलने में हम अनुतान यानी उतार-चढ़ाव, बल, विराम आदि के ज़रिए से कहने को बल देते हैं, वहीं लेखन में यह कार्य विभिन्न विराम चिह्नों के माध्यम से किया जाता है। वर्तनी का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी जगह से उचित अर्थ की संगति न बदल जाए, जैसे— केरल घूमने चलोगे। केरल घूमने चलोगे? इन्हीं बातों के साथ ही एक ज़रूरी बात यह है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से नहीं, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं और संवाद की प्रक्रिया में सुनना बोलना साथ-साथ चलता है। इसी प्रकार पढ़ना-लिखना भी साथ-साथ घटित होता है। जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी चलते हैं। चारों कौशल अंत:संबंधित हैं। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल को प्रभावित करता है। कक्षा में बच्चों को इस प्रकार के अवसर दिए जाएँ कि वे भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और अपने आस-पास फैली भाषिक दुनिया को भी समझ सकें (भाषा और शिक्षा, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार, पृ.सं. 96–101)।

भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, वरन यह एक परिघटना है जो एक बड़े स्तर पर हमारी सोच, सत्ता और समता के संदर्भ में हमारे सामाजिक संबंधों को निर्मित करती है। जिस रफ़्तार से एक सामान्य शिशु महज़ तीन साल तक की उम्र में ही केवल एक भाषा में ही नहीं, बल्कि एक से अधिक भाषाओं में भाषिक क्षमता हासिल कर लेता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम संभवतः अपने साथ भाषा-क्षमता लिए जन्म लेते हैं। सभी भाषिक विकास सामाजिक-सांस्कृतिक माध्यम से होता है और इस क्रम में प्रत्येक व्यक्ति बहुविधि 'रजिस्टर' अभिव्यक्तियों के साथ कई तरह की सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है। यह बड़ा ही चिंतनीय है कि हमारे शिक्षा योजनाकार व भाषा योजनाकार बच्चे में अंतर्निहित इतनी महत्वपूर्ण संभावना को नज़रअंदाज़ करते आए हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश बच्चे बहुभाषिक संभावना के साथ विद्यालय आते हैं, लेकिन स्कूल आना धीरे-धीरे छोड़ देते हैं। बेशक इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें से एक

कारण है— स्कूल की भाषा, उनके घर एवं पड़ोस की भाषा से खुद को जोड़ नही पाती।

- यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं और समझ लेते हैं।
- घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।
- एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)

यह जानकारी कि व्यक्ति में एक जन्मजात भाषिक क्षमता होती है जो शिक्षा शास्त्रीय पहलू सामने रखती है। पर्याप्त अवसर मिले तो बच्चा नई भाषाओं को सहजता से सीखेगा; और शिक्षण का फोकस व्याकरण पर न होकर विषयवस्तु पर होना चाहिए (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र-1*)।

इन बातों की गंभीरता को एक शिक्षक ही समझ सकता है जो बच्चों को बोलने में स्वर के उतार-चढ़ाव, तीव्रता एवं धीमेपन के प्रति सचेत कर सकता है। एकमात्र वही है जो बच्चों को पद्य की लय और गद्य की समझ के प्रति जागरूक कर सकता है। इसलिए उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वह स्कूल में प्रवेश कर रहे बच्चे में मौजूद विशाल भाषिक व संज्ञानात्मक क्षमता के प्रति सचेत हो सके। भाषा के विषय में यह सच है कि प्रत्येक बच्चा अपनी भाषा को ठीक तरह से बोल लेता है। एक सचेत शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बच्चे की अपनी भाषा व स्कूल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बीच जुड़ाव स्थापित किया जाए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि 'मानक' की श्रेणी प्राप्त भाषा शून्य में नहीं जन्मी है, बल्कि वह सामाजिक ताने-बाने से सृजित है। किसी विशेष समय में, खास सामाजिक संरचना में कोई भी भाषा 'मानक भाषा' का दर्जा पाने की क्षमता रखती है। एक प्रशिक्षित शिक्षक ही भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे द्वारा की जा रही गलतियों को उसके स्तरानुरूप देख पाने के लायक हो सकेगा (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र,* पृ.सं. 28–29)।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इस बात को पुरज़ोर तरीके से कहने की ज़रूरत पड़ी कि बच्चों की घर की भाषा स्कूल में भी उनकी समझ का माध्यम बने, ताकि बच्चे रटने की बजाय समझकर पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ें। शिक्षा उनके लिए बोझ न बनकर एक आनंददायी अनुभव बने।

भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है। भाषा के बिना समझ की परिकल्पना असंभव है। भाषा वर्तमान से अतीत और भविष्य में आवाजाही करने का एकमात्र ज़रूरी मुद्दा है। भाषा के ज़रिए ही हम सार्थक अवधारणाएँ बनाते हैं और ये अवधारणाएँ अपने परिवेश में हीं रची जाती हैं तथा इस रचावट का काम समझ द्वारा संभव है। "जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह कक्षा 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/क्षेत्रिय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा/मातृभाषा/घर की भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

बच्चे की पहचान का सवाल

हम दो ऐसे स्कूलों की परिकल्पना करें जिनकी अपनी-अपनी भाषा नीति है— एक वह स्कूल है जहाँ बच्चा स्कूल में आता है तो उसकी अपनी भाषा जिसे बोलते हुए वह स्कूल पहुँचता है अर्थात उसकी मातृभाषा और उसको पूरी सहजता और सम्मान के साथ कक्षा में स्वीकार किया जाता है। उसकी बोले जाने वाली भाषा के साथ उसे गँवारू कहकर कक्षा में बैठा नहीं दिया जाता है। यह स्कूल इस बच्चे को धीरे-धीरे बृहत्तर दुनिया और ज्ञान से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषा की ओर लाने का प्रयास करता है। यह काम उसके आत्मविश्वास को चोट पहुँचाए बिना धीरे-धीरे किया जा रहा है। इस स्कूल में बच्चे के पूर्व अर्जित ज्ञान का स्वागत होता है। यहाँ बच्चा मातृभाषा से प्रांतीय भाषा में सहज तरीके से अग्रसर होता है।

दूसरा वह स्कूल है जहाँ बच्चे के प्रवेश के साथ ही उसकी शिक्षा एक परायी भाषा में शुरू होती है। वहाँ अपनी भाषा मुख से निकलते ही उसे पिछड़ा कहे जाने में देर नही लगती है। यह स्कूल बच्चे की अपनी भाषा को स्वीकार नही करता है। यदि इन दोनों स्कूलों और बच्चों का जायज़ा लेंगे तो ज्ञात होगा कि पहले स्कूल से निकलने वाला बच्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। अपनी जड़ों से जुड़े हुए इस बच्चे के मन में अपनी भाषा के प्रति कोई दुराव या हीनभावना नहीं होगी। इस बच्चे का प्रांतीय और अंग्रेजी भाषा पर भी पर्याप्त अधिकार होगा, लेकिन दूसरे स्कूल से निकले हुए बच्चे की अपनी भाषा को नकारे जाने के कारण उसके आत्मविश्वास में कमी होगी और दूसरी भाषा के चक्कर में पड़कर उसका ध्यान अभिव्यक्ति के बरअक्स सही उच्चारण और व्याकरण पर संभवतः जाएगा। आगे चलकर वह बच्चा विचार की तारतम्यता के बजाय भाषा दुरुस्त करने में लगा रहेगा (सिंह और कपूर, 2010, पृ.सं. 12–13)।

मातृभाषा में शिक्षण

यूनेस्को के शैक्षणिक आधार पत्र (2003) के अनुसार प्रारंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है और इसे जहाँ तक संभव हो बरकरार रखा जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन (1949) में सर्वसम्मति से स्वीकारा गया है कि अल्पसंख्यक बोली-भाषा के बच्चों को अपनी बोली-भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है (कोठारी आयोग, भारत सरकार, 1964–1966)। आरंभिक स्तर पर ही 26 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है, शिक्षा में अरुचि का होना, जिसके लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं— मातृभाषा में अपनी सांस्कृतिक विषयवस्तु का अभाव। कारण वस्तुतः यह है कि भाषा 'संस्कृति' का एक अवयव मात्र नहीं, वरन संस्कृति की संवाहक भी होती है। यदि मातृभाषा में शिक्षण हो तो घर की भाषा से स्कूल की भाषा की ओर बढ़ना ज़्यादा अच्छी तरह से संभव हो सकता है। माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग घर में बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय में अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा के बीच के अंतर की वजह से उत्पन्न भाषिक और सांस्कृतिक अंतर को मिटा सकता है। अर्थात संदर्भ के लिए बिंदु अल्पसंख्यक भाषा या बहुसंख्यक भाषा हो सकती है। लगभग 12 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से

वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं होती (भारद्वाज, 2019, पृष्ठ 16)।

शिक्षक की भूमिका— भाषा का परिप्रेक्ष्य

प्रारंभिक कक्षाओं की शुरुआत में बच्चों में विद्यालय को लेकर भय रहता है। मुख्यतः उन बच्चों को भय रहता है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव लिए बिना सीधे कक्षा एक में प्रवेश पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे शिक्षकों से एवं अन्य बच्चों से झिझकते हैं। पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया उनके लिए बिल्कुल नई होती है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल सुनना है। यदि हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसे सुनने एवं बोलने का अवसर मिलने पर हम आसानी से उस भाषा को सीख सकते हैं। इसलिए सुझाव यह है कि स्कूली शिक्षा की शुरुआत सीधे अक्षर ज्ञान से नहीं की जानी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा से परिचित होना आवश्यक होता है और यह कार्य कक्षा में संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को मज़बूती देता है, भाषा से परिचित कराता है और सीखे गए ज्ञान को अनुभव से जोड़ने में मदद करता है (यादव, 2018, पृ.सं. 59–60)।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

यह सार्वभौमिक रूप से मालूम है कि बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में उपयुक्त अवधारणाओं को अधिक बेहतरी के साथ सीखते व समझते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह कक्षा 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास शीघ्र किए जाएँगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्यसामग्री उपलब्ध नहीं है। शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा/मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी उपागम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों की उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा; एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2–8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता

है, बुनियादी स्तर की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष ज़ोर देने के साथ) एक्सपोजर दिए जाएँगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी, और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ कक्षा 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएँगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देशभर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा।

राज्य विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने-अपने राज्यों में त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने के लिए और साथ ही देशभर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का बृहद उपयोग किया जाएगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं. 19–20)।

मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता की वर्तमान में प्रासंगिकता

बुनियादी शिक्षण बच्चे के भावी शिक्षण का आधार स्तंभ है। बोधपरक पठन, लेखन और मूलभूत गणितीय प्रश्नों को सहज तरीके से हल करने के मूलभूत कौशलों को ग्रहण न कर पाने से, बच्चा कक्षा 3 के बाद की पाठ्यचर्या संबंधी जटिलताओं के लिए प्राय: तैयार नहीं हो पाता है। प्रारंभिक स्तर के शिक्षण की उपयोगिता को समझते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक और उससे आगे सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की होनी चाहिए। यदि हम प्राथमिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण मूलभूत शिक्षण (अर्थात प्रारंभिक स्तर पर पठन, लेखन और गणितीय कौशल) को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो शेष नीति हमारे छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिए प्राथमिकता के तौर पर अप्रासंगिक हो जाएगी।" इस दिशा में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की प्राथमिकता के लिहाज़ से स्थापना की जा रही है। मिशन अधिगम के पाँच क्षेत्रों, जैसे— बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में पहुँच प्रदान करना और उन्हें स्कूलों में बनाए रखना, शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता एवं विविधतापूर्ण शिक्षार्थी और शिक्षण संसाधनों/अधिगम सामग्री का विकास, अधिगम परिणाम उपलब्धि में हरेक विद्यार्थी की प्रगति को ट्रैक करना तथा बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पहलुओं के समाधान पर ध्यान आकृष्ट करेगा।

मूलभूत भाषा और साक्षरता आधारित समझ

निपुण भारत मिशन का मकसद एक मज़बूत परिवेश का निर्माण करना है, जिससे कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा

कक्षा 3 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित शिक्षण-क्षमताओं को प्राप्त कर ले। यह मिशन 3–9 वर्ष के आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को कवर करेगा। जिसके परिणामस्वरूप, अधिगम-अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान और स्थानीय परिस्थितियों एवं देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यनीतियों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्री-स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच सशक्त संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा-अंतरण के उद्देश्य से रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार किए गए ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आँगनबाड़ी और प्री-प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाएगा। जिससे कि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा-अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, अधिगम समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंदपूर्ण और बच्चों को आकर्षित करने वाला होगा। पठन-लेखन और संख्यात्मक आधारभूत गणन कार्यों को करने की क्षमता भावी स्कूली शिक्षा एवं जीवनपर्यंत शिक्षण के लिए अनिवार्य बिंदु और अपरिहार्य पूर्वापेक्षा है। भाषा का पूर्व ज्ञान भाषा में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। जिन बच्चों की अपनी मातृभाषा में सशक्त पकड़ होती है, वे अंग्रेजी/द्वितीय भाषा को और अधिक सुगमता के साथ सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मूलभूत साक्षरता आधारित कौशलों को विद्यालय में पोषित किया जाता है और ज़्यादातर यह उस भाषा के प्रति शिक्षकों की समझ एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जिस भाषा को बच्चे स्कूल में लेकर आते हैं।

"अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2–8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, बुनियादी स्तर की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष ज़ोर देने के साथ) एक्सपोजर दिए जाएँगे।" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान अथवा अस्मिता की निर्धारक है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सभी भाषाएँ जिन्हें हम बोली या खिचड़ी भाषाएँ कहते रहे हैं, वे सब समान रूप से वैज्ञानिक होती हैं। भाषाएँ एक-दूसरे के सानिध्य में फलती-फूलती हैं साथ ही अपनी विशेष पहचान भी बनाकर रखती हैं। बहुभाषिक कक्षा में यह बिल्कुल आवश्यक होना चाहिए कि हर बच्चे की भाषा को सम्मान दिया जाए और बच्चों की भाषायी विभिन्नता को शिक्षण विधियों का भाग मानकर भाषा सिखाई जाए। बच्चों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से अपेक्षित परिणाम निकाले जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की पूरी पाठ्यचर्या में भाषा का संदर्भ विशेष महत्व रखता है। विभिन्न अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही भाषा सबसे अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है, इसलिए हर विषय का शिक्षण एक अर्थ में भाषा शिक्षण ही है।

संदर्भ

भारद्वाज, संजीव कुमार. 2019. वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा का अधिकार और सामाजिक-आर्थिक बदलाव की संभावना : एक आलोचनात्मक विमर्श. *प्राथमिक शिक्षक*. वर्ष 43, अंक 1, पृ.सं. 16. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्.

यादव, पद्मा. 2018. पूर्व प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण. *प्राथमिक शिक्षक*. वर्ष 42, अंक 4, पृ.सं. 59–60. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्.

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. भारतीय भाषाओं का शिक्षण. *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. पृ.सं. 1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्. 2016. *भाषा और शिक्षा*. पृ.सं. 96–101. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार.

शिक्षा मंत्रालय.1966. *कोठारी आयोग रिपोर्ट 1964–66*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

——— 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृ.सं. 19–20. भारत सरकार, नई दिल्ली.

——— 2021. राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल— निपुण भारत *राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन*. पृ.सं. 4–6. भारत सरकार, नई दिल्ली.

सिंह, संध्या और कीर्ति कपूर. 2010. *समझ का माध्यम*. पृ.सं. 12–13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. नई दिल्ली.

दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में लागू हैप्पीनेस पाठ्यक्रम परियोजना और उसके शैक्षिक निहितार्थ

संदीप कुमार तोमर*

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम एक नया विचार, एक नया व्यवहार है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य— शिक्षा को सरल, उपयोगी व्यावहारिक, रुचिकर, रचनात्मक, क्रियात्मक एवं प्रासंगिक बनाना है। आधुनिक युग में बच्चों के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। आज भारत में ऐसे पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जो न केवल भाषा, साक्षरता, अंकों का ज्ञान तथा कला को विकसित करने में मदद करता हो, बल्कि साथ-साथ बच्चों के कल्याण तथा खुशी की तरफ़ भी ध्यान दे। दिल्ली सरकार द्वारा डिजाइन की गई हैप्पीनेस पाठ्यचर्या इस उद्देश्य से बनी है कि विद्यार्थियों का ध्यान क्षणिक सुख से, संबंधों में स्थिर भाव से प्राप्त गहरे सुख तथा समझ से प्राप्त स्थाई सुख की तरफ़ जाए। वे स्वयं में, संबंधों में तथा समाज में सुख (हैप्पीनेस) को समझ सकें। इस प्रयास से विद्यार्थी बाह्य दुनिया में सुख ढूँढ़ने के स्थान पर स्वयं में समझ और मूल्यों के आधार पर अपनी खुशी सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें। यह शोधपत्र हैप्पीनेस पाठ्यचर्या के उद्देश्यों, उसकी रूपरेखा तथा इस पाठ्यक्रम से अपेक्षाओं पर प्रकाश डालता है।

देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की नूतन प्रवृत्तियों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है—

1. मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए
2. सांप्रदायिक सद्भाव के लिए
3. परिवर्तन के अनुसार प्रणाली
4. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए
5. ज्ञान के स्थायित्व के लिए
6. शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
7. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए
8. विभिन्न कौशलों के विकास के लिए
9. नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए
10. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए

* *पीएच.डी. शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नूतन पद्धतियाँ शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नित नई पद्धतियों के प्रयोग से ही धनात्मक परिवर्तन संभव हैं, इससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही लाभान्वित होते हैं।

आज के विद्यार्थी को पहले के विद्यार्थियों की अपेक्षा कहीं अधिक अनुभव मिल रहे हैं, वह तेज़ी से दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमारी शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था को भी तीव्रता देना आवश्यक है, शिक्षण प्रणालियाँ बदलनी व नई प्रणालियाँ सोची जानी आवश्यक हैं, जो विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा कर सके।

किसी भी शिक्षण संबंधी नए विचार के रूप में इस बात की स्पष्टता अति आवश्यक है कि शिक्षण क्यों किया जा रहा है। नूतन पद्धतियों से संबंधी हर विचार, चिंतन इस 'क्यों' के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य को संक्षिप्त में कहा जाए तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसमें बहुत कुछ समाहित है जिसे शिक्षण द्वारा प्राप्त करना है।

शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु शिक्षकों को नवीन ज्ञान, कौशलों, दक्षताओं, शिक्षण विधियों, तकनीकों, अनुसंधान व नवाचार के ज्ञान एवं इनके व्यावहारिक प्रयोग में पारंगत होना आवश्यक है। नवीन शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाने के लिए शिक्षकों को स्वयं को नए तरीकों से अवगत होने की आवश्यकता है। शिक्षण या शिक्षण में नया विचार ऐसा हो जिसमें निम्न पहलुओं का समावेश हो—

1. बच्चों को विषय संबंधी ज्ञान देना, शिक्षण से ज़्यादा अधिगम पर बल देना।
2. बच्चों में उच्च मानसिक शक्तियों का विकास करना।
3. वैयक्तिक सिद्धांत के आधार पर सभी विद्यार्थियों को पाठ में उचित स्थान दिया जाना।
4. विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाए।
5. बच्चों में निहित जन्मजात शक्तियों को पहचानना व विकास करना।
6. बच्चों की सृजनात्मक क्षमता के विकास हेतु अवसर प्रदान करना।
7. ज्ञान इस प्रकार प्रदान करना कि उसका अधिक से अधिक स्थानांतरण हो सके अर्थात ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर सके व नए सृजन हेतु आधार बन सके।
8. प्रतिपुष्टि व मूल्यांकन का प्रावधान हो।
9. बच्चों के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं का विकास करना, जैसे— सामुदायिकता, सद्भाव, आत्मविश्वास, अभिव्यिक्ति तथा मान मूल्य।
10. बच्चों की अधिकाधिक इंद्रियाँ सक्रिय रहें, अतः कुछ क्रिया आधारित गतिविधियों का समावेश कर शिक्षण को रुचिकर प्रभावी सुग्राह्य एवं स्थायी बनाता है।

वर्तमान युग में शिक्षा हेतु बालक के निर्माण पर नहीं, अपितु बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के निर्धारण पर बल दिया जा रहा है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता को नैसर्गिक रूप से विकसित कर सकें। नूतन पद्धितियों से शिक्षण की कोशिश करना, शिक्षक के स्वयं के प्रयास होते हैं,

जिससे वे अपने अनुभवों का नित-नया प्रदर्शन करते हैं।

भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस सूची के अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। स्थितियों और ज़रूरतों को देखते हुए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ही शिक्षा की स्थिति में बदलाव कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में हैप्पीनेस पाठ्यचर्या को स्कूली शिक्षा का मुख्य भाग बनाकर लागू किया गया है। हैप्पीनेस पाठ्यचर्या की हस्तपुस्तिका में 'हैप्पीनेस पाठ्यचर्या क्यों' की पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है— "शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की किताबी पढ़ाई विकसित करना नहीं, परंतु इससे कहीं अधिक है। आज भारत में ऐसे पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जो न केवल भाषा, साक्षरता, अंकों का ज्ञान तथा कला को विकसित करने में मदद करता हो, बल्कि साथ-साथ बच्चों के कल्याण तथा खुशी की तरफ़ भी ध्यान दे।"

अनेकानेक शोध एवं अनुसंधान इस बात की तरफ़ इशारा करते हैं कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आश्वस्त, सजग, उत्तरदायी और सुखी व्यक्तियों का निर्माण करना है जो मिलकर एक खुश एवं सामंजस्यपूर्ण समाज खड़ा कर सकें। वर्तमान में हम खुशी पाने के लिए संघर्षरत हैं और प्रत्येक कार्य केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार, भारत विश्व के सबसे कम खुश राष्ट्रों में गिना जाता है तथा वैश्विक रैंकिंग में दुनिया के 155 देशों में से भारत का 122वाँ स्थान है। 2018 की रिपोर्ट में यह स्थान गिरकर 133 और 2023 की रिपोर्ट में 136 वे स्थान तक खिसक गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (एन.सी.एफ़) के प्रमुख उद्देश्य हैं कि बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को उनके बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इस उद्देश्य को नई विधियों के माध्यम से ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। एन.सी.एफ. 2005 में इस बात का भी उल्लेख है कि शिक्षा विद्यार्थियों के लिए स्वायत्तता की प्रक्रिया हो। एन.सी.एफ. 2005 में शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार, शिक्षा आत्मअन्वेषण तथा स्वयं को गहराई से जानने की प्रक्रिया के तौर पर देखी जानी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शोषण, दमन, छल एवं कपट से मुक्त करना है।

वर्तमान में हैप्पीनेस वैश्विक नीति का मुद्दा बन चुका है। यह दर्शाने के लिए शोध होने लगे हैं कि विद्यार्थी खुश रहकर बेहतर सीखते हैं।

शिक्षा के नवनिर्माण के लिए यूनेस्को द्वारा जारी मूलभूत सिद्धांतों में भी अधिगम के मूलभूत पक्ष पर शिक्षकों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं—

- जानने के लिए समझना
- करने के लिए समझना
- होने के लिए समझना
- एक साथ रहने के लिए समझना

अरस्तु का कथन है, सुख मानव जीवन का उद्देश्य और अर्थ दोनों है। सुख मानव के अस्तित्व का पूर्ण उद्देश्य और उसका परिणाम भी है। क्रिप्स (2000)

के अनुसार, सुख शिक्षा की एकमात्र स्वाधीन उपलब्धि है।

जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत तक मानव का समस्त प्रयास अपने अंदर खुशी को स्थापित करना ही है। खुशी अर्थात हैप्पीनेस को सकारात्मक और सुदृढ़ मैत्री संबंधों के रूप में भी देखा जा सकता है।

डोरोथी नॉल्ट (1998) के अनुसार, "बच्चे वही समझते हैं जो वे जीते हैं।" बच्चों के बचपन के अनुभव से उनके सीखने, समझने, जीने और विकास का क्रम प्रभावित होता है।

बच्चों के कल्याण, उनके मानसिक स्वास्थ्य तथा समाज के दीर्घ अवधि के मुद्दों को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने अपने विद्यालयों में 'हैप्पीनेस पाठ्यक्रम' की परियोजना कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक प्रारंभ की है।

यह जानना अवश्यम्भावी हो जाता है कि इस पाठ्यक्रम को विद्यालयों में ले जाने से बच्चों के आत्मान्वेषण तथा स्वयं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया किस हद तक सुनिश्चित हुई है।

हैप्पीनेस पाठ्यचर्या के उद्देश्य

खुशी (हैप्पीनेस) पाठ्यचर्या के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. एक विद्यार्थी में आत्म-जागरूकता तथा मानसिक चेतना को विकसित करना।
2. क्रांतिक चिंतन (समालोचनात्मक विचारधारा) तथा शोधपरक प्रक्रिया को विकसित करना।
3. विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संवाद तथा स्वयं को स्वतंत्र एवं रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के कौशल को बढ़ाना।
4. विद्यार्थियों द्वारा संबंधों को समझना एवं अनुभूतिपूर्वक परिवार में अपेक्षाओं को समझना।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का प्रारूप

इस पाठ्यक्रम का निर्माण हैप्पीनेस ट्रायड (Happiness Triad) के आधार पर किया गया है। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य सार्थक तथा चिंतनपरक कहानियों एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्थायी खुशी की तरफ़ अग्रसर करने में मदद करना है। ऐसा माना गया है कि नियमित रूप से हैप्पीनेस की कक्षाएँ बच्चों को अपने विचारों, भावों तथा व्यवहार में संबंध को समझने और स्वयं, परिवार, समाज तथा आस-पास के वातावरण पर होने वाले इसके प्रभाव के विषय में सोचने में मददगार साबित होंगी। यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से सार्वभौमिक तथा बच्चों की आयु के अनुरूप तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम से अपेक्षा है कि यह पाठ्यक्रम बच्चों के सजगता के स्तर, ध्यान देने तथा खुशी को गहराई से समझकर सार्थक जीवन जीने में मददगार साबित होगा।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की रूपरेखा व शिक्षणशास्त्र

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को एन.सी.एफ. 2005 के जिन मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ संरेखित करके तैयार किया गया है, वे प्रकार निम्नलिखित हैं—

1. ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना।
2. कंठस्तीकरण का निषेध करना।
3. पाठ्यक्रम केंद्रित होने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना।

4. परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना; विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके चिंतन और कक्षा में उनकी प्रतिभागिता के आधार पर करना।
5. देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख पहचान का पोषण करना।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न माध्यमों से खोज, अनुभव और खुशी व्यक्त करने के लिए एक उत्प्रेरक वातावरण बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा—

1. हर्षित व्यायाम
2. घर के अंदर खेले जाने वाले खेल
3. सक्रिय खोजबीन
4. चिंतनशील बातचीत
5. कहानी सुनाना
6. संज्ञानात्मक विकास हेतु गतिविधियाँ
7. समूह चर्चा
8. दिन-प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी स्थितियों पर रोल-प्ले और प्रस्तुतियाँ
9. संबंध निर्माण और समूह कार्य के लिए गतिविधियाँ

विद्यार्थियों में हैप्पीनेस सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी पाठ्यचर्या में इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस पाठ्यचर्या में माइंडफुलनेस (सजगता प्रधान, ध्यान देने की प्रक्रिया), कहानी (चिंतन प्रधान), गतिविधि (विचार प्रधान) तथा अभिव्यक्ति (भाव प्रधान) जैसे आयामों को समाहित किया गया है।

ध्यान देने की प्रक्रिया में हम अपने आस-पास के वातावरण, विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं के प्रति सजग होते हैं। ध्यान देने के अभ्यास से बच्चे शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर करते हैं। वे भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और शांति व खुशी के एहसास की ओर बढ़ते हैं। ऐसा अभ्यास करने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिक्रिया करने की बजाय सहज भाव से सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएँगे।

इस पाठ्यचर्या में इस प्रकार की कहानियाँ हैं जिनके माध्यम से बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। कहानियाँ विद्यार्थियों को सोचने के लिए कुछ न कुछ सामग्री प्रदान करने हेतु रची व संकलित की गई हैं। इन कहानियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्व-मूल्यांकन के माध्यम से एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करना है।

गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति में अपनी भूमिका को खेल-खेल में जान सकेंगे। उनमें बेहतर विश्लेषण क्षमता, तर्कशीलता और निर्णय क्षमता का विकास होगा। इससे वे घटनाओं और वास्तविकताओं को जैसी हैं वैसा देख पाने में सक्षम होंगे। इस पाठ्यचर्या के माध्यम से ऐसा माहौल देने का प्रयास रहेगा जिससे कि एक खुशहाल और उपयोगी व्यक्तित्व का विकास हो सके।

अभिव्यक्ति के तहत सप्ताह के आखिरी दिन विद्यार्थियों को अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। इसमें विद्यार्थी अपने जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों को भी

साझा करेंगे, ताकि वे एक-दूसरे से प्रेरणा पा सकें। अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया गया है कि विद्यार्थी अपनी उन्नति में दूसरों की भागीदारी को देख सकें और खुद भी अपनी भागीदारी करने के लिए प्रेरित हों। इस दौरान शिक्षक विद्यार्थियों की सोच और व्यवहार में आ रहे परिवर्तनों का आकलन भी कर पाएँगे।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का साप्ताहिक डिजाइन

(प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए प्रतिदिन सुबह एक घंटे का सत्र प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।)

समूह 1: नर्सरी और के.जी.

सप्ताह का दिन	क्रियाविधि
सोमवार	संज्ञानात्मक गतिविधियाँ/व्यायाम
गुरुवार	संज्ञानात्मक गतिविधियाँ/व्यायाम

कक्षा 1 और 2

सप्ताह का दिन	क्रियाविधि
सोमवार	संज्ञानात्मक गतिविधियाँ/व्यायाम
मंगलवार	कहानी के बाद चिंतनशील प्रश्न
बुधवार	कहानी के बाद चिंतनशील प्रश्न
गुरुवार	संज्ञानात्मक गतिविधियाँ/व्यायाम
शुक्रवार	गतिविधि और चिंतनशील प्रश्न
शनिवार	गतिविधि और चिंतनशील प्रश्न

समूह 2: कक्षा 3–5 और समूह 3: कक्षा 6–8

सप्ताह का दिन	क्रियाविधि
सोमवार मंगलवार	संज्ञानात्मक गतिविधियाँ/व्यायाम कहानी के बाद चिंतनशील प्रश्न
बुधवार	पिछले दिन की कहानी पर चिंतन और प्रतिक्रिया साझा करना
गुरुवार	गतिविधि और चिंतनशील प्रश्न
शुक्रवार	गतिविधि और चिंतनशील प्रश्न
शनिवार	स्व-अभिव्यक्ति/व्यवहार का प्रतिबिंब/ साप्ताहिक आत्म-अवलोकन

आकलन एवं मूल्यांकन

हैप्पीनेस पाठ्यचर्या के अंतर्गत आकलन एवं मूल्यांकन का मूल उद्देश्य बच्चों के जीवन में हैप्पीनेस के स्तर का प्रत्यक्ष अवलोकन करना होगा। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए हैं—

शिक्षक अपने विद्यार्थियों का गुणात्मक मूल्यांकन करेंगे, परंतु बाद में इस गुणात्मक मूल्यांकन को गणितात्मक परिणाम के रूप में परिवर्तित करके प्रस्तुत होगा। मूल्यांकन विद्यार्थी की स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार होना आवश्यक है न कि पारंपरिक मूल्यांकन की तरह सबके लिए एक जैसा। नीचे विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड की कई श्रेणियाँ दी गई हैं।

बच्चों के साथ-साथ इस परियोजना का भी मूल्यांकन किया जाता रहेगा। यह मूल्यांकन तीन स्तर पर होगा—

साप्ताहिक मूल्यांकन

अध्यापक कक्षा में विभिन्न विधियों के द्वारा हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तथा बच्चों का सतत मूल्यांकन करते रहेंगे। अध्यापक चाहें तो इस मूल्यांकन का रिकॉर्ड अपनी डायरी में रख सकते हैं।

मासिक मूल्यांकन

प्रत्येक सप्ताह के अंत में, शनिवार को, बच्चों का एकीकृत मूल्यांकन होगा जिसमें बच्चों के रोज़ाना के व्यवहार, उनकी अभिव्यक्ति, चिंतन की गहराई को साप्ताहिक तथा मासिक तौर पर अध्यापक अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे।

वार्षिक मूल्यांकन

मूल्यांकन का तीसरा और अंतिम चरण, सत्र के अंत में होगा। साप्ताहिक एवं मासिक रिकॉर्ड को एक साथ इकट्ठा करके जाँच कर उसके आधार पर शिक्षक बच्चों की उन्नति को अधिक प्रभावशाली ढंग से मूल्यांकित कर सकेंगे। अध्यापकों को बच्चों की अनुक्रियाएँ अलग-अलग तरीकों से प्राप्त हो सकती हैं जिसे चित्र, तस्वीर, वीडियो इत्यादि के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार हुआ है कि बच्चों के अधिगम की यात्रा पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के आधार पर जाँची जाए न कि परिणाम पर। हर बच्चे की यात्रा एक-दूसरे से भिन्न होगी। मूल्यांकन सरलता और समानता के भाव से किया जाएगा। साथ ही संख्यात्मक (गणितात्मक) न होकर भावनात्मक होगा।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से अपेक्षाएँ

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की विषयवस्तु के कक्षा में नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों को, निरंतर खुश रहने की प्रेरणा मिलेगी और वे न केवल खुश रहेंगे, बल्कि विभिन्न विषयों को खुश होकर पढ़ेंगे भी अर्थात पढ़ाई में रुचि लेंगे। इसकी विषयवस्तु को, यानी ध्यान देने की प्रक्रिया, कहानियों, गतिविधियों और अभिव्यक्तियों में पिरोया गया है। अध्यापिका व अध्यापक टीचर्स हैंडबुक में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस विषयवस्तु का अभ्यास कराएँगे। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ आदि का सीखना तथा अन्य विद्यालयी गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी विद्यार्थियों को समाजोपयोगी तरीके से जीवन यापन की तरफ़ ले जाएगी।

निष्कर्ष

छोटे बच्चे जिज्ञासा से भरे होते हैं, उनमें सीखने समझने की असीम क्षमताएँ होती हैं, वे भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंताओं व पूर्वाग्रहों से बिल्कुल मुक्त होते हैं। अनुकरण व अनुसरण द्वारा उनके सीखने और समझने की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसी समय से यदि उन्हें ध्यान देने की प्रक्रिया का अभ्यास करवाना आरंभ करा दिया जाए, तो उनके सीखने समझने की एकाग्रता व तीव्रता बहुत बढ़ जाएगी, जिससे वे प्रत्येक काम को ध्यान देकर कर पाएँगे।

हैप्पीनेस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा को रोचक, बोझरहित और खुशनुमा बनाने की पहल है। इससे शिक्षण को बेहतर बनाने की कोशिश है, ताकि बच्चे खुशी-खुशी विद्यालय आएँ, ठहरें और सीखें।

संदर्भ

एस.सी.ई.आर.टी. 2022. *टीचर हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस* (नर्सरी और के.जी.). पृ.सं. 4–6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली.

———2022. *टीचर हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस* (कक्षा-8). राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली.

———2022. *हैप्पीनेस पाठ्यचर्या*. पृ.सं. 11,12,15, 26–29. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली.

नागराज, ए. 2015. *फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर*. जीवन विद्या प्रकाशन, अमरकंटक.

नोटल, डी. *चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव*. वर्कमैन पब्लिशिंग कंपनी, न्यूयार्क.

भारत का संविधान, चौथा संस्करण, (1996), पृ.सं. 172

मेक्सिको और पेरू, पब्लिकली पेन डिसर्टेशन, 1572, एरिस्टोटल, (आर. क्रिप्स द्वारा संपादित और अनुवादित). 2000. *निचोमचीन एथिक्स*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृ.सं. 6–3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शर्मा, नेहा. शिक्षक-शिक्षा में नवाचार की भूमिका (आलेख) चेतना (त्रैमासिक, जनरल), जुलाई–सितंबर 2019, वर्ष 4, वॉल्यूम 3, पृ.सं. 62

सिंह, राजीव रंजन. शिक्षकों हेतु नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व : एक अध्ययन. *जर्नल ऑफ इमरजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रिसर्च (जे.ई.टी.आई.आर.)*. www.jetir.org, मई 2019, वॉल्यूम 6 इश्यू 5, पृ.सं. 487.

हेलीवेल, जे.एफ., एच. हुआंग और वांग. 2017. *द सोशल फांउडेशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017* सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, न्यूयोर्क, यू.एस.ए.

हेलीवेल, जे.एफ., एच. हुआंग, आर. लेयर्ड और जे.डी. साचस. 2018. *वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018*. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, न्यूयोर्क, यू.एस.ए.

हेलीवेल, जे.एफ., आर. लेयर्ड और जे.डी. साचस. 2023. *वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2023*. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, न्यूयोर्क, यू.एस.ए.

https://en.unesco.org/futuresofeducation/ideas-lab/sobe-reworking-four-pillars-education-sustain-commons

https://hi.vikaspedia.in/education/education-best-practices/93693f91594d93793e-915947-93594891594d92493f915-92492593e-93893e92e93e91c93f915-90992694d92694793694d92f

https://wandofknowledge.com/need-and-importance-of-educational-innovation/

6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ललित मोहन जोशी*

29 जुलाई, 2020 को भारत में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ। इस नीति में शिक्षा व्यवस्था के विविध पक्षों पर विचार-विमर्श करते हुए उनके संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव एवं दिशानिर्देश दिए गए हैं। शिक्षक-शिक्षा किसी भी शिक्षा नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रमुखता से स्वीकार किया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तनों के केंद्र में शिक्षक अवश्य ही होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-शिक्षा संबंधी सुझावों एवं दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान समस्याओं एवं उनके समाधान पर विचार करने का प्रयास किया गया है।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में 'शिक्षक-शिक्षा' का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब भी किसी राष्ट्र द्वारा विविध कारणों से अपनी शिक्षा व्यवस्था के किसी पक्ष विशेष अथवा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो सर्वप्रथम उसके द्वारा पहले अपनी शिक्षक-शिक्षा को उन परिवर्तनों के अनुरूप परिमार्जित किया जाता है, तत्पश्चात शेष कार्य व्यवस्थित रूप से होने लगता है। जिस देश की शिक्षक-शिक्षा जितनी समृद्ध और गुणवत्तायुक्त होती है, उस देश की शिक्षा का स्तर उतना ही ऊँचा होता है। इस संबंध में 1986 की शिक्षा नीति का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है—

"किसी भी समाज में अध्यापकों की स्थिति से उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का पता लगता है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे

* *सहायक प्राध्यापक*, बी.एड. विभाग, लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, उत्तराखंड

अध्यापकों को निर्माण एवं सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो सके।"

यद्यपि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित आयोगों एवं शिक्षा नीतियों के सुझावों के आधार पर शिक्षक-शिक्षा में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, परंतु इसके पश्चात भी शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनेक न्यूनताएँ विद्यमान हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट *शिक्षा बिना बोझ के* (1993) का यह कथन उल्लेखनीय है—

"शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनताओं के कारण विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। विद्यालयी शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषयवस्तु का पुनःनिर्माण किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी स्व-अधिगम एवं स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सकें।"

शिक्षक-शिक्षा की उपर्युक्त न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनके कारणों एवं समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही नीति में शिक्षक-शिक्षा के भावी स्वरूप के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव एवं दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन समस्त पक्षों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं—

"शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत में शिक्षकों को समाज का सम्मानित सदस्य माना जाता है और सबसे योग्य तथा विद्वान व्यक्ति ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षकों को उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्रदान किया करते थे। परंतु वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता, नियुक्ति, सेवा शर्तों और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह में कमी प्रदर्शित होती है। ऐसी स्थिति में समाज में शिक्षकों के लिए उच्च स्थान एवं उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा जिससे कि शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को सम्मिलित करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे विद्यार्थियों और राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने एवं उनके सशक्तीकरण की आवश्यकता है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दो अलग भागों में शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भाग एक 'विद्यालयी शिक्षा' के अंतर्गत अध्याय पाँच में 'शिक्षक' शीर्षक के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है तो वहीं दूसरी ओर भाग दो में 'उच्चतर शिक्षा' के अंतर्गत अध्याय 15 में 'शिक्षक-शिक्षा' शीर्षक से तत्संबंधी विचारों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 में निहित शिक्षक-शिक्षा से संबंधित विविध प्रावधानों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है—

- शिक्षक-शिक्षा की संदृष्टि एवं लक्ष्य
- शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की वर्तमान स्थिति
- शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का विनियमन एवं भावी स्वरूप
- शिक्षक-शिक्षा संबंधी दिशानिर्देश
- संकाय सदस्यों की योग्यता
- सेवारत व्यावसायिक प्रशिक्षण
- मेंटरिंग हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना
- विद्यालयी शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना
- स्थानांतरण
- शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया एवं परीक्षाओं के स्तर में सुधार
- शिक्षकों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करना
- सेवा अवधि के दौरान कार्य संस्कृति और वातावरण
- सतत व्यावसायिक विकास
- वृत्तिक प्रबंधन तथा विकास
- शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक
- विशिष्ट शिक्षक

शिक्षा नीति में वर्णित शिक्षक-शिक्षा से संबंधित उपर्युक्त क्षेत्रों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इस नीति में शिक्षक-शिक्षा के विविध पक्षों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। इन विविध क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-शिक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु सुझाव एवं दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं, परंतु इसके पश्चात भी इस क्षेत्र की कुछ अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिन की ओर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा की समस्याएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करने से पूर्व शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त न्यूनताओं एवं विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। जिसमें निम्न स्तरीय एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थान एवं नियामक संस्थाओं की विफलता प्रमुख हैं। शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में कमी का एक प्रमुख कारण कुछ निम्न स्तरीय एकल शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में वर्तमान समय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ विद्यमान हैं, जिनका वर्णन एवं समाधान निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है—

चयन प्रक्रिया से संबंधित न्यूनताएँ

शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संदर्भ में अनुभव की जा रही है। वर्तमान में देश के पृथक-पृथक राज्यों में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु संबंधित राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपने-अपने स्तर से प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिस कारण पूरे देश में इन परीक्षाओं में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः इस प्रवेश परीक्षा द्वारा अभ्यर्थियों के विषय संबंधी ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभियोग्यता एवं तार्किक योग्यता का मापन किया जाता है। परंतु इन

परीक्षाओं में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप वांछित परिवर्तन न किए जाने के कारण, इनके द्वारा अनेक बार योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता। इस परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भी तय फॉर्मूले का अनुसरण करते हुए अपने विषय से संबंधित प्रमुख तथ्यों को रट लिया जाता है तथा शिक्षण अभिरुचि एवं अभियोग्यता वाले प्रश्नों का उनकी आदर्शात्मक प्रकृति के अनुरूप संभावित आदर्श उत्तर दे दिया जाता है, जो कि परंपरा से चला आ रहा है। अतः इस न्यूनता को दूर करने हेतु परिवर्तित आवश्यकता के अनुरूप इन परीक्षणों में आवश्यक सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा में एकरूपता लाने हेतु इसका आयोजन, राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अधिमान अंक संबंधी समस्या

भारत में सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान अंक दिए जाने की व्यवस्था है। यथा— उत्तराखंड राज्य में विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले अधिमान अंकों की अधिकतम सीमा 25 अंक है। अनेक विद्यार्थी अधिमान अंकों की अधिकतम अंक सीमा के आधार पर इन कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रवेश हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले, परंतु अधिमान अंक न रखने वाले अभ्यर्थी भी अधिमान अंक वाले अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं। जबकि इस तथ्य से सभी भलीभाँति परिचित हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मात्र एक अंक भी अधिक अथवा कम होने से अभ्यर्थी के चयनित होने, या न होने की संभावना महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में योग्य एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होता है। इस समस्या का समाधान यह है कि यदि अधिमान अंक देना आवश्यक ही हो तो इसकी अधिकतम सीमा को 25 अंकों से कम कर 10 अंकों तक सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार के संशोधन से योग्य एवं मेधावी, परंतु अधिमान अंक न रखने वाले अभ्यर्थी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे। अत: अधिमान अंकों को प्रदान करने की सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि पात्र को लाभ तो हो, परंतु वास्तविक योग्यता अथवा मेधा इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो।

शिक्षक प्रशिक्षण प्राथमिकता न होकर प्लान बी, सी या डी होता है

सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इसमें प्रवेश लेने वाले अधिकांश अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम को प्राथमिकता एवं प्रमुख रुचि के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर इसे अपनी किसी अन्य प्राथमिकता एवं रुचि के क्षेत्र में असफल होने से उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में चयनित करते हैं। प्राथमिक वरीयता एवं रुचि के अभाव में ऐसे विद्यार्थी न तो शिक्षक-शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को ही भलीभाँति आत्मसात कर पाते हैं और न ही व्यावहारिक पक्ष को। इस प्रकार की मनोस्थिति वाले अभ्यर्थियों से राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना व्यर्थ सिद्ध होता है। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में वांछित सुधार करने, प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षुओं की इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हुए उन्हें समुचित

निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने तथा अभिप्रेरित करने से, कुछ हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में भी सुधार अपेक्षित है। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र में विषयगत ज्ञान के साथ-साथ उस विषय के शिक्षणशास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान सहित शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक पक्ष का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के साथ ही शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष को जाँचने हेतु अनिवार्य रूप से साक्षात्कार का आयोजन भी किया जाना चाहिए जिससे संबंधित अभ्यर्थी की शिक्षण योग्यता का आनुभाविक एवं वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। इस स्थान पर यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार को हटा दिया गया है।

शिक्षक व्यवसाय के प्राथमिक वरीयता एवं रुचि का क्षेत्र न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। यथा— नियुक्ति में अधिक समय लगना, नियुक्ति होने पर वांछित स्थान पर नियुक्ति न होना, पदोन्नति संबंधी विसंगतियाँ, पदोन्नति में अधिक समय लगना, शिक्षण कार्य से इतर कार्यों की अधिकता इत्यादि। अतः शिक्षण व्यवसाय को प्रथम वरीयता प्रदान करने के लिए इन समस्याओं की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की स्थिति

शिक्षक-शिक्षा की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या स्वयं इन संस्थानों की स्थिति से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट शब्दों में एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित बी.एड. कार्यक्रम की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक, इसे संचालित करने वाली संस्थाओं का स्वरूप भी है। यथा— उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में बी.एड. कार्यक्रम का संचालन, मुख्यतः तीन प्रकार के संस्थानों क्रमशः राजकीय वित्तपोषित महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित बी.एड. एवं पूर्णतः स्ववित्तपोषित निजी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, परंतु अनेक बार राजकीय स्ववित्तपोषित एवं निजी संस्थानों में संकाय सदस्यों की उपलब्धता नहीं होती। ऐसी स्थिति में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ

सामान्यतः शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में निर्धारित समय पर पाठ्यचर्या पूर्ण करने हेतु उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षुओं की स्थिति निष्क्रिय श्रोता जैसी हो जाती है जो कि उनकी अधिगम प्रेरणा पर विपरीत प्रभाव डालती है। अतः शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का यह प्रमुख दायित्व होना चाहिए कि वह भावी शिक्षकों को सूचनाओं, तथ्यों एवं ज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों से परिचित कराएँ जिससे कि वे स्वयं वांछित सामग्री को ढूँढ़कर उसे उद्देश्यों के अनुरूप सुव्यवस्थित कर मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक रूप से उपयुक्त भाषा में व्यक्त कर सकें।

पाठ योजनाओं के प्रारूप में असमानताएँ

शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षण अभ्यास है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं द्वारा एक निर्धारित अवधि तक विद्यालयों में रहकर अपने स्नातक स्तर के विषयों के आधार पर किन्हीं दो शिक्षण विषयों का अध्यापन कार्य किया जाता है। यह कार्य पाठ योजनाओं के आधार पर किया जाता है। परंतु पाठ योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी संपूर्ण देश में ही नहीं, अपितु किसी एक राज्य विशेष के विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में भी एकरूपता का अभाव पाया जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि किसी एक उपागम पर आधारित पाठ योजना, किसी दूसरे उपागम का समर्थन करने वाले शिक्षक के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है। इससे प्रशिक्षुओं के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे किस प्रारूप को उपयुक्त मानते हुए इस कार्य को पूर्ण करें। इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना के एक निश्चित प्रारूप को विकसित कर उसका अनुपालन, देश के समस्त शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में किया जाना चाहिए। पाठ योजना के चरणों को मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो अधिगम को सरल, सहज तथा सुगम बना सके जिससे शिक्षकों का बहुमूल्य समय पाठ योजना की आलोचना में व्यर्थ नष्ट न हो।

इंटर्नशिप का वर्तमान स्वरूप

शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या इंटर्नशिप के वर्तमान स्वरूप से संबंधित है। समकालीन द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षण अभ्यास के लिए लगभग चार माह की इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। इस अवधि में प्रशिक्षुओं द्वारा स्थानीय विद्यालयों में स्वनिर्मित पाठ योजनाओं के आधार पर, दो विद्यालयी विषयों का शिक्षण करते हुए, संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परंतु इस व्यवस्था का प्रमुख दोष यह है कि इस अवधि में प्रशिक्षुओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन, संकाय सदस्यों के स्थान पर, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विषय-अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में समय तथा विशेषज्ञता के अभाव में उनसे प्रशिक्षुओं में शिक्षण संबंधी दक्षता का विकास करने की अपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः संकाय सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए जिससे कि उन्हें उचित एवं वास्तविक प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके तथा उनके शिक्षण व्यवहार में वांछित सुधार किया जा सके। इंटर्नशिप की अवधि में प्रशिक्षुओं को शिक्षाशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करने तथा उसकी उपयोगिता की जाँच एवं प्रयोग करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास ही बी.एड. पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष में समन्वय स्थापित कर इन दोनों में असमानता को समाप्त कर सकता है।

मूल्यांकन के स्तर में भिन्नता

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में संचालित बी.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित होती है। यद्यपि पाठ्यचर्या का कुछ अंश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाना आवश्यक है, परंतु इसके पश्चात भी पाठ्यचर्या में अधिकांशतः एकरूपता होना आवश्यक है। पाठ्यचर्या की भिन्नता, मूल्यांकन को भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इसी प्रकार प्रश्न-पत्र के स्वरूप में भिन्नता भी मूल्यांकन को प्रभावित करती है। इस भिन्नता के कारण बी.एड. कार्यक्रम के संदर्भ में किसी एक राज्य के अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम की तुलना किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों से नहीं की जा सकती। इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि संपूर्ण देश में शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या का अधिकांश भाग (लगभग 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक) एकसमान हो तथा लगभग 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से ही संपूर्ण देश में एक निष्पक्ष मानक के आधार पर पृथक-पृथक राज्यों के प्रशिक्षु-शिक्षकों की तुलना संभव हो सकेगी। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि बी.एड. उपाधि, उपाधिधारक को देश के किसी भी राज्य में शिक्षक बनने की अर्हता प्रदान करती है, अत: पूरे देश में शिक्षकों के चयन हेतु एकसमान मानकों का होना आवश्यक प्रतीत होता है।

उपर्युक्त समस्याएँ वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श कर इन्हें यथाशीघ्र दूर किया जाए। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु अनेक सुझाव तथा दिशानिर्देश दिए गए हैं, परंतु इनमें भी कुछ स्थानों पर अस्पष्टता दिखाई देती है, यथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिंदु संख्या 5.3 के अंतर्गत यह कहा गया है कि शिक्षकों के अत्यधिक स्थानांतरण पर रोक लगाई जाएगी, जबकि शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या स्थानांतरण से ही संबंधित है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण अनेक शिक्षक, निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक अपने निवास स्थान से बहुत दूर, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर कार्यरत रहने के लिए विवश हैं। समाज के अन्य व्यक्तियों के समान ही शिक्षकों के भी अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक दायित्व एवं समस्याएँ होती हैं। यदि निर्धारित समय पर एवं नियमानुसार स्थानांतरण न हो, तो ऐसी स्थिति में अपने व्यक्तिगत एवं अन्य पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति न कर पाने के कारण उनमें कुंठा और निराशा की भावना उत्पन्न होती है। इसका नकारात्मक प्रभाव उनके शिक्षण पर भी पड़ता है। यदि नियुक्तियाँ स्थानीय आधार पर हों तथा स्थानांतरण, निर्धारित नीति के पूर्णत: पालन के क्रम में हो सके तो अत्यधिक स्थानांतरण जैसी समस्या ही उत्पन्न नही होगी और शिक्षक का संबंध भी समुदाय से बना रहेगा। इसके लिए शिक्षकों को पृथक से प्रयास करने की आवश्यकता ही नही होगी।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु संख्या 5.5 में कुछ विषयों के शिक्षकों की साझेदारी का सुझाव दिया गया है। परंतु इससे यह समस्या उत्पन्न होती है कि यह व्यावहारिक रूप से कैसे संभव होगा। क्या इसके लिए शिक्षक को अपने मूल नियुक्ति वाले विद्यालय के साथ-साथ अन्य विद्यालयों में भी उस विषय विशेष के शिक्षण के लिए जाना होगा? यदि ऐसा ही हो तो क्या इससे उस शिक्षक के मौलिक नियुक्ति वाले विद्यालय के विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे? यदि किसी प्रकार यह संभव भी हो तो पर्वतीय राज्यों के दुर्गम स्थलों पर यह कैसे संभव हो सकेगा? अत: प्रत्येक विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने पर ही शिक्षण की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार संभव है। इसके साथ ही शिक्षा नीति की एक न्यूनता यह भी है कि इसमें शिक्षक-प्रशिक्षकों की तैयारी के आधारभूत कार्यक्रम, एम.एड. पर व्यवस्थित रूप से विचार नहीं किया गया है, जबकि यह शिक्षक-प्रशिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित शिक्षक-शिक्षा संबंधी नवीन प्रावधानों, दिशानिर्देशों एवं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है परंतु इसके पश्चात भी वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में चयन प्रक्रिया, अधिमान अंकों के विस्तार, शिक्षक बनना प्राथमिक वरीयता न होना, शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की स्थिति, प्रभावशाली शिक्षण विधियों का अभाव, पाठ योजना के सर्वमान्य प्रारूप का अभाव जैसी व्यावहारिक समस्याएँ विद्यमान हैं। इन समस्याओं के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए शिक्षक-शिक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है, यथा— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम को बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित करने का सुझाव दिया गया है, परंतु यहाँ पर तथ्य यह है कि मात्र इससे ही शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता। शिक्षक-शिक्षा में सुधार हेतु इस क्षेत्र की विनियामक संस्थाओं को भी अपनी प्रक्रिया में सुधार करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा इसे अभ्यर्थियों की प्रथम वरीयता के रूप में निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है, परंतु यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि क्या विषय का अध्ययन तथा उसके शिक्षण की दक्षता, दोनों को एक ही समय में साथ-साथ प्राप्त किया जा सकता है? या फिर पहले विषय पर स्वामित्व तत्पश्चात उसके शिक्षण की क्षमताओं का अर्जन करना अधिक उपयुक्त होगा, इस पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। एम.एड. पाठ्यचर्या शिक्षक-प्रशिक्षकों की तैयारी का मूल आधार है, अत: नीति में इसकी पाठ्यचर्या पर भी विमर्श अपेक्षित है। इसी प्रकार स्थानांतरण भी एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि शिक्षक-शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस

हेतु दिए गए दिशानिर्देशों से संबंधित, प्रत्येक क्षेत्र पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से विचार करने के उपरांत सर्वप्रथम शिक्षक-शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया जाए। तत्पश्चात संपूर्ण देश में उसके अनुरूप शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाए। मात्र शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों को बिना विमर्श के शीघ्रता से लागू करने पर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते।

संदर्भ

ठाकुर, गोपाल कृष्ण. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन*. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. (1992 में किए गए संशोधनों सहित) भारत सरकार, नई दिल्ली.

———1993. *'शिक्षा बिना बोझ के' यशपाल कमेटी रिपोर्ट*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. *शिक्षक-शिक्षा का आधार पत्रक*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'परख'— एक प्रयास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

कृष्ण चंद्र चौधरी*
अरविंद कुमार**

शिक्षा मानव की अंदरूनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को उजागर करने का कार्य करती है। शिक्षा के द्वारा ही बेहतर तथा जागरूक इंसान बनाए जाते हैं। भावी पीढ़ी में दक्षता एवं मूल्यों को सिखाने का कार्य शिक्षा बखूबी निभाती है। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि देश के नौनिहालों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह हमारे समाज व राष्ट्र की परंपरा एवं संस्कृति को ऊँचा उठाकर वैश्विक विचारधारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और उसे समाज में साझा भी कर सकें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन कितना हुआ है, बच्चों ने कितना सीखा है, अगर सीखने में कठिनाई हुई तो किन तरीकों से उसकी पहचान की गई तथा बेहतरी के लिए क्या प्रयास किए गए। इन सबको जाँचने-परखने का एक सर्वमान्य एवं न्याय संगत तरीका होना चाहिए। ऐसी ही परिकल्पना को मूर्त रूप दे रही है— राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020। इस नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई अहम बदलाव हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रमुख बदलाव आकलन प्रणाली को लेकर किया जा रहा है। विद्यार्थियों के समग्र विकास को आँकने तथा बेहतर बनाने के लिए एन.ई.पी. 2020 में राष्ट्रीय स्तर के एक स्वायत्त निकाय 'परख' की स्थापना की जा रही है। फलत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'परख' के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सभी हितधारकों में सकारात्मक बदलाव आएँगे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 'सतत विकास एजेंडा 2030' के लक्ष्य 4 में वैश्विक स्तर पर 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा निर्धारित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने' की बात कही गई है। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हमारे देश की संस्कृति एवं परंपरा से लैस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'सबके लिए शिक्षा' की आसान पहुँच, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही के बुनियादी स्तंभों को लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही वैश्विक विचारधारा

**विभागाध्यक्ष*, मनोविज्ञान विभाग, सहजानंद ब्रह्मर्षि महाविद्यालय, आरा (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय), भोजपुर (बिहार) 802 301
***सहायक प्राध्यापक*, शिक्षक शिक्षा विभाग, राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर 244 901

को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था को हमने कितना अपनाया है तथा हम ज्ञान के वैश्विक पैमाने पर किस स्तर तक खरे उतर रहे हैं, इन सबके आकलन हेतु हमें अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करने की ज़रूरत होगी।

नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा के मायने मात्र सीखने-सिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र एवं सुखद विकास करने की मंशा से देश में लागू हुई है। यह नीति बच्चों में 21वीं सदी के अनुरूप रचनात्मकता, प्रायोगिक अनुभव, जीवन कौशल, डिजिटल कौशल, समस्या-समाधान कौशल एवं अवधारणात्मक समझ को विकसित करेगी। साथ ही, बच्चों में इनकी कितनी बौद्धिक, भावनात्मक एवं व्यावहारिक समझ पैदा हो पाई है, इसकी समुन्नत व सर्वमान्य जाँच-पड़ताल करने हेतु आकलन निकाय को स्थापित करने का सुझाव भी प्रदान कर रही है।

इस नीति से पहले भी माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–1953), राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–1966) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 (संशोधन 1992) में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आकलन हेतु रटने की आदत को रोकने, बच्चे में परीक्षा के दबाव एवं भय को कम करने के साथ-साथ प्रमाणन परीक्षा (बोर्ड), पूरक प्रणाली, वर्ष में दो बार परीक्षा, अंकन प्रणाली, परीक्षा के प्रकार, मूल्यांकन के तरीके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसे विभिन्न आकलनात्मक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया गया था। सही मायने में ऐसे बहुत से सुधार साकार भी हुए थे, लेकिन फिर भी आज तक मूल्यांकन के तरीकों को उचित मुकाम नहीं मिला। विभिन्न शिक्षाविद भी कहते आए हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था के किसी एक भाग में बदलाव करने की बात की जाए तो वह मूल्यांकन प्रणाली ही होगी। देशभर की आकलन प्रक्रिया एवं नियमों को समझने, लागू करने तथा समय के हिसाब से बदलने के लिए मौजूदा प्रयासों में रचनात्मकता एवं नवीन सोच लानी होगी तभी विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण सोच, जिज्ञासा, मौलिकता, पलटावी क्षमता, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का विकास संभव हो पाएगा। विद्यार्थियों के हुनर तथा काबिलियत की बेहतर जाँच-पड़ताल करने हेतु एन.ई.पी. 2020 में राष्ट्रीय स्तर के एक स्वायत्त निकाय 'परख' (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना की जा रही है।

इस शिक्षा नीति में 'परख' एक नवीन प्रयोग है, जो कि पूरे राष्ट्र की स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के ऐसे तरीके सुझाएगा जो कि न्यायसंगत, भरोसेमंद व प्रभावी शिक्षण में मील का पत्थर साबित होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के सभी रूपों की कला सिखाएगा। अभी तक केंद्र एवं राज्यों के स्कूली शिक्षा के अपने-अपने प्रमाणन बोर्ड हैं और प्रत्येक बोर्ड के मूल्यांकन के तरीके भी अलग-अलग हैं। जिसके कारण विद्यार्थियों को सीखने, अंक प्राप्त करने एवं कौशल को जाँचने के समान व न्यायसंगत अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। समान प्रदर्शन करने के बावजूद भी वह कई मायने में कुछ राज्यों व केंद्रीय बोर्ड (सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.) के विद्यार्थियों

की तुलना में नुकसान में रहते हैं। कई बार तो बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद कुछ विद्यार्थी तो चिंता एवं अवसाद से घिर कर अनहोनी तक के शिकार हो जाते हैं।

सच्चाई तो यह है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, समीक्षा, विश्लेषण करने हेतु 'परख' वास्तव में आज की ज़रूरत है। आकलन के क्षेत्र में 'परख' यकीनन भविष्य के स्वर्णिम भारत की आधारशिला साबित होगा।

क्या है 'परख'?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, 'परख' जारी किया है, जो देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश स्थापित करने पर काम करेगा। 'परख' समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण के लिए खड़ा है। यह रा.शै.अ.प्र.प. के शिक्षा सर्वेक्षण प्रभाग के भीतर स्थापित किया गया है।

क्यों ज़रूरी 'परख'?

- 'परख' एक अनुपम प्रयोग, पहल है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है, जो कि सीखने के स्तर एवं सीखने के अंतर को परखने में सहायक होगा।
- 'परख' नई परीक्षा नियामक संस्था है जो कि ज्ञानार्जन के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होगा, जो साधारण परिवारों के बच्चों को भी समग्र विकास की ओर ले जाएगा।
- 'परख' से स्कूली शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही में सुधार होगा।
- विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए रूपरेखा, नियम और दिशानिर्देश तैयार किए जाएँगे यानी समान 'बेंचमार्क ढाँचा' बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा।
- मूल्यांकन संबंधी मुद्दों एवं चुनौतियों की परख तथा परीक्षा पद्धति की जाँच-पड़ताल की जाएगी।
- रटने से ज़्यादा विषयों की समझ, वैचारिक स्पष्टता पर ज़्यादा ज़ोर रहेगा। योग्यता आधारित विषयों को बच्चे के जीवन से जोड़कर परखा जाएगा।
- बच्चों की सभी गुणों, कौशल एवं कमज़ोरियों का पोर्टफोलियो तैयार होगा।
- देश-दुनिया के माने हुए शिक्षाविदों द्वारा निरंतर शोध तथा मूल्यांकन के आधार पर बच्चों के ज्ञान, कौशल, मूल्यों का विश्लेषण एवं प्रगति की समीक्षा होगी।
- विभिन्न परीक्षा बोर्डों के मूल्यांकन के अंतराल को पाटने हेतु केंद्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में एकरूपता लाने की तैयारी।
- समावेशी मूल्यांकन को बढ़ावा— विद्यार्थियों के वातावरण, जेंडर, अक्षमता को ध्यान दिए बिना समानता एवं न्यायसंगतता के दरवाज़े खुलेंगे।
- राज्य बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) और माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाणपत्र (आई.सी.एस.ई.) की अलग-अलग कार्य प्रणाली तथा आकलन प्रणाली को एक पैमाने पर लाना।
- छात्रों के बेहतर भविष्य हेतु परीक्षा, तनावमुक्त पढ़ाई एवं बस्ते के बोझ को हल्का करने का प्रयास अर्थात रचनात्मक तरीके से सीखने तथा आकलन

को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम, पुस्तकों एवं शिक्षण विधियों में भी बदलाव होगा।

- राष्ट्रीय योग्यता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.), केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.यू.ई.टी.) के बाद अब बोर्ड परीक्षा में बदलाव की तैयारी। यानी उच्च अध्ययन के लिए सभी को मिलेगी समान प्रतिस्पर्धा।
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण कराने की ज़िम्मेदारी।
- 'परख' की स्वीकार्यता आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली में बड़ा फेरबदल लाएगी जिससे समस्त हितधारकों की सोच में भी बदलाव आएगा।
- 'परख' केंद्रीय तथा राज्य बोर्डों का सलाहकार, समालोचक तथा हितैषी होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन का खाका खींचा जाएगा।
- दक्षता आधारित आकलन पद्धति को बढ़ावा तथा इसके संदर्भ में पाठ्यचर्या को पुनः परिभाषित करने हेतु 'परख' की ज़रूरत।

मूल्यांकन से जुड़े सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के समग्र विकास, प्रदर्शन एवं प्रगति की बेहतर सूचना प्राप्त करने के लिए नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, इसमें समझ, विश्लेषण क्षमता एवं वैचारिक स्पष्टता को भी जाँचा जा रहा है। बच्चे कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली इम्तिहान में भाग लेंगे, जिनको कि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संपादित किया जाएगा। बच्चों के समग्र विकास एवं विषयवस्तु की गहनता को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जा रहे हैं। इन कक्षाओं में बोर्ड के इम्तिहान तो होंगे, किंतु इनके महत्व को अपेक्षाकृत कम कर दिया जाएगा। साल में 2 बार (छमाही एवं वार्षिक) बोर्ड परीक्षाएँ होंगी। ज़रूरी होने पर परीक्षा सुधार का भी मौका दिया जाएगा तथा आगे चलकर इच्छानुसार परीक्षा के भी रास्ते खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं को दो हिस्सों में बाँटा जाएगा— वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक।

सभी विषयों का आकलन दो स्तरों पर किया जाएगा— एक कक्षा स्तर पर आंतरिक तथा दूसरा प्रमाणन (बोर्ड) के रूप में बाह्य। इससे विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षाओं का तनाव एवं दबाव कम होगा। परीक्षा में मुख्य ज़ोर उच्च स्तरीय कौशल एवं विषयों को बच्चों के जीवन से जोड़कर ज्ञान का परीक्षण करना होगा, ताकि बच्चों में रटने की आदत खत्म हो और व्यावहारिक मॉडल तैयार हो सकें। पाठ्यक्रम को मूल अवधारणाओं की समझ के दायरे में लाया जाएगा। यह अहम बदलाव 2023–2024 सत्र वाली बोर्ड परीक्षाओं से लागू होने की संभावना है। नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों, विद्यार्थी क्षमता निर्धारण और मूल्यांकन के लिए मानक मापदंड निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव से समाज में ज़रूर सकारात्मक बदलाव आएँगे।

21वीं सदी के हिसाब से बच्चों के आकलन के वैश्विक मापदंडों का पालन किया जाएगा अर्थात केवल संज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण एवं प्रमुख कौशलों से भी बच्चों का विकास किया जाएगा।

सीखने के पारंपरिक तरीकों में बदलाव

पाठ्यचर्या तथा सिखाने के परंपरागत रटने के तरीके को कमतर करते हुए बच्चों में निहित अनुभाविक क्षमता, करके सीखने की क्षमता, रचनात्मकता, व्यावहारिकता एवं अवधारणात्मक समझ को जाँचा-परखा जाएगा। यानी विद्यार्थियों की असली योग्यता का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही विश्लेषण, गहन सोच और वैचारिक स्पष्टता, जैसे उच्च स्तरीय कौशलों को बच्चों में विकसित कर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कसौटी पर कसा जाएगा। आकलन के उपकरणों को सीखने के परिणामों, क्षमताओं एवं रुझानों के साथ जोड़ा जाएगा। कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले योगात्मक सत्रांत परीक्षा केंद्रित आकलन की जगह सीखने के नियमित व सतत रचनात्मक मूल्यांकन पर विशेष ज़ोर रहेगा, क्योंकि यह तरीका बच्चों की योग्यता व प्रदर्शन का कहीं अधिक बेहतर ढंग से चित्रण करता है और आनंददायक भी है। यह बच्चों की विशेषताओं तथा कमज़ोरियों को पहचान कर उन्नति की राह खोलता है।

वर्तमान उपलब्धि आधारित पढ़ाई-लिखाई की जगह दक्षता आधारित सीखने-सिखाने पर ज़ोर रहेगा। कक्षा में समझ एवं दक्षता आधारित शिक्षण व्यवस्था को लागू करने हेतु आकलन पद्धति में बदलाव किया जाएगा। दक्षता एक तरह से ज्ञान, कौशल, मूल्य और नज़रिए का गठजोड़ है जिसको कि समग्र रूप से परखा जाएगा। मूल्य एवं समझ को विकसित करने के लिए बच्चों को कम उम्र से ही 'सही करने' के लिए तैयार किया जाएगा। बच्चे पारंपरिक भारतीय मूल्यों तथा बुनियादी संवैधानिक मूल्यों (सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, शांति, त्याग, सहिष्णुता, देशभक्ति, लोकतंत्र, बुज़ुर्गों का सम्मान, लैंगिक संवेदनशीलता, समानता, विश्वबंधुत्वता आदि) के बारे में विभिन्न नज़रियों के आधार पर तर्क तथा निर्णय कर सकेंगे।

विषयी पाठ्यक्रम के साथ अब तक कमतर मानी जाने वाली पाठ्येत्तर गतिविधियों को बराबर का दर्जा देकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी विद्यार्थियों का समग्र आकलन 'परख' के माध्यम से किया जाएगा। सही मायने में आकलन का मूल उद्देश्य 'सीखने के लिए' होगा। यह पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की मदद तो करेगा ही साथ ही शिक्षकों को भी सीख देगा। कुल मिलाकर सीखने-सिखाने की पूरी प्रक्रिया को पुनः डिजाइन किया जाएगा। जिससे विद्यार्थियों के सोचने-समझने की क्षमता बढ़ेगी। 'परख' के तहत बच्चों की प्रगति एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा उनके अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा।

स्कूली शिक्षा में 'परख' का काम

शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 'परख' की स्थापना की जाएगी। 'परख' राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) के एक स्वायत्त घटक के रूप में कार्य करेगा। स्कूली शिक्षा के सभी चरण (बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक) इसका हिस्सा होंगे।

इसका दायित्व स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, मानक एवं मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाना

होगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए ज्ञान, प्रदर्शन की समीक्षा करने को लेकर बने नियम, मानक, दिशानिर्देश एवं अनुपालन से जुड़ी गतिविधियों को पूरा करना होगा।

मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण को मज़बूत बनाना, तकनीकी सहयोग देना, विद्यार्थियों के 'सीखने के परिणामों' की निगरानी, तुलना एवं सूचना प्रदान करने का कार्य 'परख' करेगा। नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण कक्षा 3 और 5 में भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन (ई.वी.एस.), कक्षा 8 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा 10 में इन विषयों के साथ-साथ अंग्रेजी विषय में भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन एवं प्रगति का आकलन करेगा। इसके साथ ही परीक्षा बोर्डों का मार्गदर्शन करना, सभी स्कूल बोर्डों को मूल्यांकन के बेहतरीन तरीके साझा करना तथा गठजोड़ स्थापित करना भी इसका ही काम होगा।

परीक्षाओं के नतीजों का उपयोग स्कूली शिक्षा प्रणाली की तरक्की के मकसद से किया जाएगा, जिसे स्कूल समग्र रूप से सार्वजनिक करेंगे अर्थात यह नतीजे एक तरह से स्कूल की प्रगति के सूचक होंगे न कि अकेले बच्चे के, यानी आकलन स्कूल आधारित होगा। विद्यार्थियों की निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

'परख' बाद में मूल्यांकन से जुड़े सभी कार्यों, मुद्दों, सूचनाओं तथा विशेषताओं के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की स्रोत (सिंगल विंडो सोर्स) के रूप में काम करेगा। जिसमें राष्ट्रीय और ज़रूरत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी रूपों में मूल्यांकन की कला को सीखा जा सकेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह सभी संबंधित संगठनों जैसे— 'बोर्ड ऑफ असेस्मेंट' (बी.ओ.ए.), रा.शै.अ.प्र.प. एवं एस.सी.ई.आर.टी. सहित अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा।

विश्व बैंक, सीखने-सिखाने की मूल्यांकन प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिए स्टार्स (स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स) योजना के ज़रिए भारतीय शिक्षा मंत्रालय की मदद करेगा। साथ ही हमारे बच्चों की पठन साक्षरता, गणित एवं विज्ञान में सीखने के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन (पी.आई.एस.ए.) के दर्जानुसार करने हेतु भारत की भागीदारी का प्रबंधन करने के लिए 'परख' को लंबे समय के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। जिससे अंततः 'परख' को पंख मिलेंगे।

शैक्षिक परीक्षण सेवा (ई.टी.एस.), अमेरिकन शोध संस्थान (ए.आई.आर.) तथा ऑस्ट्रेलियन शैक्षिक शोध परिषद (ए.सी.ई.आर.) जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं ने देश के पहले स्कूल स्तरीय आकलन एवं मूल्यांकन नियामक संस्था 'परख' को गठित करने हेतु हाथ बढ़ाया है।

विद्यार्थियों का आकलन

मूल्यांकन की कला सिखाने के क्षेत्र में 'परख' एक विचारशील अगुवा होगा। यह उन राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर के सलाहकारों एवं विशेषज्ञों का घर होगा, जो शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखते हैं, आकलन प्रणाली के महारथी हैं और यह जानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? क्या सीखना चाहते हैं?

उन्हें सीखने में कहाँ परेशानी हो रही है? और किस क्षेत्र में बच्चे को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है? इन सब कौतुहलों का जवाब 'परख' से मिलेगा। इसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास तथा मेहनत करने की आदत का विकास होगा। उन्हें यह भरोसा होगा कि हमें हमारी मेहनत का पूरा मेहनताना समान रूप से मिल रहा है। उन्हें परीक्षा की चिंता और डर भी नहीं सताएगा।

'परख' द्वारा बच्चों के प्रदर्शन का आकलन बिना किसी भेदभाव के पेशेवर और भविष्य के तरीकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के 'सीखने के परिणाम' का ही नहीं, बल्कि सीखने के अनुभवों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

'परख' द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के साथ-साथ वैचारिक स्पष्टता के आकलन के अवसर प्राप्त होंगे। किताबी ज्ञान के साथ आलोचनात्मक चिंतन एवं रचनात्मकता को भी परखा जाएगा। विद्यार्थियों में समय के साथ हो रहे बदलाव के अनुरूप सीखने तथा कमियों को दूर करने की पूरी व्यवस्था होगी। 'परख' बच्चों के मात्र ज्ञानात्मक पक्ष का ही नहीं, बल्कि भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का भी आकलन करेगा। यानी स्कूल आधारित आकलन के प्रगति कार्ड को एक नया रूप दिया जाएगा। यह कार्ड विद्यार्थी के समग्र 360 डिग्री विकास का सूचक होगा। इस कार्ड (एच.पी.सी. संपूर्ण प्रगति कार्ड) में हरेक बच्चे की सामर्थ्य, रुचि एवं काबिलियत के क्षेत्र को उकेरा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा-दृष्टि में भी भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास करने वाली पाठ्य-सहगामी गतिविधियों (कला-शिल्प, खेलकूद, संगीत, कौशल, शारीरिक शिक्षा, समूह कार्य, सृजनशीलता, नेतृत्व, परिश्रम करने की इच्छा एवं प्रेरणा आदि) को सीखने तथा आकलित करने की प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही गई है।

'परख' पाठ्य-विषय एवं पाठ्येतर विषयों के अंतराल को पाटने का काम करेगा। बच्चों के सीखने के स्तर में अंतर का विश्लेषण कर उनका प्रदर्शन बेहतर बनाने में मदद करेगा। संकुल स्तर से उच्च स्तर तक विद्यार्थियों की सभी अपेक्षाओं, आशाओं, क्षमताओं की समग्र रूप से निगरानी की जाएगी। मूल्यांकन की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत तकनीकी (सॉफ्टवेयर) को सराहा जाएगा। सॉफ्टवेयर की सहायता से बच्चे स्वयं अपनी तथा अभिभावक, शिक्षक व अधिकारीगण विद्यार्थियों की प्रगति ट्रैक कर सकेंगे। बच्चों का आकलन तभी कारगर माना जाएगा जब बच्चे रटंत पद्धति की जगह ज्ञान की अवधारणा को समझें व समझे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारें। इस प्रकार के ज्ञान से वह अपनी रचनात्मकता, पलटावी समझ, हुनर एवं असाधारणता (नोबलिटी) को गढ़ सकेंगे। आज के समय में जब हम अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो बच्चों की इन सब खूबियों को जाँचने-परखने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समान मूल्यांकन प्रणाली का होना भी बहुत ज़रूरी है। आकलन के ऐसे स्तरीय तरीके ही हमें उन पुरस्कार एवं सम्मान को दिला सकते हैं जो कि अभी तक हमें हमारी संख्या एवं सामर्थ्य के हिसाब से कम ही मिल पाए हैं, जैसे— नोबेल, ऑस्कर, मैन बुकर, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर पुरस्कार आदि।

'परख' का सलाहकार के रूप में कार्य

मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तरजीह देने के लिए 'परख' की स्थापना हो रही है। इसके सफल संचालन के लिए एक परामर्श एजेंसी को काम पर रखा जाएगा। तीन साल की अपेक्षित कार्यान्वयन अवधि के साथ 'असाइनमेंट' की प्रारंभिक तिथि 1 अक्तूबर होगी। परामर्श एजेंसी, 'परख' की कोर टीम को अकादमिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और इससे भी आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों (विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों) की क्षमताओं का निर्माण करेगी और समर्थन प्रदान करेगी। साइकोमेट्रिक विश्लेषण और दस्तावेज़ी प्रक्रिया को मज़बूत बनाएगी। परामर्श एजेंसी, विशेषज्ञों और कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन करके उनको अल्पकाल (3 वर्ष) और लंबी अवधि (5–10 वर्ष) के लिए भर्ती करेगी जो कि 'परख' के कुशल संचालन में रा.शै.अ.प्र.प. की मदद करेंगे।

'परख' द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) 2024 के लिए एक विस्तृत एवं बेहतर रूपरेखा बनाई जाएगी जो कि विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को जानने तथा अंकों की तुलना करने में मदद करेगा। परामर्शदाता एजेंसी 'परख' की टीम को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यक्रमों, जैसे— अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम (पी.आई.एस.ए.), अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में रुझान (टी.आई.एम.एस.एस.) और अंतर्राष्ट्रीय पठन साक्षरता अध्ययन में प्रगति (पी.आई.आर.एल.एस.) से रूबरू कराएगी, और भारत के लिए उचित कार्यक्रमों की पहचान करने में उसकी मदद करेगी। यह एजेंसी एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन में भाग लेने के लिए 'परख' की टीम भी तैयार करेगी, जिसमें 'पायलट प्रोजेक्ट' के तौर पर स्कूलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन (पी.आई.एस.ए.) या अन्य परिचित अभ्यास करना शामिल है।

'परख' 21वीं सदी की कौशल आधारित ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन पैटर्न को बदलने में बोर्डों की मदद करेगा। नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देगा। स्कूल बोर्डों के मध्य समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देगा तथा विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की बराबरी को कायम करेगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, जैसे— मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक को सम्मिलित करते हुए स्कूल आधारित मूल्यांकन तय किए जाएँगे।

शिक्षकों के लिए फायदेमंद साबित होगा 'परख'

- विद्यार्थी केंद्रित शिक्षणशास्त्र को लागू करने के लिए शिक्षकों में क्षमता निर्माण को मज़बूत किया जाएगा। 'सॉफ्ट स्किल', पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, हस्तपुस्तिका, कक्षा प्रबंधन, ई-संसाधन एवं संदर्शिका जैसे शिक्षक संसाधनों की रूपरेखा दुबारा खींची जाएगी।
- शिक्षकों की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने हेतु उन्हें कहीं.ज़्यादा भरोसेमंद व उचित आकलन के तरीके, साधन, नियमावली, दिशानिर्देश और प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाएँगे।

- ‘परख’ शिक्षकों को अपने अंदर यह झाँकने को विवश करेगा कि वह किस स्तर का पठन-पाठन करते हैं और उन्हें अपना शत-प्रतिशत योगदान देने हेतु अपनी शिक्षण नीति में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए।
- ‘परख’ टीम शिक्षकों की उन सभी दक्षताओं की समीक्षा तथा आकलन करेगी जो कि बच्चों के समग्र प्रदर्शन तथा सीखने के परिणाम हेतु ज़रूरी हैं। ऐसा होने पर शिक्षकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनका मनोबल बढ़ेगा।
- शिक्षक, बालक की बौद्धिक खासियत ही नहीं, बल्कि भावनात्मक एवं क्रियात्मक पहलू, जैसे— मिल-जुलकर कार्य करना, पूछताछ आधारित सीखना, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेलकूद, वाद-विवाद, चित्रकारी, गाना-बजाना, मूल्य एवं नैतिकता जैसी खूबियों को जानकर उनमें बच्चों की भागीदारी को बढ़ाएँगे तथा प्रदर्शन को परख सकेंगे। एक तरह से शिक्षकों के पास विद्यार्थियों का पूरा ‘पोर्टफोलियो’ होगा।
- शिक्षक डिजिटली मज़बूत होंगे। बच्चों की तरक्की एवं प्रदर्शन को ट्रैक करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्म/तकनीकी आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकेंगे। बहुआयामी प्रगति कार्ड के द्वारा शिक्षक, माता-पिता के साथ बच्चे के बारे में जानकारी साझा कर सकेंगे तथा स्वयं भी बच्चे की खूबियों को पहचान सकेंगे।
- शिक्षक, बच्चों में रट्टामार पद्धति की जगह अवधारणामक समझ को बढ़ाने पर ज़ोर देंगे, साथ ही बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचि तथा फोकस के क्षेत्रों की पहचान कर उनका करियर चयन में मददगार होंगे।
- बच्चों के बस्ते का बोझ या किसी भी तरह का बोझ कम करने एवं काफ़ी कम विषय सामग्री का टेस्ट लेने की व्यवस्था होने की वजह से शिक्षक भी सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में पूरे मनोयोग से जुटेंगे।
- बच्चों की रचनात्मक, अनुभवात्मक, प्रायोगिक, खोजिए, तार्किकता जैसी खूबियों को शिक्षक जाँच-परख सकेंगे जिससे शिक्षकों के लिए भी नियमित सीखने व प्रशिक्षण प्राप्त करने के नवीन द्वार खुलेंगे।
- कोचिंग संस्कृति की जगह सार्थक सीखने-सिखाने पर ज़ोर देने से शिक्षकों की भूमिका में भी बदलाव आएगा, यानी शिक्षक विद्यार्थियों के बुनियादी प्रयासों को तवज्जो देंगे।
- 21वीं सदी के अनुसार बच्चों का 360 डिग्री विकास करने हेतु शिक्षक खुद को तैयार कर सकेंगे तथा उनके पास कक्षा-कक्ष के बाहर भी बच्चों की मदद करने के मौके होंगे।
- शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता की होगी चाहे वह विद्यार्थियों हेतु विषय, हुनर के चुनाव में मदद करने की हो या फिर बोर्ड परीक्षा के भय, डर व दबाव से निजात दिलाने की। विशेषकर गणित का भय बच्चों के दिलोदिमाग से निकाला जाएगा।
- बच्चों को सिखाने के कम उपयोगी तौर-तरीकों की जगह शिक्षकों द्वारा रचनात्मक, ‘पीयर ट्यूटरिंग’, प्रोजेक्ट, खोज, कहानी कथन, पहेलियाँ, परिवेशीय निरीक्षण, खेलीय गतिविधि, अनुभवात्मक, सहयोगात्मक एवं बहुस्तरीय शिक्षण जैसे ज़रूरी तरीकों पर ज़ोर दिया जाएगा। जिससे शिक्षकों को

मूल्यांकन के नए पैटर्न की जानकारी होगी तथा आकलनात्मक शोध के अवसर भी मिलेंगे।

- शिक्षकों के पास सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने तथा उनके समावेशन हेतु शिक्षण के उन्नत तरीकों को जानने का मौका मिलेगा।

निष्कर्ष

'परख' द्वारा लागू की जा रही सर्वमान्य व्यवस्था देश के संपूर्ण राज्य एवं केंद्रीय बोर्ड के पठन-पाठन के तौर-तरीकों एवं आकलन प्रक्रिया में एकरूपता लाएगी। बालकों में समानता एवं न्यायसंगतता का भाव पैदा करेगी। बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के साथ भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन वर्तमान समय की माँग है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, उसकी रचनात्मकता, पलटावी समझ, वैचारिक स्पष्टता, चिंतन तथा महत्वपूर्ण सोच जैसे विभिन्न प्रदर्शनों की जाँच-पड़ताल करके ही उनको तरक्की की राह पर लाया जा सकता है। आज का समय दक्षता आधारित सीखने-सिखाने का है, इसलिए बच्चों के ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं मंशा का समुचित आकलन करने में 'परख' अगुवा सिद्ध होगा। 'परख' मूल्यांकन के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का पालन करेगा, जिससे हमारे बच्चों की समझ का दायरा भी विश्वस्तरीय होगा। विद्यार्थियों की प्रगति तथा प्रदर्शन के आकलन हेतु तकनीकी का सहारा लेना 'परख' को और अधिक व्यापक व प्रासंगिक बनाएगा। परंपरागत योगात्मक मूल्यांकन व्यवस्था की जगह रचनात्मक मूल्यांकन पर ज़ोर देने से विद्यार्थियों की रटने की आदत में कमी आएगी, साथ ही परीक्षा का दबाव एवं डर भी खत्म होगा। बच्चों की खूबियों एवं कमज़ोरियों की पहचान एवं जाँच हो सकेगी। सीखने के परिणामों का आकलन भी बखूबी होगा। शिक्षकों में भी दायित्व बोध की भावना का विकास होगा। सभी हितधारकों के लिए 'परख' एक नई आशा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा-दृष्टि को लागू करने में अगुवा सिद्ध होगा। अंततः इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आने वाले समय में समाज पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा।

संदर्भ

चौधरी, कृष्ण चंद्र. 2018. *प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, विकास और शिक्षा*. बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना.

2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साँचे से होगा परिवर्तनकारी सुधार और दूरगामी प्रभाव. *प्राथमिक शिक्षक*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली. अक्तूबर 2020, अंक 4, पृ.सं. 17–25.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

https://basickamasterlin/2022/08/17/parakh-yojna-new-education-policy/

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642061 (11 सितंबर को देखा गया।)

https://transformingindialmygovlin/all-infographics/page/9/?lang=hi&sector=policy-education-skills

https://www.livehindustanlcom/career/story-ncert-parakh-plan-to-assess-students-may-take-off-soon-by-modi-government-education-ministry-6943535lhtml

8

पर्यावरण संरक्षण में विधायिका की भूमिका

पुष्प लता वर्मा*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को विद्यालय पाठ्यक्रम में समाहित करने पर ज़ोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का भाव भारत के हर नागरिक में जाग्रत करने के लिए इस विषय को छात्रों को पढ़ाना अति आवश्यक है। हमारे शिक्षकों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाहन करना होगा इसके लिए यह भी आवश्यक है की शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी इस विषय को शामिल किया जाए। सतत विकास लक्ष्य 13 में भी जलवायु कार्यवाही की बात कही गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन का अधिकार' केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रदूषण मुक्त जल और वायु को समाहित करते हुए सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। संविधान के अलग-अलग अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए कहा गया है, जैसे— वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करके और उसमें सुधार करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें।

प्रस्तुत लेख में विभिन्न नीतियों का वर्णन है जो पर्यावरण संरक्षण मे महत्पूर्ण सुझाव देती हैं और मानवजीवन को कल्याणकारी बनाती हैं।

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करे और उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक-दूसरे पर आश्रित हैं।

ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सघनता से होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण समाज और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से कृषि, वानिकी, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य, तटीय बस्तियों तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र को या तो बदलती हुई जलवायु के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा या इसके दुष्परिणामों का सामना करना होगा।

पर्यावरण का अर्थ हमारे (मनुष्य के) आस-पास का वह भौतिक परिवेश हैं जिसका हम (मनुष्य) एक भाग हैं और वह जैविक कार्यकलापों, भरण-पोषण और विकास जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए उस पर निर्भर है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल

* *सह-आचार्य*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110 016

और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से लेकर ऊर्जा वाहक, मृदा और पेड़-पौधे, पशु और पारिस्थितिकी तंत्र आदि जैसे तत्व शामिल हैं। भौतिक पर्यावरण और मनुष्य और समाज के कल्याण के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं सहित बहुआयामी संबंध हैं। पर्यावरण को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पर्यावरणीय, अवक्रमण को आस-पास प्रदूषक तत्वों और अन्य कार्यकलापों की सघनता तथा भूमि के अनुचित उपयोग और प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक-आर्थिक, संस्थागत और प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों के कारण पर्यावरण का अवक्रमण होता है। आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, सघन कृषि, ऊर्जा के बढ़ते उपयोग और परिवहन सहित अनेक कारणों से पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तन होता है। निर्धनता अभी भी पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं की जड़ बनी हुई है। हमारे देश भारत में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कचरा तथा प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ विद्यमान हैं। भारत में रोगों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आजीविका पर दीर्घावधिक प्रभाव डालने वाले प्राथमिक कारणों में पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं। पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन हमारे देश में आर्थिक विकास और मानवीय समृद्धि के लिए एक पूर्वपेक्षा है।

पर्यावरण और भारतीय संविधान

पर्यावरण दूषित होने से बचाने के लिए यह आवशयक है की इससे संबंधित शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में लाया जाए जिससे कि भारत का हर नागरिक इस दिशा मे सोच सकता हैं, जागरूक हो सकता है। हमरे संविधान मे भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया है—

चित्र 1—पर्यावरण संरक्षण को दर्शाते पोस्टर

- भारत के संवैधानिक ढाँचे में पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रदूषण मुक्त जल और वायु को समाहित करते हुए सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- संविधान के भाग 4 (क) के अंतर्गत अनुच्छेद 51 (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करके और उसमें सुधार करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। इसके अतिरिक्त, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 (क) में यह विहित किया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार 'पर्यावरण' शब्द के अंतर्गत जल, वायु और भूमि सहित मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पेड़-पौधों सूक्ष्म-जीवाणुओं तथा संपत्ति के बीच मौजूदा पारस्परिक संबंध शामिल हैं। जैसे-जैसे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है वैसे-वैसे पर्यावरण से जुड़ी अन्य समस्याएँ सामने आ रही हैं, इसके उचित उदाहरण हैं।

भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन

- भूमंडलीय तापन शब्द का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल तथा महासागरों के औसत तापमान में धीर-धीरे वृद्धि होना है। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो धरती की जलवायु को स्थायी रूप से परिवर्तित कर रहा है। यद्यपि, इस संबंध में अभी चर्चा चल रही है तथापि, वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध कर दी है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी का औसत वैश्विक तापमान, पिछली सहस्त्राब्दि के दौरान कभी भी रहे तापमान से अधिक है तथा वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों की सहमति है कि तापमान में यह वृद्धि मानवीय कार्यकलापों के कारण है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सघनता से होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण समाज और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से कृषि, वानिकी, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य, तटीय बस्तियों तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र को या तो बदलती हुई जलवायु के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा या इसके दुष्परिणामों का सामना करना होगा। जलवायु के बदलते पैटर्न, विशेष रूप से मौसम की विषम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप सूखे, बाढ़, सुनामी और चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि होगी।
- वैश्विक स्तर पर इसे रोकने/कम करने के लिए बहुत से समझौते और प्रोटोकॉल बन रहे हैं। भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा समझौता (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.),

क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते इस में शामिल हैं। पेरिस समझौते के अंतर्गत, हमारे देश ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता को 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में कम करने; 2030 तक ऊर्जा संसाधनों पर आधारित गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत समग्र विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता और 2030 तक वन तथा पेड़ों का दायरा बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किए हैं।

वन संरक्षण

- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में वनों की भूमिका को 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में दोहराया गया जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनःस्थापित करना और वनों का दायरा बढ़ाना है। इस नीति के अन्य उद्देश्यों में वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने की आवश्यकता को मान्यता प्राप्त करते हुए ग्रामीण और जनजातीय लोगों की ईंधन, चारे और छोटी-मोटी लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करना शामिल है। 1988 में ही भारत की संसद ने कड़े संरक्षण उपायों की ज़रूरतों को देखते हुए 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया था। 2009 के भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के दस्तावेज़ में सतत वन प्रबंधन के साथ वन संरक्षण की दिशा में भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। भारत ने वन प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया है जहाँ स्थानीय समुदायों की आर्थिक ज़रूरतों की अनदेखी नहीं की जाती है; बल्कि इसमें वैज्ञानिक वानिकी के माध्यम से देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए वनों का संरक्षण किया जाता है।
- भारत की गिनती दुनिया के कुछ ऐसे देशों में होती है जहाँ, विकासात्मक प्रयासों के जारी रहते हुए भी, वनों और पेड़ों का दायरा बहुत बढ़ा है। भारत में वनों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट, 2019 के अनुसार वनों और पेड़ों का दायरा बढ़कर 80.73 मिलियन हेक्टेयर हो गया है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। 2017 के पहले वाले आकलन की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर वनों और पेड़ों के दायरे में 5,188 वर्ग किमी (0.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

हमारा देश तीन तरफ़ से जल से घिरा हुआ है और यहाँ पर दलदली मिट्टी तथा जलीय पेड़-पौधों के संरक्षण का भी प्रावधान है।

नम भूमि का संरक्षण

- नम भूमि जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र होते हैं जिनमें कई प्रकार के भूतलीय, तटीय और समुद्रीय पर्यावास सम्मिलित होते हैं। इनमें बाढ़ के मैदान, दलदल, कच्छ भूमि, तालाब, ज्वारीय कच्छ भूमि और मानव-निर्मित नम भूमि शामिल है। नम भूमि सर्वाधिक उत्पादक जीवन सहायता तंत्रों में से एक है और इसका मनुष्य के लिए अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय महत्व है। जो प्राकृति के

बचे रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रवासी पक्षियों को शरण देने के साथ ही वे पक्षियों और पशुओं की संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों, स्थानीय पौधों, कीटों के लिए समुचित पर्यावास उपलब्ध कराते हैं।

- भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले नम भूमि पारिस्थितिकीय तंत्रों की प्रचुर संपदा विद्यमान है। भारत नम भूमियों संबंधी रामसर अभिसमय और जैव विविधता संबंधी अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है। रामसर घोषणा देश की महत्वपूर्ण नम भूमियों के संरक्षण और उनका सतत उपयोग करने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में, भारत में कुल 37 रामसर स्थल हैं और इन स्थलों का दायरा 10,67,939 हेक्टेयर में फैला है।
- विश्व के एक प्रमुख विविधता वाले देश के रूप में भारत इन पारिस्थितिकीय तंत्रों की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की विविधता के साथ ही इन पारिस्थितिकीय तंत्रों के पारिस्थितिकीय स्थिति को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नम भूमि के पुनरुद्धार के लिए एक चहुमुखी नीति तैयार की है जिसमें आधारभूत आँकड़े तैयार करना, नम भूमि गुणवत्ता कार्ड बनाना, नम भूमि मित्रों की सूची बनाना और लक्षित समेकित प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना शामिल हैं। सरकार के विनियमों के अलावा प्रत्येक नम भूमि संसाधन की भौतिक और जैविक विशेषताओं की जानकारी बढ़ाने के लिए बेहतर निगरानी पद्धतियों का विकास करने और इस जानकारी का लाभ उठाने के लिए नम भूमि की विशेषता को बेहतर ढंग से समझने और उसे बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

जैव विविधता का संरक्षण

- जैव विविधता अधिनियम 2002, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित विधान है जिसे भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु लाया गया है और इसमें पारंपरिक जैविक संसाधनों और जानकारी के उपयोग में होने वाले लाभों के समान वितरण हेतु तंत्र का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम को जैव विविधता संबंधी अभिसमय, जिसका भारत भी एक सदस्य है, के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने हेतु, अधिनियमित किया गया था। भारत के जैव-विविधता अधिनियम 2002 को कार्यान्वित करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
- राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण एक सांविधिक स्वयात्त निकाय है और यह जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के वितरण के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाले विनियामक और सलाहकार के रुप में कार्य करता है।

वन्यजीव संरक्षण

- वन्यजीव संरक्षण लुप्तप्राय पौधों और पशु प्रजातियों और उनके रहने के स्थानों के संरक्षण की पद्धति है। वन्यजीवों के संरक्षण के लक्ष्यों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षित रखा जाए,

ताकि वे इसका आनंद ले सकें और वन्यजीवों का महत्व समझ सकें। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जंगली जानवरों और पक्षियों को शिकार से बचाने और वाणिज्यिक उपयोग के लिए पौधों की कटाई रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। वन्यजीवों की हत्या करने वालों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने और वन्यजीवों का शिकार किए जाने तथा उनसे बनने वाले उत्पादों का अवैध व्यापार रोकने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक उपबंध किए गए हैं।

- बाघ परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, पारंपरिक और पारिस्थितिकीय महत्व के लिए भारत में बाघों की संख्या बढ़ाई जाए तथा लोगों के लाभ, शिक्षा और आनंद के लिए प्राकृतिक विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को आने वाले समय के लिए संरक्षित किया जाए। हाथी परियोजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे फरवरी, 1992 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य हाथियों, उनके रहने के स्थानों और गलियारों के संरक्षण के लिए देश के हाथी बाहुल्य राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन

- पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के अंतर्गत किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलू पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया जाता है। इस आकलन का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय करने वाले इस बात का निर्णय करते समय कि किसी परियोजना को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस बात पर भी विचार करें कि परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 'इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट' पर्यावरण प्रभाव आकलन को "बड़े निर्णय लेने और प्रतिबद्धताएँ करने से पहले विकास परियोजनाओं के जैव-भौतिक, सामाजिक और अन्य संगत प्रभावों की पहचान करने, उनकी पूर्व-सूचना देने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें कम करने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित करती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी पूर्व-निर्धारित पर्यावरणीय परिणाम की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि इसमें निर्णय करने वालों को अपने निर्णय लेते समय परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना होता है और विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर जनता की टिप्पणियों के आलोक में अपने निर्णयों को न्यायोचित ठहराना होता है।

पर्यावरण संबंधी अन्य विधान

- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 में प्रदूषणकारी ईंधन और पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों का विनियमन करके वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स

(एस.पी.सी.बी.) के साथ परामर्श करके राज्य के भीतर के किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की जाँच करें, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और विनिर्माण प्रक्रियाओं का निरीक्षण करें।

- भारत सरकार ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) शुरू किया था जिसका उद्देश्य 2024 तक पी.एम. 10 और पी.एम. 2.5 प्रदूषण स्तर में 20–30 प्रतिशत कमी लाने के लक्ष्य के साथ वायु प्रदूषण की समस्या पर व्यापक रूप से कार्य करना है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में एंबियंट एयर क्वालिटी की निगरानी करने के लिए एक प्रभावी नेटवर्क तैयार करना और उसका विस्तार करने के अलावा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए व्यापक प्रबंधन कार्यक्रम बनाना और जन-जागरूकता बढ़ाना तथा क्षमता विकास के उपायों में संवर्धन करना है।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करने और देश में उपलब्ध जल की गुणवत्ता को बनाए रखने अथवा उसे पुनः गुणकारी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। जल अधिनियम के अंतर्गत जलाशयों में निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक तत्वों को प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर शास्तियाँ निर्धारित की गईं हैं। केंद्र में जल अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है जो जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के मानक निर्धारित करता है। राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार कार्य करते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, के अंतर्गत पर्यावरणीय सुरक्षा की दीर्घावधि आवश्यकताओं संबंधी अध्ययन, नियोजन और उनके कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित की गई है और पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली स्थितियों के समाधान के लिए त्वरित और पर्याप्त कार्रवाई तंत्र की स्थापना की गई है। यह एक समावेशी कानून है जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय तंत्र उपलब्ध कराता है। पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग अथवा कार्य में संलग्न व्यक्ति द्वारा वातावरण में प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन या प्रवाह के लिए मानक निर्धारित करके, उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान का विनियमन करके; खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन करके, और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण

एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने की शक्ति प्रदान की गई है।

सतत विकास

- सतत विकास का अर्थ है, 'भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना।' सतत विकास के समग्र उद्देश्य हैं— (1) आर्थिक विकास में तेज़ी लाना, (2) बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, (3) जीवन स्तर में सुधार करना, (4) सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में सहायता करना, (5) आर्थिक विकास के अच्छे प्रभावों को अधिकतम करना, (6) पर्यावरण, मानव और भौतिक पूँजी का संरक्षण और संवर्धन, (7) अंतर-पीढ़ीगत समानता और (8) प्राकृतिक संसाधनों के सकल दोहन पर समग्र रूप से कड़ा नियंत्रण।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है और देश के राष्ट्रीय विकास एजेंडा का अधिकांश हिस्सा सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में दिखाया गया है। एस.डी.जी. अपने सभी आयामों में गरीबी समाप्त करने के लिए एक साहसिक, सार्वभौमिक समझौता है और 2030 तक लोगों, विश्व और समृद्धि के लिए एक समान, न्यायसंगत और सुरक्षित विश्व के निर्माण का प्रयास करता है। सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत 17 एस.डी.जी. और 169 लक्ष्य जनवरी, 2016 को प्रभावी हुए।
- राज्य और स्थानीय सरकारें भी विकास कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि उनका निवेश केंद्र सरकार से लगभग सत्तर प्रतिशत अधिक है। भारत के संघीय ढाँचे को देखते हुए इसकी प्रगति राज्यों पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि वे लोगों को प्रमुखता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने में बेहतर की स्थिति में है कि कोई भी पीछे न रहे।

उपरोक्त दी गई जानकारी विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए है। विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षक के रूप मे काम कर सकते हैं। विद्यालय में 'इको क्लब' के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं और विद्यार्थियों को इन सब गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। कक्षा 6–12 तक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे अध्याय हैं जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं, अवधारणाओं और मुद्दों से संबंधित हैं। सामाजिक विज्ञान और भाषा की पाठ्यपुस्तकें पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को भी एकीकृत करती हैं। पानी और उसके संरक्षण से संबंधित चिंताओं, अवधारणाओं और मुद्दों को पहले से ही मौजूदा स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इन सभी माध्यमों के द्वारा एक विद्यार्थी के मन में पर्यावरण संरक्षण की ज्योत तो जग ही जाएगी। एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है की वह अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षक के लिए प्रेरित करें। इसके लिए उसे भी अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस विषय को सम्मिलित करना होगा।

चित्र 2— छात्रों द्वारा बनाए गए पोस्टर

निष्कर्ष

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच सीधा संबंध है। पर्यावरण पर ध्यान दिए बिना आर्थिक विकास पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान और भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, विश्व की समग्र प्रगति और समृद्धि के लिए सतत विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने अपनी प्राकृतिक समस्याओं का समाधान करने और अपनी पारिस्थितिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विश्व में सबसे तीव्र गति से कार्य किया है। हमारी पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण रणनीतियों में स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रणाली, बेहतर ऊर्जा दक्षता, लचीला शहरी बुनियादी ढाँचा, सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क, नियोजित वनीकरण, सतत जलवायु कृषि आदि पर ज़ोर दिया गया है। परंतु, इष्टतम स्तर की पर्यावरणीय गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

संदर्भ

अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. https://www.unenvironment.org/explore-topics/Sustaintable-development-goals/about-sSustaintable-development-goals

आर्थिक सर्वेक्षण, 2019–20. खंड II, अध्याय— सतत विकास और जलवायु परिवर्तन.

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. 2019. वॉल्यूम 1, अध्याय— एग्जीक्यूटिव समरी.

एनवायरनमेंट लॉज इन इंडिया. https://www.mondaq.com/india/Environment/624836/Environment-Laws-In-India

एनवायरनमेंटल कंसर्न्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट— स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. https://www.researchgate.net/publication/286186381_ENVIRONMENTAL_CONCERNS_AN_D_SUSTAINABLE_DEVELOPOP_SPECIAL_REFERENCE_TO_INDIA

एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेल-बीइंग : एविडेंस फ्रॉम इंडिया. https://www.researchgate.net/publication/266713780_Environmental_Degradation_Sustaintable_Development.and_Human_Well-being_Evidence_from_India

एनवायरनमेंटल लेजिसलेशन एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. http://www.sacep.org/pdf/Reports-Technical/2002-UNEP-SACEP-Law-Handbook-India.pdf

द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन. https://www.indiabudget.gov.in/budget_archive/es98-99/chap1104.pdf

द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया. http://moef.gov.in/wp-content/uploads/wssd/doc2/ch2.html

प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. https://pib.gov.in/newsite/mbErel.aspx?relid.122326

रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंटल गवर्नेंस आर्किटेक्चर फॉर इंडिया. https://www.teriin.org/sites/default/files/2018-07/Environmental%20Governance.pdf

विशेष

9

सारंगी

हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक (कक्षा 1)

प्रिय शिक्षक साथियो,

आप जानते हैं कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक केवल एक उपकरण और माध्यम है जो बच्चों में उन अनंत क्षमताओं को विकसित करने में सहायक है जिनके बीज उनमें पहले से ही हैं। आप सभी से यह आग्रह है कि पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से भी बच्चों को कक्षा-कक्ष के इर्द-गिर्द फैली अनंत प्रकृति से अवगत कराएँ; उन्हें स्वयं खोजबीन करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करें; उन्हें अपनी बात कहने के अवसर दें; सही-गलत का फैसला न लेते हुए बच्चों के साथ एक संवाद में शामिल हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, भाषा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और न्यायप्रिय समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नीति में बच्चों की शिक्षा में भाषा और साक्षरता के विकास को बहुत महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि भाषा और साक्षरता की ठोस नींव बच्चों के लिए अन्य विषयों को सीखने में बहुत सहायक होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी स्तर (फाउंडेशनल स्टेज) पर बच्चों में भाषा के विकास के साथ-साथ सतत सीखने की कला, समस्या-समाधान, तार्किक और रचनात्मक सोच के विकास पर भी बहुत बल दिया गया है। इस स्तर पर भाषा के साथ-साथ अन्य विषयों और गतिविधियों में भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य, चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को समेकित रूप में सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई है।

कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक *सारंगी* का सृजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया है—

1. पढ़ने-लिखने की शुरुआत के लिए बच्चों के जीवन से जुड़ी बातों को आधार बनाया गया है जिससे यह प्रक्रिया सहज और अर्थपूर्ण हो।
2. भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमें संप्रेषण के साथ-साथ सोचने, समझने, प्रश्न पूछने आदि में सहायक है। रोचक बात यह भी है कि विभिन्न कार्यों के लिए जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग होता है, उतनी ही तेज़ी से हमारी भाषा का विकास भी होता है। अत: इस पुस्तक में अपनी भाषा में बातचीत करने, सुनकर कुछ करने, कहानी और कविताओं का आनंद लेने, ध्वनि और शब्दों की पहचान के साथ खेलने, कला एवं

संगीत से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के अनेक अवसर दिए गए हैं। ये अवसर अलग-अलग संदर्भों में दिए गए हैं और बार-बार दिए गए हैं।

3. इस पुस्तक में पाँच ऐसे संदर्भों को चुना गया है जो बच्चों के जीवन से जुड़े हैं— परिवार, जीव-जगत, हमारा खान-पान, त्योहार और मेले तथा हरी-भरी दुनिया।
4. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा में बच्चों के संदर्भ की वस्तुओं/घटनाओं/व्यक्तियों के साथ इस पुस्तक में दी गई पठन सामग्री को जोड़ा जाए। इस हेतु सुझाव भी दिए गए हैं।
5. हर पाठ में लगभग सारी दक्षताओं का ध्यान रखा गया है। बच्चों के दृष्टिकोण से पाठों को रोचक बनाने के लिए कार्यों में विविधता लाने का प्रयास किया गया है।

पाठ्यचर्या लक्ष्य

बुनियादी स्तर (फाउंडेशनल स्टेज) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2022) में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित पाठ्यचर्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

- CG-9 बच्चे दैनिक जीवन के लिए प्रभावी संप्रेषण की कुशलता विकसित करते हैं।
- CG-10 बच्चे पहली भाषा (L1) में पढ़ने और लिखने में निपुणता विकसित करते हैं।

इस रूपरेखा के अनुसार भाषा सीखने-सिखाने के लिए भाषा-शिक्षण के चारों स्तंभों पर कार्य करना महत्वपूर्ण है। ये चार स्तंभ हैं— मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना।

- **मौखिक भाषा का विकास**— बेहतर ढंग से सुनकर समझना, मौखिक शब्दावली का विकास और साथियों व अन्य जानकार लोगों (जैसे—बड़े विद्यार्थी, शिक्षक, माता-पिता) के साथ बातचीत और चर्चा का उपयोग सीखने के लिए करना।
- **शब्द पहचान**— इसमें प्रिंट जागरूकता और ध्वनि जागरूकता, प्रतीकों और ध्वनि का संबंध, लिखित शब्द पहचानना और शब्दों को लिखना शामिल है।
- **पढ़ना**— लिखित सामग्री से अर्थ का निर्माण करना और इसके विषय में आलोचनात्मक/समीक्षात्मक ढंग से चिंतन करना।
- **लिखना**— तार्किक और व्यवस्थित तरीके से विचारों या सूचनाओं की प्रस्तुति के साथ-साथ शब्दों को सही ढंग से लिखने की क्षमता।

इस पुस्तक में हर विषय के इर्द-गिर्द चुनी पठन सामग्री में इन चार स्तंभों को निम्न प्रकार से बाँटा गया है—

मौखिक भाषा का विकास

पुस्तक में अलग-अलग भाग हैं, जैसे— 'चित्र और बातचीत', 'कविता', 'आओ कुछ बनाएँ', 'खेल-खेल में' और 'खोजें-जानें'। इन सभी का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करना है। इसके साथ-साथ बच्चे मिलकर कुछ बनाते समय एक-दूसरे के विचारों को सुनेंगे, 'खोजें-जानें' क्रियाकलापों के दौरान अपने परिवार एवं समुदाय के लोगों के साथ बातचीत कर कुछ समझने का प्रयास करेंगे आदि। उदाहरण के लिए, 'गिलहरी की कहानी'

में चित्रों को देखकर कहानी बनाना और उसे अपनी भाषा में कहना/'अँगूठे की छाप' से अपनी पसंद के चित्र बनाना आदि।

शब्दों को पहचानना एवं गढ़ना

'शब्दों का खेल' कहानी और कविता के बाद दिया गया है। एक साथ पूरी वर्णमाला सीखने के बजाय कुछ वर्णों और मात्राओं से अवगत कराते हुए शब्द बनाने के कार्य दिए गए हैं, जैसे— 'आलू की सड़क' कहानी में 'ब' से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानना और लिखना सिखाया गया है। 'झूलम-झूली' कविता में 'उ' और 'ऊ' ध्वनि की आकृति एवं उनकी मात्राओं की पहचान करना, शब्दों का दूसरा साथी खोजना, लिखना और पढ़कर सुनाना जैसे अभ्यास दिए गए हैं, जिसमें बच्चों से यह अपेक्षा की गई है कि वे छुप्पम, झूलम, पकड़म आदि शब्दों की समान लय वाले शब्द बनाएँगे। शब्दों के खेल में जो शब्द हैं, वे कविता या कहानी से लिए गए हैं। अन्य शब्द बच्चों के संदर्भ से ही लिए गए हैं और उनके भी चित्र दिए गए हैं, ताकि शब्दों का खेल सार्थकता से हो। आनंदमयी और सार्थक भाषा शिक्षा के लिए 'आओ बूझें पहेली' और 'झटपट कहिए' भी है। उदाहरण के लिए, 'अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए' आदि।

पढ़ना

'सुनें कहानी', 'मिलकर पढ़िए' और 'कविता' आदि भागों में बच्चों के लिए पढ़ने की विविध दक्षताओं को विकसित करने के अवसर हैं, जैसे मिलकर पढ़ते समय बच्चे शिक्षक के साथ मिलकर और बाद में अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ेंगे। पढ़ते समय कहानी के चित्रों को देखकर अनुमान लगाना, फिर कहानी सुनकर बातचीत करना, शब्दों को चित्र रूप में समझना, कुछ प्रश्नों के उत्तर देना आदि से बच्चे 'पढ़ना माने अर्थ गढ़ना' संकल्पना को आत्मसात कर पाएँगे। उदाहरण के लिए, 'होली' कविता में समान लय वाले शब्द खोजने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार 'रानी भी' कहानी में बातचीत के लिए ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं कि "माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया होगा?" ऐसे प्रश्न अनुमान लगाने में सहायता करेंगे।

लिखना

हम सभी जानते हैं कि लिखने की शुरुआत चित्रों से होती है और फिर चित्रों के साथ बच्चे शब्द और धीरे-धीरे वाक्य लिखना आरंभ करते हैं। यहाँ प्रयास किया गया है कि बच्चे अपने अनुभवों और विचारों को चित्रों के माध्यम से बताएँ और फिर उन पर कुछ शब्द शिक्षक की सहायता से लिखें। अन्य भाग जैसे 'कविता', 'सुनें कहानी' और 'मिलकर पढ़िए' आदि में भी लिखने के अवसर हैं। यहाँ लिपि को समझने और लिखने पर भी बल दिया गया है। उदाहरण के लिए, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखना, चित्रों को देखकर शब्द लिखना, दिए गए विषय पर अपनी बात कहना और लिखना। यह लेखन चित्र भी हो सकते हैं और वाक्य भी। इन सभी में शिक्षक की सहायता शामिल है।

बच्चों में इन सभी दक्षताओं के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन चारों स्तंभों पर नियमित रूप से कार्य हो। अत: इस पाठ्यपुस्तक में पाँच संदर्भों के इर्द-गिर्द पढ़ने, लिखने, शब्द पहचानने और बातचीत

के विविध आयामों को सम्मिलित किया गया है। आइए, इन आयामों के विषय में सविस्तार चर्चा करें।

सृजनशील शिक्षक दी गई पठन-पाठन सामग्री को अत्यंत रोचक और प्रभावी तरीके से बच्चों के साथ मिलकर रच सकते हैं। यहाँ बस कुछ सुझाव हैं। हमें आशा है कि आप अपनी कक्षा में विविधता लाएँगे, बच्चों के संदर्भ के आधार पर शब्दों का खेल, खेल गीत, कविताएँ और कहानियाँ शामिल करेंगे। विविध संसाधनों की सहायता से कक्षा को और भी रोचक बनाएँगे।

बातचीत

इस पुस्तक में लिए गए पाँचों संदर्भों में बातचीत की ढेर सारी संभावनाएँ हैं। उदाहरण के लिए, 'हमारा खान-पान' में आप बच्चों से निम्न प्रश्नों से बातचीत शुरू कर सकते हैं—

आगे आने वाले कुछ दिनों में हम 'हमारा खान-पान' के बारे में बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। इसकी शुरुआत बातचीत से करेंगे। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्या आपको पता है कि वह कैसे बनता है? पता कीजिए कि आपकी कक्षा में मीठा, नमकीन और तीखा कितने बच्चों को पसंद है? खाना खाने से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें बताइए। चिड़िया, कौआ, बत्तख, मेंढक आदि को खाने में क्या पसंद होगा?

जैसे-जैसे बच्चों के उत्तर आएँगे, उस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। बातचीत की यह गतिविधि हर दिन करवाई जा सकती है। एक दिन में सभी बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हर दिन यह गतिविधि कक्षा में करवाएँ। समय-सारणी में सर्कल टाइम के लिए जगह है। उस समय इस तरह की बातचीत को जगह दी जा सकती है।

'बातचीत' के अंतर्गत दी गई गतिविधियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है— बहुभाषिकता। अर्थपूर्ण सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में आवश्यक है कि बच्चे अपनी भाषा में खुलकर अपने विचार रख सकें। कक्षा-कक्ष की हर गतिविधि में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

सुनें कहानी

इसके अंतर्गत दी गई कहानियों को शिक्षक बच्चों को एक से अधिक बार पढ़कर सुनाएँ।

कुछ तरीके इस प्रकार हो सकते हैं— कहानी पढ़कर सुनाने से पूर्व बच्चों से कहानी के चित्र देखकर कहानी गढ़ने को कहें। यह कार्य आप बच्चों के छोटे समूह बनाकर करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'मीना का परिवार' कहानी पढ़ते समय बीच में बच्चों से एक या दो प्रश्न पूछें, जैसे— 'आपको क्या लगता है कि कहानी में आगे क्या होगा?' आदि। कहानी के बाद दिए गए 'बातचीत के लिए' प्रश्नों पर बच्चों से बातचीत कीजिए। यहाँ कोई उत्तर सही या गलत नहीं है, बल्कि प्रयास यह रहे कि बच्चे अपने मन की बात या उन्हें जो समझ में आया, वह निःसंकोच कह सकें। ये कुछ सुझाव हैं, इनके अतिरिक्त भी आप विविध क्रियाकलाप करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'मिठाई' कहानी में बच्चों को कहानी में कुछ अन्य जानवरों को जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चे कहानी को अपनी भाषा में कक्षा या घर में सुना सकते हैं।

बातचीत के दौरान जो शब्द कहानी में और बातचीत में बार-बार आ रहे हैं, उन तीन से चार शब्दों को आप बोर्ड पर धीरे-धीरे लिखें। बच्चों से अनुमान लगाकर इन शब्दों की पहचान करने को भी कहा जा सकता है। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे कुछ अन्य वर्ण और मात्राएँ पहचानना सीख जाएँगे। आप बच्चों को पिछले पाठों में आई कहानियों और कविताओं में से शब्दों को पहचानने का कार्य दें। इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ भी करवाई जा सकती हैं।

मिलकर पढ़िए

इस हिस्से में उन कहानियों का चुनाव किया गया है, जिनमें दोहराव है। यह दोहराव वाक्यों के स्तर पर है। कहानी के कथानक में भी दोहराव है। आपने यह देखा होगा कि दोहराव में बच्चों को आनंद आता है। दोहराव से बच्चों को अनुमान लगाने में भी आसानी होती है। उदाहरण के लिए, 'भुट्टे' कहानी में 'नीना', 'नाना', 'नानी', 'भुट्टे' शब्दों में दोहराव है। इन कहानियों को पढ़ने से पूर्व चित्र दिखाकर बच्चों से बातचीत कीजिए। फिर उँगली रखते हुए बच्चों के साथ मिलकर कहानी पढ़िए। जिन शब्दों का दोहराव है, उन्हें बोर्ड पर लिख दीजिए। उनके चित्र बन पाएँ, तो अवश्य बनाइए। फिर, कहानी को पुन: पढ़िए और दूसरी बार पढ़ते समय दोहराव वाले वाक्यों पर बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहिए। कुछ दिनों बाद, छोटे समूह में बच्चों को मिलकर पढ़ने के लिए कहिए। उनका अवलोकन कीजिए। उन्हें जहाँ-जहाँ सहायता की आवश्यकता है, उन शब्दों को 'नोट' कर लीजिए। अगली कक्षा में इन शब्दों को आप 'शब्दों का खेल' में शामिल करके इन पर गतिविधियाँ करवा सकते हैं। इन सभी कार्यों का उद्देश्य यह है कि बच्चे दी गई पठन सामग्री को धीरे-धीरे पढ़ना सीख जाएँ। हमें याद रखना होगा कि हर बच्चे का सीखने का तरीका और गति अलग-अलग होती है। हम उन पर किसी भी प्रकार का दबाव बिल्कुल भी न डालें। हाँ, उन्हें सार्थक अवसर अवश्य दें और उनका उत्साहवर्धन करें। इस पुस्तक में 'मिलकर पढ़िए' में कई अवसर हैं। ऐसा इसीलिए, क्योंकि इन अवसरों से ही बच्चे पढ़ना सीखते हैं। आप भी पुस्तकालय से बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप रोचक बाल साहित्य अथवा पुस्तकें अवश्य दें।

शब्दों का खेल

बच्चों की भाषा में जो शब्द अधिकतर आते हैं, उन शब्दों के वर्ण और स्वरों को ध्यान में रखते हुए 'वर्ण समूह' के आधार पर 'शब्दों का खेल' की रचना की गई है। उदाहरण के तौर पर, आप देखेंगे कि पहली इकाई में कहानियों के माध्यम से बच्चों को 'दादा', 'दादी', 'नाना', 'नानी', 'मामा', 'मामी', 'पिता', 'भाई', 'माँ' शब्दों के प्रिंट रूप से परिचित कराया गया है। फिर 'शब्दों का खेल' में परिवार के सदस्यों के नामों के साथ कार्य दिए गए हैं, जैसे इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादीजी हैं। आँखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। फिर 'दादा', 'दादी' शब्द लिखने के लिए कहा गया है। इसी तरह से 'मीना', 'नाना', 'मामी' आदि शब्दों पर कार्य करवाया गया है। मीना, नानी, नाना, मामा आदि शब्दों का चुनाव भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि शब्दों के खेल के बाद 'मिलकर पढ़ने' का कार्य बच्चे और अधिक आनंद के साथ कर पाएँगे। इसी तरह का

प्रयास अन्य इकाइयों में भी किया गया है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की भाषा के अन्य शब्द भी लें और उनसे ध्वनियाँ पहचानने का कार्य करवाएँ। शब्दों को इमली के बीजों से या कंकड़ या छोटे पत्थरों से भी लिखने का प्रयास करवाया जा सकता है। फिर पेंसिल से लिखने में बच्चों को आसानी होती है। पुस्तक में पहेलियाँ भी दी गई हैं जिससे बच्चे अपने शब्द बना सकें, जैसे— 'दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए' से संबद्ध अभ्यास। 'प्रश्न और पहेली' शीर्षक के अंतर्गत दी गई ये पहेलियाँ देखी जा सकती हैं— 'मेरे पिता के पिता, मेरे .....।', 'मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वह है .....।', 'नीना की नानी का उल्टा है .....!' इसके अतिरिक्त शिक्षक भी इस तरह की पहेलियाँ बनाकर बच्चों को दें। हो सकता है कि कक्षा 1 के अंत तक बच्चे ही ऐसी पहेलियाँ एक-दूसरे के लिए बनाना सीख जाएँ।

पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर वर्णमाला का गीत दिया गया है। जैसे-जैसे बच्चे कुछ वर्ण सीख लें, उन्हें वर्णमाला से उन वर्णों की पहचान करने के लिए कहिए। इस गतिविधि से वे देख पाएँगे कि वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन हैं; उन्होंने कितने सीख लिए हैं और कितने सीखने शेष हैं। बच्चों को आनंद के लिए वर्णमाला गीत भी मौखिक तौर पर गाने में मदद कीजिए।

आनंदमयी कविता

बच्चे हाव-भाव के साथ, अभिनय करते हुए कविताओं को गाएँ, जैसा कि हम अपनी कक्षाओं में हमेशा से ही करते आ रहे हैं। कविताओं को चार्ट पेपर पर बड़े अक्षरों में लिख दें। फिर गाते वक्त बच्चे इनको देखकर, शब्दों पर उँगली रखकर भी गा सकते हैं। कविताओं का आनंद लेना मुख्य उद्देश्य है, जैसे इकाई 2 'जीव-जगत' में 'कबरी झबरी बकरी' कविता में शब्दों का चयन और शब्दों का दोहराव बच्चों को कविता गाने का आनंद देता है। पूरी कविता 'बकरी', 'कबरी', 'झबरी' शब्दों के आस-पास घूमती है। इसके साथ-साथ कविताओं पर चर्चा करना, नई कविताएँ गढ़ना, कविताओं में आए शब्दों के साथ कार्य करना आदि अवसर भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, 'कबरी झबरी बकरी' कविता में बच्चों से यह कहा गया है कि वे 'झबरा', 'कबरा', 'बकरा' आदि शब्दों से तुकबंदी करते हुए नई कविता की रचना करें। ऐसे अनेक अवसर 'आनंदमयी कविता' का हिस्सा हैं।

चित्रकारी और लेखन

बच्चे चित्रों द्वारा खुद के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन चित्रों में हमें बच्चों की अवलोकन क्षमता, विचार करने के कौशलों के कई प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए लिखना सीखने की प्रक्रिया में चित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए कक्षा 1 और 2 की पुस्तकों में 'चित्रकारी और लेखन' को सम्मिलित किया गया है, जैसे— 'दिए गए चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं? कुछ नाम लिखिए।' हर गतिविधि संदर्भ आधारित है, उस पर कहानी या कविताएँ बच्चे पढ़ चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें चित्रकारी और लेखन का कार्य दिया गया है। बच्चों से आप ऐसे भी किसी कविता या कहानी या अपने मन से चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। जो भी शब्द उन्होंने सीखे हैं, उन्हें लिखने में उनकी मदद कीजिए। उदाहरण के लिए, 'मेला' कविता के अंतर्गत दिया

गया यह अभ्यास— 'मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं। आप वहाँ क्या-क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए।' बच्चों के छोटे समूह में भी यह गतिविधियाँ आप करवा सकते हैं। बच्चे एक-दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं।

खोजें-जानें

भाषा शिक्षण को बच्चों के संदर्भ से जोड़ने, संदर्भ से सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इन गतिविधियों को शामिल किया गया है। इनसे बच्चों में अपने समुदाय की समझ बढ़ेगी। अपने घर और आस-पड़ोस का भी वे महत्व समझेंगे। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्य के साथ आस-पास घूमना और छोटे-छोटे कीड़ों-मकोड़ों, जानवरों को देखना। वे क्या करते हैं; क्या खाते हैं; उनके रंग-रूप को देखना आदि। अपने आस-पास मिलने वाले पेड़-पौधों के नाम जानना और चित्र बनाना।

आओ कुछ बनाएँ

इन गतिविधियों का उद्देश्य है कि बच्चे जटिल कार्य के लिए मौखिक निर्देशों को समझें और उसी कार्य के लिए दूसरों को भी स्पष्ट मौखिक निर्देश दे सकें। इस कार्य में कला और भाषा के एकीकरण का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, 'अँगूठे की छाप से चित्र बनाना', 'कागज़ से कुत्ते का मुखौटा बनाना', 'तोरण बनाना' आदि।

खेल-खेल में

यहाँ पर खेल गीत गाना, खेलना, अभिनय करना आदि सम्मिलित किए गए हैं। खेल-खेल में निर्भीक अभिव्यक्ति कर पाने के अवसर देने से बच्चों की झिझक खत्म होती है, वे स्वयं के अनुभव को खुशी-खुशी सबके साथ साझा करने लगते हैं। शायद सीखने-सिखाने में यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। उदाहरण के लिए, साथियों के साथ कविता में दिए खेल खेलना और चित्र बनाकर परिवार के लोगों को बताना, मिट्टी से खिलौने बनाना आदि।

इस पुस्तक में 'झटपट कहिए', 'आओ बूझें पहेली' आदि जैसी कुछ अन्य रोचक गतिविधियाँ भी दी गई हैं, उदाहरण के लिए, 'घर-घर, घड़ी-घड़ी घड़ी घूमती!'/'भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू'। शिक्षक अपने स्तर पर भी इस प्रकार की कुछ और सामग्री खोजें, स्वयं तैयार करें और उपयोग में लाएँ। इन सबके साथ-साथ एक सतत चलने वाला आवश्यक काम यह है कि पाठ्यपुस्तक की हर इकाई पर कार्य करते हुए शिक्षक स्वयं और बच्चों की सहायता से कुछ-न-कुछ सीखने-सिखाने की सामग्री (टी.एल.एम.) बनाते रहें और उन्हें कक्षा की दीवार पर लगाएँ या अन्य उपयुक्त तरीके से बच्चों के लिए उपलब्ध रखें और उनका उपयोग भी शिक्षण प्रक्रिया में करें। हर इकाई में नई सामग्री की आवश्यकता होगी। उपलब्ध सामग्री में निश्चित रूप से कुछ पुस्तकें भी होनी चाहिए और नियमित रूप से बच्चे पुस्तकों के साथ काम करें, समय-सारणी में इसकी जगह हो।

हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस पाठ्यपुस्तक की सामग्री का रचनात्मक उपयोग इसमें दिए उद्देश्यों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करेंगे जिससे शिक्षण प्रभावी होगा और बच्चे आनंद के साथ भाषा सीखेंगे।

Topic ______ Date ______ Page No. ______

मेरा प्यारा विद्यालय

"शिक्षा ही बाईबल का कोना
शिक्षा ही मक्का मदीना
शिक्षा ही वेदों का सार
शिक्षा ही रब का दरबार"

नमस्कार मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त शुभम मोहिल मैं दस वर्ष का हूँ और पाँचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे मेरा विद्यालय बहुत प्यारा लगता है। मेरे विद्यालय का नाम है- केन्द्रिय विद्यालय एन० सी० इ० आर० टी०, नई दिल्ली। मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक-अध्यापिकाएं एवं मुख्याध्यापिका बड़े ही दयालु व मेहनती हैं। वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अनुशासन में रहना सिखाते हैं। मेरे विद्यालय में कक्षा-कक्ष बहुत सुंदर है, जिनमें कक्षा के स्तरानुसार शिक्षाप्रद चित्र बने हुए हैं। रंगीन कुर्सियाँ मेज व बेंच कक्षा-कक्ष की सुंदरता में चार चाँद लगा देते हैं। मेरे विद्यालय में बड़ा सा मैदान खेलने के लिए है। एक सुंदर सा बगीचा भी है जिसमें सुंदर-सुंदर पेड़-पौधे-फूल लगे है। मेरा विद्यालयभवन में हमेशा साफ-सफाई रहती है। मेरे विद्यालय में खेल, संगीत, नृत्य और नाटक जैसी गतिविधियां कराई जाती है। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है।

शुभम मोहिल
5-एफ
के वि एन एम आर
एन सी ई आर टी

स्कूल चले हम

कमलेन्द्र कुमार*

टन-टन घंटी बुला रही है,
हम सबको यह बता रही है।
आओ प्यारे बच्चों आओ,
खेल-खेल में शिक्षा पाओ।
रंग-बिरंगे फूलों जैसे,
खूब खिले हम।
स्कूल चले हम ।।1।।

सबसे प्यारा सबसे न्यारा,
है सुंदर स्कूल हमारा।
फूल खिले हैं सुंदर-सुंदर,
बालवाटिका उसके अंदर।
हँसी-ठिठोली कर आपस में,
खूब मिले हम।
स्कूल चले हम ।।2।।

धूम मचाते, शोर मचाते,
उछल कूद हम करते जाते।
नई तरंगें, नया जोश है,
नई लहर है, नया घोष है।
सुख-दुख आपस में बाटेंगें,
मिले जुले हम।
स्कूल चले हम ।।3।।

निपुण बनें हम सब ही बच्चे,
शिक्षक हमको लगते अच्छे।
बड़े प्यार से हमें पढ़ाएँ
और साथ हम गाना गाएँ।
फूल खिलाएँगे काटों में,
साथ पले हम।
स्कूल चले हम ।।4।।

*प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, डगरु का पुरवा, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश 285 204

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

- लेख सरल भाषा में तथा रोचक होना चाहिए।
- लेख की विषयवस्तु 2500 से 3000 या अधिक शब्दों में डबल स्पेस में टंकित होना वांछनीय है।
- चित्र कम से कम 300 dpi में होने चाहिए।
- तालिका, ग्राफ विषयवस्तु के साथ होने चाहिए।
- चित्र अलग से भेजे जाएँ तथा विषयवस्तु में उनका स्थान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- शोधपत्रों के साथ कम से कम सारांश भी दिया जाए।
- लेखक लेख के साथ अपना संक्षिप्त विवरण तथा अपनी शैक्षिक विशेषज्ञता अवश्य भेजें।
- शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ की सूची भी अवश्य दें।
- संदर्भ का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. हाउस स्टाइल के अनुसार निम्नवत होना चाहिए—

  सेन गुप्त, मंजीत. 2013. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा*. पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली.

लेखक अपने मौलिक लेख या शोधपत्र सॉफ्टकॉपी (यूनिकोड में) के साथ निम्न पते पर या ई-मेल पर भेजें—

अकादमिक संपादक

प्राथमिक शिक्षक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

ई-मेल – prathamik.shikshak@gmail.com

रजि. नं. 32427/76

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य
Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	*₹ 35.00*	*₹ 70.00*

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फोन – 011-26562708, फैक्स – 011-26851070

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING